सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 08/2026 दिनांक : 09.03.2026

परिवादी :– श्रीमती वंदना पत्नी श्री संजीव कुमार, प्लाट नं0–13, खसरा नं0 1459–2, लोटस गंगा कालोनी, आन्नेकी हेत्तमपुर, जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ज्वालापुर, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार — न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू — तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती वंदना पत्नी श्री संजीव कुमार, प्लाट नं0–13, खसरा नं0 1459–2, लोटस गंगा कालोनी, आन्नेकी हेत्तमपुर, जिला–हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या–JW61231924820, स्वीकृत भार 01 किलोवाट के सन्दर्भ में कथन किया है कि उनका मीटर, सितम्बर 2025 से ठीक से काम नहीं कर रहा है, मीटर खराब होने के कारण रीडिंग बहुत अधिक आ गयी है, बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। उनका अगस्त 2025 तक, पहले के सभी बिल रू0 1500 से रू0 2500 तक के बीच में आ रहे थे, जिसका भुगतान वह हर महीने कर रहे थे। सितम्बर 2025 में अचानक उनका बिल रू0 10184.00 आ गया, अधिक बिल आने पर उनके द्वारा शिकायत दर्ज करवाई गई। विद्युत विभाग द्वारा चैक मीटर लगाने के लिये कहा गया, बिजली विभाग द्वारा 31.10.2025 में मीटर संख्या GU168887 लगाया गया जिसमे 123 पुरानी रीडिंग नोट की गयी, उनके मीटर की मीटर संख्या 10239242, जिससे 12916 रीडिंग नोट की गयी थी, फिर 15.12.2025 में चैक मीटर में 381 रीडिंग आयी, टोटल रीडिंग 259 आयी, उनके मीटर की 13175 रीडिंग आयी, कुल रीडिंग 258 आयी। जबकि उनका बिल विभाग द्वारा सितम्बर 2025 में बिल 1161 यूनिट, रू0 10184.00, अक्टूबर 2025 में बिल 1700 यूनिट, रू0 24913.00, नवम्बर 2025 में बिल 2017 यूनिट, रू0 42126.00, दिसम्बर 2025 में बिल 5164 यूनिट, रू0 83634.00 आ गया है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका विद्युत बिल पूर्व के बिलों के अनुसार ठीक करवा दिया जाए एवं स्मार्ट मीटर लगवा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा पत्र संख्या 465 दिनांकित 20.01.2026 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि उपरोक्त वादी के विद्युत संयोजन संख्या–जेडब्लू61231924820, श्रीमती वंदना पत्नी श्री संजीव कुमार, प्लाट नं0–13, खसरा नं0–1459–2, लोटस गंगा कॉलोनी, हेत्तमपुर, हरिद्वार विद्या–घरेलू स्वीकृत भार–01 किलोवाट, संयोजन दिनांक 16.12.2023 से चला आ रहा है। उक्त संयोजन संख्या पर स्थापित मीटर नं0–10239242 का माह 01/2026, अवधि दिनांक 17.12.2025 से दिनांक 17.01.2026 तक (जारी करने की दिनांक–17.01.2026), मीटर यूनिट आधार पर 45 यूनिट व Maximum Demand 1 KW का रू0. 368.00 का है।

क्रमशः.....02

माह 12/2025, अवधि दिनांक 17.11.2025 से दिनांक 17.12.2025 तक (जारी करने की दिनांक–17.12.2025), मीटर यूनिट आधार पर 5164 यूनिट व Maximum Demand 1 KW का रू0. 40984.00 का है। माह 11/2025, अवधि दिनांक 30.10.2025 से दिनांक 17.11.2025 तक (जारी करने की दिनांक–17.11.2025), मीटर यूनिट आधार पर 2017 यूनिट व Maximum Demand 3 KW का रू0. 16905.00 का है। माह 10/2025, अवधि दिनांक 26.09.2025 से दिनांक 30.10.2025 तक (जारी करने की दिनांक–30.10.2025), मीटर यूनिट आधार पर 1677 यूनिट व Maximum Demand 4 KW का रू0. 14620.00 का है। माह 09/2025 अवधि दिनांक 20.08.2025 से दिनांक 26.09.2025 तक (जारी करने की दिनांक–26.09.2025) मीटर यूनिट आधार पर 1161 यूनिट व Maximum Demand 2 KW का रू0. 10159.00 का है।

मंच के समक्ष परिवादिनी के प्रतिनिधि श्री संजीव कुमार तथा विपक्षी की ओर से सहायक अभियंता (राजस्व) श्री एस0के0गौतम उपस्थित हुए।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादिनी का यह विद्युत संयोजन, 01.00 किलोवाट विद्युत भार पर, दिनांक 16.12.2023 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 17.01.2026 तक, एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। परिवादिनी द्वारा, दिनांक 26.09.2025 से दिनांक 27.12.2025 तक जारी विद्युत बिलों में, पूर्व में निर्गत बिलों में दर्ज औसत विद्युत खपत की तुलना में, अत्यधिक विद्युत खपत दर्शाये जाने के कथन के साथ, विवादित ठहराया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा, गत महिनों में, निम्नानुसार, विद्युत खपत के बिल, परिवादिनी को जारी किए गए हैं:

अवधि			विद्युत खपत/रीडिंग का विवरण				अधिकतम
से	तक	माह (लगभग)	IR (kWh)	FR (kWh)	कुल खपत (यूनिट)	औसत खपत (यूनिट/माह)	भार (kW)
16.12.23	26.06.24	6.33	00	1094	1094	173	2.00
26.06.24	16.12.24	5.66	1094	1949	858	152	3.00
16.12.24	19.06.25	6.10	1949	2810	861	144	2.00
19.06.25	20.08.25	2.00	2810	3162	352	176	2.00
16.12.23	***20.08.25***	***20.13***	***00***	***3162***	***3162***	***157***	***3.00***
20.08.25	26.09.25	1.20	3162	4323	1161	968	2.00
26.09.25	30.10.25	1.13	4323	6000	1677	1484	4.00
30.10.25	17.11.25	0.56	6000	8017	2017	3602	3.00
17.11.25	17.12.25	1.00	8017	13181	5164	5164	1.00
20.08.25	***17.12.25***	3.90	3162	13181	10019	2569	4.00
17.12.25	17.01.26	1.00	13181	13226	45	45	1.00

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि परिवादिनी द्वारा, दिनांक 16.12.2023 से दिनांक 20.08.2025 तक, लगभग 20.13 माह की अवधि में, कुल 3162 (3162–00) यूनिट की विद्युत खपत की गई है। इस प्रकार परिवादिनी द्वारा, उक्त 20.13 माह की अवधि में, लगभग 157 यूनिट प्रति माह की

क्रमशः.....03

औसत दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 20.08.2025 से दिनांक 17.12.2025 तक, लगभग 3.90 माह की अवधि हेतु, कुल 10019 (13181–3162) यूनिट की विद्युत खपत के बिल, परिवादिनी को जारी किए गए हैं। इस प्रकार, विपक्षी विभाग द्वारा, उक्त 3.90 माह की अवधि हेतु, लगभग 2569 यूनिट प्रति माह की औसत दर से, विद्युत खपत के बिल, परिवादिनी को जारी किए गए हैं जो कि उक्त 157 यूनिट प्रति माह की तुलना में, लगभग 1536.31 प्रतिशत अधिक हैं जो कि सही प्रतीत नहीं होते हैं क्योंकि उक्त 3.90 माह में, कुल 10019 (13181–3162) यूनिट की विद्युत खपत तभी संभव है, जबकि परिवादिनी द्वारा, उक्त अवधि में दर्ज अधिकतम भार–4.00 किलोवाट का उपभोग, प्रत्येक दिन 21.41 घंटों के लिए, लगातार 3.90 माह हेतु किया गया हो जो कि व्यावहारिक दृष्टि से सही प्रतीत नहीं होता है।

पत्रावली पर उपलब्ध मीटर सिलिंग प्रमाणपत्र संख्या–2063/09 दिनांक 31.10.2025 के अवलोकन से विदित होता है कि परिवादिनी के संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या–10239242 पर, दिनांक 31.10.2025 को, मीटर रीडिंग/खपत–12916 केडब्लूएच दर्ज पाई गई है। जबकि बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार दिनांक 30.10.2025 को, प्रश्नगत मीटर पर मीटर रीडिंग/खपत–6000 केडब्लूएच दर्शायी गई है। मंच द्वारा प्रश्नगत मीटर संख्या–10239242 पर, गत महिनों में दर्ज मीटर रीडिंग/खपत की पुष्टि हेतु, उक्त मीटर की एमआरआई रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के आदेश, विपक्षी विभाग को दिए गए परंतु विपक्षी विभाग द्वारा, प्रश्नगत मीटर की एमआरआई रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने में असमर्थता प्रकट की गई है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादिनी के प्रश्नगत संयोजन पर मीटर संख्या–10239242 पर दर्ज विद्युत खपत के आधार पर, दिनांक 26.09.2025 से दिनांक 17.01.2026 तक जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए, दिनांक 20.08.2025 से दिनांक 17.01.2026 तक की अवधि हेतु, परिवादिनी द्वारा, पूर्व में एमयू आधार पर जारी तीन बिलिंग चक्रों के सापेक्ष दर्ज औसत मासिक विद्युत खपत के आधार पर, संशोधित बिल, परिवादिनी को जारी किए जाने तथा परिवादिनी के प्रश्नगत विद्युत संयोजन पर गतिमान उक्त मीटर संख्या–10239242 को तत्काल, नये मीटर द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने की आवश्यकता है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादिनी के प्रश्नगत संयोजन पर मीटर संख्या–10239242 पर दर्ज विद्युत खपत के आधार पर, दिनांक 26.09.2025 से दिनांक 17.01.2026 तक जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए, दिनांक 20.08.2025 से दिनांक 17.01.2026 तक की अवधि हेतु, परिवादिनी द्वारा, पूर्व में एमयू आधार पर जारी तीन बिलिंग चक्रों के सापेक्ष दर्ज औसत मासिक विद्युत खपत के आधार पर, संशोधित बिल, परिवादिनी को जारी किए जाने तथा परिवादिनी के प्रश्नगत विद्युत संयोजन पर गतिमान उक्त मीटर संख्या–10239242 को तत्काल, नये मीटर द्वारा प्रतिस्थापित करे। विपक्षी विभाग आदेश की अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

09/03/2026

(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य

09/03/2026

(जी0 एस0 धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य

09/03/2026

(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत),

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 09/2026 दिनांक : 10.03.2026

परिवादी :– श्रीमती खुर्शीदा पत्नी श्री गुलजार, बी–41, शिवालिक नगर, भेल, जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ज्वालापुर, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार — न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू — तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती खुर्शीदा पत्नी श्री गुलजार, बी–41, शिवालिक नगर, भेल, जिला–हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या–JW0K000017368, स्वीकृत भार 05 किलोवाट के सन्दर्भ में कथन किया है कि उक्त संयोजन स्थापित परिसर को वर्ष 2023 में खरीदा गया था तत्पश्चात अप्रैल 2023 में, संयोजन को स्वयं के नाम पर परिवर्तित करा लिया था। उनका विद्युत बिल प्रतिमाह 250 से 600 यूनिट का ही आता रहा है, जिसे समय से उनके द्वारा भुगतान भी नियमित रूप से किया जा रहा था। अचानक विभाग द्वारा माह 03/2025 का विद्युत बिल 24183 यूनिट का एक मुश्त रू0 150677.00 का भेज दिया गया जिस पर उनके द्वारा आपत्ति दर्ज की गई तब विभाग के कर्मचारी द्वारा बताया गया कि मीटर रीडर द्वारा गलत रीडिंग प्रेषित करने के कारण विद्युत बिल अत्यधिक आया है, जिसे अगले माह ठीक कर दिया जायेगा। उनके पुत्र द्वारा मीटर में देखने पर पाया कि मीटर में डिस्प्ले ही नहीं आ रहा था, जिसकी सूचना भी मौखिक रूप से विभाग को दी गयी, किन्तु विद्युत बिल ठीक नहीं किया गया। बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार माह 07/2025 का बिल आईडीएफ पर बनाया गया जो की पुनः 33060 यूनिट का बनाया गया जिससे विद्युत बिल रू0 419102.00 का बन गया। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि मीटर रीडर द्वारा गलती से या जानबूझकर खराब मीटर होने पर भी बहुत ज्यादा रीडिंग प्रेषित कर उनको प्रताड़ित किया गया तथा विभाग में बार–बार सूचित एवं निवेदन किए जाने पर भी उनका विद्युत बिल ठीक न करने एवं कनैक्शन काटने की धमकी देकर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका विद्युत पूर्व की औसत विद्युत बिल के अनुसार या बदले गए मीटर की औसत के अनुसार बिल ठीक करवा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियंता द्वारा पत्र संख्या 481 दिनांकित 20.01.2026 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि वादी का संयोजन–जेडब्लू0के000017368, श्रीमती खुर्शीदा पत्नी श्री गुलजार, बी–41, शिवालिक नगर, बीएचइएल, हरिद्वार, विधा–STN-20/OTHER NON DOMESTIC MORE THAN 4 KW AND UPTO 25 KW, स्वीकृत लोड 05 KW, संयोजन का दिनांक 25.04.2023 को नाम परिवर्तन कराया गया। उक्त संयोजन 0.4 के0वी0 पर है तथा जिस पर WC मीटर संख्या 307453 स्थापित था व एम0एफ0 01 था तथा दिनांक 22.11.2025 को मीटर संख्या 307453 को No-Display होने के कारण

क्रमशः.....02

बदलकर नया स्मार्ट मीटर संख्या 5717102 स्थापित किया गया है। सिलिंग प्रमाण पत्र 03/75299 उपभोक्ता के प्रतिनिधि के द्वारा हस्ताक्षरित है। वादी का माह 02/2025, अवधि दिनांक 31.01.2025 से दिनांक 28.02.2025 तक (जारी करने का दिनांक 11.03.2025), मीटर यूनिट के अधार पर 252 यूनिट का रू0. 6391.00 (मय बकाया व ASD) निर्गत किया गया था जिसका भुगतान वादी द्वारा रू0. 5897 बिल व रू0. 494.00 ASD किया गया तथा उक्त मीटर रीडिंग manual ली गयी थी तथा manual reading slip संलग्न है। वादी का माह 03/2025, अवधि दिनांक 28.02.2025 से दिनांक 31.03.2025 तक (जारी करने का दिनांक 09.04.2025), मीटर यूनिट के अधार पर 24183 यूनिट का रू0. 150677.00 निर्गत किया गया था, जिसका भुगतान वादी द्वारा नही किया गया तथा उक्त मीटर रीडिंग manual ली गयी थी तथा manual reading slip संलग्न है। वादी का माह 04/2025, अवधि दिनांक 31.03.2025 से दिनांक 30.04.2025 तक (जारी करने का दिनांक 16.05.2025), एनए के अधार पर 3454 यूनिट का रू0. 180695.00 (मय बकाया) निर्गत किया गया था, जिसका भुगतान वादी द्वारा नही किया गया। वादी का माह 05/2025, अवधि दिनांक 30.04.2025 से दिनांक 31.05.2025 तक (जारी करने का दिनांक 19.06.2025), एनए के अधार पर 3454 यूनिट का रू0. 211065.00 (मय बकाया) निर्गत किया गया था, जिसका भुगतान वादी द्वारा नही किया गया। वादी का माह 06/2025, अवधि दिनांक 31.05.2025 से दिनांक 30.06.2025 तक (जारी करने का दिनांक 17.07.2025), एनआर के अधार पर 3454 यूनिट का रू0. 241786.00 (मय बकाया) निर्गत किया गया था, जिसका भुगतान वादी द्वारा नही किया गया। वादी द्वारा दिनांक 02.07.2025 को एक प्रार्थना पत्र विद्युत वितरण खण्ड ज्वालापुर में एनए के बिल के बारे में दिया। उक्त पत्र पर कार्यवाही करते हुए दिनांक 25.07.2025 को पत्रांक 5365, सहायक अभियंता (मीटर) को संयोजन जेडब्लू0के000017368 पर स्थापित मीटर नं0 307453 की एमआरआई करने के बारे में प्रेषित किया गया। वादी का माह 07/2025, अवधि दिनांक 31.03.2025 से दिनांक 31.07.2025 तक (जारी करने का दिनांक 18.08.2025), आईडीएफ के अधार पर 33060 यूनिट का रू0. 419102.00 (मय बकाया) निर्गत किया गया था, (तथा 3 माह के एनए बिल के Adjustment रू0. 82756.50 का दिया गया)। जिसका भुगतान वादी द्वारा नही किया गया। वादी का माह 08/2025, अवधि दिनांक 31.07.2025 से दिनांक 31.08.2025 तक (जारी करने का दिनांक 19.09.2025), आईडीएफ के अधार पर 8265 यूनिट का रू0. 492542.00 (मय बकाया) निर्गत किया गया था, जिसका भुगतान वादी द्वारा नही किया गया। वादी का माह 09/2025, अवधि दिनांक 31.08.2025 से दिनांक 30.09.2025 तक (जारी करने का दिनांक 14.10.2025) आईडीएफ के अधार पर 750 यूनिट का रू0. 505296.00 (मय बकाया) निर्गत किया गया था, जिसका भुगतान वादी द्वारा नही किया गया। वादी का माह 10/2025, अवधि दिनांक 30.09.2025 से दिनांक 31.10.2025 तक (जारी करने का दिनांक 15.11.2025) आईडीएफ के अधार पर 8265 यूनिट का रू0. 580226.00 (मय बकाया) निर्गत किया गया था, जिसका भुगतान वादी द्वारा नही किया गया। वादी का माह 11/2025, अवधि दिनांक 31.10.2025 से दिनांक 30.11.2025 तक (जारी करने का दिनांक 13.12.2025) मीटर यूनिट के अधार पर 6288 यूनिट का रू0. 637178.00 (मय बकाया) निर्गत किया गया था, जिसका भुगतान वादी द्वारा नही किया गया। दिनांक 22.11.2025 को मीटर संख्या 307453 को No-Display होने के कारण बदलकर नया स्मार्ट मीटर संख्या 5717102 स्थापित किया गया है। सिलिंग प्रमाण पत्र 03/75299 उपभोक्ता के प्रतिनिधि के द्वारा हस्ताक्षरित है। वादी का माह 12/2025, अवधि दिनांक 30.11.2025 से दिनांक 31.12.2025 तक (जारी करने का दिनांक 01.01.2026) मीटर यूनिट के अधार पर 47.14 यूनिट का रू0. 646100.00 (मय बकाया) निर्गत किया गया था, जिसका भुगतान वादी द्वारा नही किया गया।

क्रमशः......03

मंच के समक्ष परिवादिनी के प्रतिनिधि श्री आशिफ तथा विपक्षी की ओर से सहायक अभियंता श्री एस0के0गौतम उपस्थित हुए।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादिनी का यह विद्युत संयोजन, 05.00 किलोवाट विद्युत भार पर, दिनांक 17.03.1983 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 09.04.2025 तक एमयू आधार पर, दिनांक 16.05.2025 से दिनांक 15.11.2025 तक, एनआर/आईडीएफ आधार पर, दिनांक 13.12.2025 को एमसी तथा दिनांक 03.01.2026 को एमयू आधार पर, विद्युत बिल जारी किए गए हैं। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 09.04.2025 को जारी विद्युत बिल में, दिनांक 11.03.2025 से दिनांक 09.04.2025 तक, लगभग एक माह की अवधि हेतु दर्शायी गई विद्युत खपत–24183 (222089–197906) यूनिट को, पूर्व में जारी विद्युत बिलों के सापेक्ष दर्ज औसत विद्युत खपत की तुलना में अत्यधिक होने के कथन के साथ, विवादित ठहराया गया है।

विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 16.05.2025 से दिनांक 15.11.2025 तक, लगातार 07 बिलिंग चक्रों हेतु, एनआर/आईडीएफ आधार पर अनंतिम बिल जारी करते हुए, मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित, उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा संबंधित मामले) विनियम, 2020 के अंतर्गत प्राविधानित, अध्याय 5.2.1 (7) का उल्लंघन किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा उक्त उल्लंघन के लिए दोषी कार्मिकों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई किया जाना आवश्यक है ताकि भविष्य में दोषी कार्मिकों की कार्यप्रणाली में सुधार हो सके तथा उपभोक्ताओं को वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर बिल जारी किए जा सकें।

विपक्षी विभाग द्वारा, गत महिनों/वर्षों में, निम्नानुसार, विद्युत खपत के बिल, परिवादिनी को जारी किए गए हैं:

अवधि			विद्युत खपत/रीडिंग का विवरण				अधिकतम भार (kW)
से	तक	माह (लगभग)	IR (kWh)	FR (kWh)	कुल खपत (यूनिट)	औसत खपत (यूनिट/माह)	
21.06.23	23.12.23	6.00	183973	189896	5923	987	8.40
23.12.23	23.06.24	6.00	189896	193720	3824	637	5.60
23.06.24	17.12.24	5.80	193720	196958	3238	558	6.00
17.12.24	11.03.25	2.80	196958	197908	950	339	3.58
21.06.23	***11.03.25***	***20.66***	***183973***	***197908***	***13935***	***675***	***8.40***
11.03.25	09.04.25	0.93	197908	222089	24181	26001	2.12
09.04.25	22.11.25	7.43	IDF	IDF	58402	7860	6.00
22.11.25	03.01.26	1.33	00	254	254	191	7.07

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि परिवादिनी द्वारा, दिनांक 21.06.2023 से दिनांक 11.03.2025 तक, लगभग 20.66 माह की अवधि में, कुल 13935 यूनिट की विद्युत खपत की गई है। इस प्रकार परिवादिनी द्वारा, उक्त 20.66 माह की अवधि में, लगभग 675 यूनिट प्रति माह की औसत दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 09.04.2025 को जारी बिल में, दिनांक 11.03.2025 से दिनांक 09.04.2025 तक, लगभग 0.93 माह की अवधि हेतु, कुल 24181 (222089–197908)

क्रमशः.....04

यूनिट की विद्युत खपत के बिल, परिवादिनी को जारी किए गए हैं। इस प्रकार, विपक्षी विभाग द्वारा, उक्त 0.93 माह की अवधि हेतु, लगभग 26001 यूनिट प्रति माह की औसत दर से, विद्युत खपत के बिल, परिवादिनी को जारी किए गए हैं जो कि उक्त 675 यूनिट प्रति माह की तुलना में, लगभग 3752.00 प्रतिशत अधिक है जो कि सही प्रतीत नहीं होता है।

विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 09.04.2025 से दिनांक 22.11.2025 तक, लगभग 7.43 माह की अवधि हेतु, कुल 58402 यूनिट की विद्युत खपत का निर्धारण करते हुए, आईडीएफ आधार पर विद्युत बिल परिवादिनी को जारी किए गए हैं। इस प्रकार विपक्षी विभाग द्वारा उक्त 7.43 माह की अवधि हेतु, लगभग 7860 यूनिट प्रति माह की औसत दर से विद्युत खपत का निर्धारण किया गया है जो कि उक्त 675 यूनिट प्रति माह की तुलना में, 1064.44 प्रतिशत अधिक है जो कि सही प्रतीत नहीं होता है। परिवादिनी के प्रश्नगत विद्युत संयोजन पर पूर्व में गतिमान मीटर संख्या–307453 को, दोषपूर्ण हो जाने के उपरांत, दिनांक 22.11.2025 को, मीटर संख्या–5717102 द्वारा, प्रतिस्थापित किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों से विदित होता है कि विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 11.03.2025 से दिनांक 22.11.2025 तक की अवधि हेतु, उक्त दोषपूर्ण मीटर संख्या–307453 पर दर्ज त्रुटिपूर्ण मीटर रीडिंग/खपत के आधार पर विद्युत बिल जारी किए गए हैं।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 09.04.2025 से दिनांक 03.01.2026 तक जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए, दिनांक 11.03.2025 से दिनांक 22.11.2025 तक की अवधि हेतु, पूर्व में एमयू आधार पर जारी तीन बिलिंग चकों के सापेक्ष दर्ज औसत विद्युत खपत के आधार पर तथा दिनांक 22.11.2025 से दिनांक 03.01.2026 तक की अवधि हेतु, परिवादिनी के प्रश्नगत संयोजन पर वर्तमान में गतिमान मीटर संख्या–5717102 पर दर्ज वास्तविक विद्युत खपत/रीडिंग के आधार पर, विलंब अधिभार शुल्क रहित, संशोधित बिल परिवादिनी को जारी किए जाने की आवश्यकता है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह दिनांक 09.04.2025 से दिनांक 03.01.2026 तक जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए, दिनांक 11.03.2025 से दिनांक 22.11.2025 तक की अवधि हेतु, पूर्व में एमयू आधार पर जारी तीन बिलिंग चकों के सापेक्ष दर्ज औसत विद्युत खपत के आधार पर तथा दिनांक 22.11.2025 से दिनांक 03.01.2026 तक की अवधि हेतु, परिवादिनी के प्रश्नगत संयोजन पर वर्तमान में गतिमान मीटर संख्या–5717102 पर दर्ज वास्तविक विद्युत खपत/रीडिंग के आधार पर, विलंब अधिभार शुल्क रहित, संशोधित बिल परिवादिनी को जारी करे। विद्युत विभाग आदेश की अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

10/03/2026

(संजय कुमार)	(जी0 एस0 धर्मसत्तू)	(सतीश उनियाल)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

10/03/2026

नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज–I, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 12 / 2026 दिनांक : 09.03.2026

परिवादी :– श्री मुन्ना पुत्र श्री शकूर, प्लाट नं0 12, आन्नेकी हेत्तमपुर, रोशनाबाद, जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ज्वालापुर, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री मुन्ना पुत्र श्री शकूर, प्लाट नं0 12, आन्नेकी हेत्तमपुर, रोशनाबाद, जिला–हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या–JW0K000192524, स्वीकृत भार 45 किलोवाट के सन्दर्भ में कथन किया है कि उनका बिल सामान्यतः एक लाख रूपये तक आता था, यह कि करीब 6 माह से विद्युत कनैक्शन कटा हुआ है। उसके बाद मनमाने तरीके से उनको 6 लाख रूपये का बिल भेज दिया गया है, जिससे उनको अत्यधिक मानसिक आघात पहुंचा। कनैक्शन कटे होने के बाद भी इतना बिल भेजा जाना न्यायोचित नहीं है। उक्त बिल में संशोधन किया जाना प्रार्थनीय है। विद्युत संयोजन कटा हुआ है व किसी प्रकार का उपयोग नहीं हो रहा है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका विद्युत बिल ठीक करवा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियंता द्वारा पत्र संख्या 606 दिनांकित 27.01.2026 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि वादी का संयोजन–जेडब्लू0के000192524, श्री मुन्ना पुत्र श्री शकूर, प्लाट नं0–12, नियर पेट्राल पम्प, ग्राम–आन्नेकी हेत्तमपुर, रोशनाबाद, हरिद्वार विधा STN-25/OTHER NON-DOMESTIC ABOVE 25KW, स्वीकृत लोड 45 KW/53 KVA, संयोजन का दिनांक 01 मार्च 2025 है तथा जिस पर LT-CT मीटर संख्या 5136258 स्थापित था व एम0एफ0 20 था। उक्त संयोजन पर स्थापित मीटर संख्या–5136258 का माह 03 / 2025, अवधि दिनांक 01.03.2025 से दिनांक 31.03.2025 तक (जारी करने का दिनांक 07.04.2025), मीटर यूनिट के आधार पर 7060 यूनिट (maximum demand 65 KVA) का रू0 52728.00 निर्गत किया गया था। जिसका भुगतान वादी द्वारा नही किया गया। उक्त संयोजन पर स्थापित मीटर संख्या–5136258 का माह 04 / 2025, अवधि दिनांक 31.03.2025 से दिनांक 30.04.2025 तक (जारी करने का दिनांक 08.05.2025), मीटर यूनिट के आधार पर 9780 यूनिट (maximum demand 60.8 KVA) का रू0 140790.00 (मय बकाया) निर्गत किया गया था। वादी द्वारा दिनांक 24.05.2025 को आंशिक भुगतान रू0. 40000.00 व दिनांक 27.05.2025 को आंशिक भुगतान रू0. 60000.00 किया गया तथा दिनांक 27.05.2025 शेष धनराशि रू0. 40790.00 रह गयी थी। उक्त संयोजन पर स्थापित मीटर संख्या–5136258 का माह 05 / 2025, अवधि दिनांक 30.04.2025 से दिनांक 31.05.2025 तक (जारी करने का दिनांक 05.06.2025), मीटर यूनिट के आधार पर 21020 यूनिट (maximum demand 62.8 KVA) का रू0 198902.00 (मय बकाया) निर्गत किया गया था। वादी द्वारा दिनांक 19.06.2025 को आंशिक भुगतान

क्रमशः.....02

रू0. 100000.00 किया गया तथा दिनांक 19.06.2025 शेष धनराशि रू0. 98902.00 रह गयी थी। उक्त संयोजन पर स्थापित मीटर संख्या–5136258 का माह 06/2025, अवधि दिनांक 31.05.2025 से दिनांक 30.06.2025 तक (जारी करने का दिनांक 05.07.2025), मीटर यूनिट के आधार पर 20220 यूनिट (maximum demand 77.4 KVA) का रू0 292433.00 (मय बकाया) निर्गत किया गया था। जिसका भुगतान वादी द्वारा नही किया गया। उक्त संयोजन पर स्थापित मीटर संख्या–5136258 का माह 07/2025, अवधि दिनांक 30.06.2025 से दिनांक 31.07.2025 तक (जारी करने का दिनांक 12.08.2025), मीटर यूनिट के आधार पर 7460 यूनिट (maximum demand 70.4 KVA) का रू0 363074.00 (मय बकाया) निर्गत किया गया था। जिसका भुगतान वादी द्वारा नही किया गया। उक्त संयोजन पर स्थापित मीटर संख्या–5136258 का माह 09/2025, अवधि दिनांक 31.07.2025 से दिनांक 30.09.2025 तक (जारी करने का दिनांक 17.10.2025), एनए के आधार पर provisionally 13108 यूनिट (maximum demand 44 KVA) का रू0 489114.00 (मय बकाया) निर्गत किया गया था। जिसका भुगतान वादी द्वारा नही किया गया। उक्त संयोजन पर स्थापित मीटर संख्या–5136258 का माह 10/2025, अवधि दिनांक 30.09.2025 से दिनांक 31.10.2025 तक (जारी करने का दिनांक 13.11.2025), एनआर के आधार पर provisionally 13108 यूनिट (maximum demand 45 KVA) का रू0 606057.00 (मय बकाया) निर्गत किया गया था। जिसका भुगतान वादी द्वारा नही किया गया।

उक्त से स्पष्ट है कि वादी के संयोजन पर दिनांक 19.06.2025 के बाद कोई भुगतान नही किया गया तथा माह 06/2025 (मीटर यूनिट के आधार पर निर्गत) व माह 07/2025 (मीटर यूनिट के आधार पर निर्गत) का भी कोई भुगतान नही किया गया। अतः वादी का संयोजन माह 08/2025 को बकाया होने के कारण अस्थाई विच्छेदित कर दिया गया। तथा वादी का यह कहना गलत है कि उसका बिल प्रायः एक लाख रूपये आता था, उक्त से स्पष्ट है कि वादी का बिल माह 03/2025, माह 04/2025, माह 05/2025, माह 06/2025 व माह 07/2025 उपभोग की गई मीटर यूनिट व maximum demand के आधार पर निर्गत किया गया था। तथा उक्त से स्पष्ट है कि वादी का बिल माह 09/2025, माह 10/2025 एनआर के आधार पर provisionally निर्गत किया गया था। तथा माह 10/2025 का कुल बकाया रू0. 606057.00 (मय बकाया, सरचार्ज व दिनांक 31.07.2025 से 31.10.2025 तक का provisionally राशि) निर्गत किया गया था। अतः वादी का संयोजन माह 08/2025 को बकाया होने के कारण अस्थाई विच्छेदिन कर दिया गया। तथा वर्तमान में वादी का संयोजन अस्थाई विच्छेदित हुए लगभग 05 माह हुए है न कि 6 माह। अतः वादी का यह कहना कि उसका संयोजन करीब 6 माह से कट है गलत है। तथा 6 माह पूर्ण होने पर schapter 6: Disconnection & reconnection की sub clause 6.1 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

CHAPTER 6: DISCONNECTION & RECONNECTION

6.1 Disconnection on non-payment of the Licensee's Dues

(1) The bill issued by the Licensee to the consumer shall be treated as Bill-cum-Disconnection Notice. By Bill-cum-Disconnection Notice, it is meant that the Licensee shall give a due date of atleast 15 days for payment of dues from the bill date and subsequent to the due date, the Licensee shall give further 15 days for disconnection as per Section 56 of the Act. Thereafter, the Licensee may temporarily disconnect the consumer's installation on expiry of the said notice period by disconnecting service

क्रमशः.....03

line/connection from distributing mains. If the consumer does not clear all the dues including arrears within 6 months of the date of temporary disconnection, such connections shall be disconnected permanently by removing meter and other equipment as the case may be, installed at the consumer's premises for connection. Final amount due to the consumer shall be adjusted against the Security Deposit including interest on the same and balance recoverable amount shall be recovered through the applicable laws of Revenue Recovery.

उक्त से स्पष्ट है कि वादी की वाद आधारहीन है तथा वादी का वाद निरस्त होने योग्य है।

मंच के समक्ष परिवादी श्री मुन्ना तथा विपक्षी की ओर से सहायक अभियन्ता श्री एस0के0गौतम उपस्थित हुए।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन, 45.00 किलोवाट भार पर, दिनांक 01.03.2025 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 12.08.2025 तक एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। तदपश्चात दिनांक 17.10.2025 तथा दिनांक 13.11.2025 को, एनआर आधार पर बिल जारी किए गए हैं। विपक्षी विभाग के कथनानुसार, परिवादी का प्रश्नगत विद्युत संयोजन, विद्युत बिल के बकाये की धनराशि का भुगतान लंबित हो जाने के परिणामस्वरूप, माह 08 / 2025 को, अस्थायी रूप से विच्छेदित किया गया है। पत्रावली में उपलब्ध बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार, दिनांक 12.08.2025 को जारी बिल में दर्शायी गई मीटर रीडिंग / खपत—3283 केवीएएच तक, की गई विद्युत खपत के सापेक्ष, रू0 363074.00 की धनराशि का भुगतान परिवादी द्वारा किया जाना है तदपश्चात, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या—5136258 पर, अस्थायी विच्छेदन की तिथि तक, की गई विद्युत खपत के आधार पर तथा अस्थायी विच्छेदन की तिथि से वर्तमान तक की अवधि हेतु फिक्स्ड चार्ज का भुगतान परिवादी द्वारा देय है। अतः परिवादी के संयोजन पर स्थापित उक्त मीटर संख्या—5136258 पर दिनांक 12.08.2025 के पश्चात दर्ज वास्तविक विद्युत खपत / रीडिंग के आधार पर, विद्युत बिल परिवादी को जारी किए जाने की आवश्यकता है ताकि दिनांक 17.10.2025 तथा दिनांक 13.12.2025 को एनआर आधार पर जारी बिलों का समायोजन करते हुए, वास्तविक विद्युत खपत के बिल, परिवादी को जारी किए जा सकें।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी के प्रश्नगत विद्युत संयोजन पर गतिमान / स्थापित मीटर संख्या—5136258 पर दर्ज वास्तविक विद्युत खपत / रीडिंग के आधार पर, विद्युत बिल परिवादी को जारी किए जाने की आवश्यकता है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी के प्रश्नगत विद्युत संयोजन पर गतिमान / स्थापित मीटर संख्या—5136258 पर दर्ज वास्तविक विद्युत खपत / रीडिंग के आधार पर, विद्युत बिल परिवादी को जारी करे। विपक्षी विभाग आदेश की अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

09/03/2026 — 09/03/2026

(संजय कुमार)	(जी0 एस0 धर्मसत्तू)	(सतीश उनियाल)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

<u>नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज—I, देहरादून में अपील कर सकता है।</u>

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 14 / 2026 दिनांक : 17.03.2026

परिवादी :– श्री जाबिर पुत्र श्री ताहिर, निवासी–ग्राम घोड़ेवाला भारापुर, पोस्ट–भौंरी, रूड़की, जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नगरीय, रूड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार	न्यायिक सदस्य
श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू	तकनीकी सदस्य
श्री सतीश उनियाल	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री जाबिर पुत्र श्री ताहिर, निवासी–ग्राम घोडेवाला, भारापुर, पोस्ट–भौंरी, रूड़की, जिला–हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या–682बीबी02433403 के सन्दर्भ में कथन किया है कि उक्त घरेलू विद्युत कनैक्शन पर स्थापित डिफेक्टिड मीटर सं0–जीयू168980, स्वीकृत भार–02 किलोवाट के अत्यधिक धनराशि के बिल प्राप्त हो रहे थे। उनके द्वारा दिनांक 01.03.2023 से दिनांक 01.10.2025 के प्राप्त बिलों का भुगतान रू0. 25.000.00 जमा किया जा चुका है तथा विद्युत विभाग के अधिकारियों से मिलकर अनुरोध किया कि वह एक सामान्य विद्युत उपभोक्ता है, उनके यहां इतनी विद्युत खपत भी नहीं है, असामान्य रूप से बिल प्राप्त हो रहे हैं कृपया कर इसे ठीक करवा दें। लम्बे समय तक अनुरोध किये जाने पर उनके परिसर पर, मेन मीटर सं0–जीयू168980, उपरोक्त के बराबर में चैक मीटर सं0–यू950422 दिनांक 17.01.2025 को लगाया गया। तदोपरांत मीटर सीलिंग प्रमाण पत्र क्रमांक 359 क्रम संख्या 20, दिनांक 10.02.2025 द्वारा उनके परिसर से चैक मीटर को उतारा गया और चैक रिपोर्ट में यह पाया गया कि उपभोक्ता का पुराना मीटर 100.7 प्रतिशत तेज चल रहा है, तथा उनके परिसर से मीटर का उतार लिया गया। विद्युत विभाग द्वारा हद यह की जा रही है कि अधिशासी अभियंता एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा रंजिशन उनके परिसर में 100.7 प्रतिशत अधिक तेज गति से चल रहे मीटर को उतारकर उसके स्थान पर न तो लैब से मानक अनुसार चैक किया हुआ सही मीटर लगाया जा रहा है और ना ही उनको तदानुसार संशोधित बिल बनाकर दिया जा रहा है। उन्होंने विद्युत विभाग से करबद्ध निवेदन किया कि वह गरीब आदमी हैं, वाजिब बिजली बिल को हर समय अदा करने को तैयार हैं, कृपया करके उन्हें उपरोक्त कनैक्शन से संबन्धित जो चैक मीटर में 100.7 प्रतिशत तेज गति का पाया गया है, उसको उस अवधि की रीडिंग से घटाकर उचित रीडिंग का बिल बनाकर दे दिया जाए वह उस सही बिल को तुरंत ही जमा कर देंगे और उनके परिसर में सही बिजली मीटर लगवा दिया जाए ताकि वह बिजली बिल की पैनाल्टी आदि व परेशानियों से बच सकें, लेकिन विद्युत विभाग के अधिकारियों ने कोई सुनवाई नहीं की और आतिथि तक भी उनकी उपरोक्त समस्या का कोई समाधान जानबूझकर नहीं किया गया है और श्रीमती अनिता सैनी, सहायक अभियंता उनसे ब्लैकमेलिंग कर धन ऐंठना चाहती है, उक्त अनिता सैनी

क्रमशः.....02

भ्रष्टाचार में आकण्ठ डूबी हुई हैं, जिसका एक उदाहरण यह है कि बिना सर्वे, इस्टीमेंट के घोड़ेवाला में पुराने ट्रांसफार्मर के आसपास खम्बा लगा दिया था, रिश्वत न देने पर ट्रांसफार्मर के आसपास खम्बा लगा दिया था, रिश्वत न देने पर खम्भा ट्रांसफार्मर के पास से उखाड़ लिया है, जो कि इरफान लाईनमैन की मार्फत वसूली जैसे गलत काम करती है, रिश्वत मिलने पर सब काम ठीक करा देती है, अन्यथा उपभोक्ताओं को परेशान करने का कोई मौका नहीं चूकती हैं और क्षेत्र के पीड़ित उपभोक्ताओं ने इरफान लाईनमैन के खिलाफ हंगामा करके इसे हटवाया गया है। उक्त सहायक अभियंता के विरूद्ध क्षेत्रीय जनता में रोष व्याप्त है। विद्युत विभाग द्वारा उपरोक्त परिस्थितियों के बावजूद हद यह की गयी है कि उनके परिसर की चैकिंग रिपोर्ट सं0 46402 दिनांक 28.08.2025 बनाकर रू0. 120214.00 का अनन्तिम निर्धारण करके व अन्य अधिरोपित अर्थदण्ड अदा करने के लिये पत्रांक 3021/वि.वि.ख.न.रू./रेड्स दिनांक 06.09.2025 भेजा गया है। तथा अधिशासी अभियंता एवं सहायक अभियंता के उकसावे में आकर यह धमकी दी है कि "जाबिर, वह उनके खिलाफ इतने बिल बनाऐंगी, उनके घर पर विद्युत की इतनी रेड डलवाऐंगी कि उनकी सारी सम्पत्ति नीलाम हो जायेगी, वह, उनके द्वारा लगाये गये पैनाल्टी बिलों को देता–देता मर जायेगा, वह, उन्हें नहीं जानता है, वह वहां की एस0डी0ओ0 हैं, उनका भाई अनूप सैनी, अधिशासी अभियंता हैं, उनकी बड़ी पहुंच है, वह, उन्हें बरबाद कर देंगी।" विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा उनका उत्पीड़न यहीं नहीं रूका, बल्कि उनके द्वारा दिनांक 07.01.2025 को फिर से उनके परिसर में रेड डाली गयी और फिर से उनको धमकी दी है कि "जब तक वह, उन्हें मुंहमांगी रिश्वत नहीं देगा, तब तक ना तो उसके यहां मीटर लगेगा, ना कोई सही बिल बनेगा, वह जो चाहें कर सकता है, वह व सतर्कता विभाग देहरादून ऐसे की आये दिन उसके यहां रेड डालते रहेंगे, देखते हैं वह उनसे कैसे बच पायेगा, जब तक वह नहीं चाहेंगे, कुछ नहीं होगा और ना उनसे होता हो, वह उनका बिगाड ले तथा इस प्रकार विद्युत विभाग के अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी उनकी कोई भी सुनवाई करने को तैयार नहीं हैं। वह नियमानुसार उचित रीडिंग का पिछला बिजली बिल अदा करने व नया मीटर लगाये जाने पर उनके अनुसार बिल देने को तैयार एवं तत्पर है, लेकिन विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा लगातार लम्बे समय से टालमटोल करते हुए कोई सुनवाई नहीं की गयी, जिससे वह अत्यधिक व्यथित हैं। उपरोक्त परिस्थितियों में विद्युत विभाग के अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा गलत नीयत व मंशा से उनको जानबूझकर उत्पीड़न किया जा रहा है जिससे यू0पी0सी0एल0 की छवि खराब हो रही है और वह व उसका परिवार उपरोक्त हालात में हर समय बहुत दुखी व परेशान हैं। वह व्यथित होकर यह प्रत्यावेदन/शिकायत/परिवाद समुचित एवं न्यायोचित निस्तारण हेतु मंच के समक्ष प्रेषित कर रहे हैं। अतः मंच से अनुरोध है कि उक्त शिकायत को स्वीकार कर उपभोक्ता हित में तथ्यों की सुनवाई कर समुचित एवं न्यायोचित निस्तारण करने व उनके परिसर में अविलम्ब पुराने उतारे गये मीटर के स्थान पर नया सही चैक किया हुआ मीटर लगवाकर विद्युत आपूर्ति सुचारू कराये जाने व चैक मीटर में जो पुराना मीटर 100.7 प्रतिशत तेज पाया गया है, कि अधिक रीडिंग को उचित रूप से कम/संशोधित कर बिल बनाकर देने के आदेश पारित किये जाए।

विपक्षी विभाग के उपखण्ड अधिकारी द्वारा पत्र संख्या 68 दिनांकित 30.01.2026 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा संयोजन संख्या–682बीबी02433403 पर 2 किलोवाट भार का घरेलू संयोजन दिनांक 19.01.2023 को स्वीकृत कराया गया था। जबकि शिकायतकर्ता का मकान एक बडे बंगले के प्रकार का भवन है जिसमें Air Conditioner, Immersion rod, Submersible, Fridge एवं अन्य समस्त प्रकार के विद्युत उपकरण जो एक समृद्ध भवन के उपयोग में लाये जाते है, जुड़े हुये हैं।

क्रमशः.....03

उक्त भवन का अनुमानित संबद्व भार लगभग 08 किलोवाट है। शिकायतकर्ता के विद्युत मापक संख्या यू913498 / Genus द्वारा प्रतिस्थापन तिथि 23.11.2023 से दिनांक 25.12.2024 तक संबद्व भार के अनुरूप ही खपत की जा रही थी, जिसका विवरण निम्न तालिका में अंकित है—

S. No	From	Upto	Period (Days)	Prev KWH	Pres KWH	Status as per HIS	Consume unit as per HIS	As Per Consumption	Per/Month AVG
1	23.11.23	28.02.24	97	0	6045	CDF	3050	6045	1896 U/M
2	28.02.24	21.03.24	22	6045	7317	CDF	1157	1272	1758 U/M
3	21.03.24	27.04.24	37	7317	8782	CDF	1946	1465	1205 U/M
4	27.04.24	23.05.24	26	8782	10312	CDF	1367	1530	1789 U/M
5	23.05.24	24.06.24	32	10312	12225	CDF	1683	1913	1818 U/M
Revised Due to Bifercation in Month of July 2024									
6	21.11.23 Revise Bill Period	24.07.24	244	0	14114	MU	14114	14114	1760 U/M
7	24.07.24	28.08.24	35	14114	16401	MU	2287	2287	1987 U/M
8	28.08.24	23.09.24	26	16401	17921	MU	1520	1520	1779 U/M
9	23.09.24	23.10.24	30	17291	NR	NR	NR	NR	NR
10	23.10.24	29.11.24	67	NR	20889	MU	2968	2968	1348 U/M
11	29.11.24	25.12.24	26	20889	21773	MU	884	884	1035 U/M
Total			13 Months		21773 Units				1674 U/M

उपरोक्त सारणी में अंकित मासिक खपत शिकायतकर्ता के संबद्व भार 08 किलोवाट के अनुरूप की जा सकने वाली खपत से मेल खा रही है। शिकायतकर्ता के अनुरोध पर दिनांक 17.03.2025 को चैक मीटर स्थापित किया गया। दिनांक 26.02.2025 को तत्कालिन अवर अभियंता एवं अधोहस्ताक्षरी द्वारा राजस्व शिविर के दौरान शिकायतकर्ता के परिसर का ओचक निरीक्षण किया गया, निरीक्षण करने पर पाया गया कि शिकायतकर्ता द्वारा चैक मीटर की Out Put Supply को बंद करके परिसर का भार मुख्य मीटर पर जोड़ रखा है। जिससे चैक मीटर परिणाम में मुख्य मीटर को तेज दिखाया जा सकें। उक्त की विडियोग्राफी अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित है। शिकायतकर्ता द्वारा स्वयं से चैक मीटर परिणाम में परिवर्तन कराये जाने के कारण ही अधोहस्ताक्षरी द्वारा सहायक अभियंता, (मापक) विद्युत परीक्षणशाला (नगरीय), रूड़की को इस कार्यालय के पत्रांक संख्या 155 दिनांक 05.03.2025 के माध्यम से Test Bench पर मुख्य मीटर को जाँचने एवं MRI करने हेतु पत्राचार किया गया था। जिसके फलस्वरूप Test Bench में मुख्य मीटर सही पाया गया। साथ ही MRI के विश्लेषण में भी मुख्य मीटर सही पाया गया। तथा नये विद्युत मापक संख्या जीयू168980 / Genus की खपत को शिकायतकर्ता द्वारा मुख्य सर्विस केबिल में कट लगाकर कम दर्शाया गया जिस पर प्रवर्तन दल के साथ चैकिंग उपरांत विद्युत चोरी के जुर्माना निर्धारण की कार्यावाही की गई। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता के विद्युत मापक संख्या यू950422 द्वारा तंकनीकी दृष्टि से संबद्व भार के अनुरूप ही खपत की जा रही थी। लेकिन शिकायतकर्ता द्वारा चैक मीटर एवं मुख्य मीटर के मध्य हस्तक्षेप कर चैक मीटर परिणाम को परिवर्तित किया है। जबकि Test Bench Report एवं MRI विश्लेषण के अनुसार चैक मीटर परिणाम शून्य पाया गया। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि शिकायतकर्ता द्वारा अधोहस्ताक्षरी पर लगाये गये सभी आरोप मनगढ़ंत, मिथ्या एवं निराधार है जो शिकायतकर्ता के परिसर पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा रेड किये जाने एवं संयोजन विच्छेदित किये जाने की कार्यावाही से क्षुब्ध होकर लगाये गये हैं।

क्रमशः......04

मंच के समक्ष परिवादिनी अनुपस्थित तथा विपक्षी की ओर से अधिशासी अभियंता श्री अनिल कुमार मिश्रा उपस्थित हुए।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन, 02.00 किलोवाट भार पर, दिनांक 19.01.2023 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 24.07.2025 तक, एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। तद्पश्चात, दिनांक 01.09.2025 तथा दिनांक 01.10.2025 को, एनआर आधार पर विद्युत बिल जारी किए गए हैं। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी के प्रश्नगत संयोजन को विद्युत बिल की बकाया धनराशि का भुगतान न किए जाने के परिणामस्वरूप, दिनांक 02.10.2025 को, अस्थायी रूप से विच्छेदित किया गया है।

पत्रावली में उपलब्ध बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार, दिनांक 01.02.2025 को जारी विद्युत बिल की धनराशि रू0 180116.00 के सापेक्ष मात्र रू0 25000.00 का भुगतान परिवादी द्वारा, रसीद संख्या–9551826022536005 के माध्यम से दिनांक 26.02.2025 को किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा, गत महिनों/वर्षों में, निम्नानुसार, विद्युत खपत के बिल जारी किए गए हैं:

मीटर संख्या	अवधि			विद्युत खपत/रीडिंग का विवरण			
	से	तक	माह (लगभग)	IR (kWh)	FR (kWh)	कुल खपत (यूनिट)	औसत खपत (यूनिट/माह)
यू913498	19.01.23	21.08.23	7.00	00	493	493	70
	21.08.23	23.11.23	3.00	—	—	227	76
यू950422	23.11.23	28.02.24	3.16	00	6045	6045	1913
	28.02.24	24.06.24	3.86	6045	12225	6180	1601
	24.06.24	24.07.24	1.00	12225	14114	1889	1889
	23.11.23	24.07.24	24.08	00	14114	14114	1764
	24.07.24	25.12.24	5.00	14114	21773	7659	1532
	25.12.24	10.02.25	1.50	21773	22682	909	606
	23.11.23	10.02.25	14.56	00	22682	22682	1558
जीयू168980	10.02.25	24.07.25	5.46	136	3413	3277	600

पत्रावली में उपलब्ध, मीटर संख्या–यू950422 की एमआरआई रिपोर्ट के अनुसार, विभिन्न तिथियों में, उक्त मीटर पर, विद्युत खपत/रीडिंग/अधिकतम भार, निम्नानुसार, दर्ज पाई गई है:

अवधि			विद्युत खपत/रीडिंग का विवरण				अधिकतम भार (kW)
से	तक	माह (लगभग)	IR (kWh)	FR (kWh)	कुल खपत (यूनिट)	औसत खपत (यूनिट/माह)	
23.11.23	01.03.24	3.80	00	6123	6123	1611	
01.03.24	01.04.24	1.00	6123	7614	1491	1491	4.990
01.04.24	01.05.24	1.00	7614	8918	1304	1304	4.537
01.05.24	01.06.24	1.00	8918	10859	1941	1941	7.283

01.08.24	01.09.24	1.00	14661	16637	1975	1975	5.663
01.09.24	01.10.24	1.00	16637	18414	1777	1777	5.891
01.10.24	01.11.24	1.00	18414	19880	1466	1466	5.494
01.11.24	01.12.24	1.00	19880	20937	1057	1057	4.050
01.12.24	01.01.25	1.00	20937	21948	1011	1011	2.256
01.01.25	01.02.25	1.00	21948	22629	681	681	2.248

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 19.01.2023 से दिनांक 23.11.2023 तक, लगभग 10 माह की अवधि हेतु, परिवादी द्वारा अनुबंधित भार–5.00 किलोवाट के सापेक्ष अत्यन्त कम विद्युत खपत के बिल, परिवादी को जारी किए गए हैं। विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी के प्रश्नगत विद्युत संयोजन पर, पूर्व में स्थापित मीटर संख्या–यू913498 के जल जाने के उपरांत, दिनांक 23.11.2023 को, मीटर संख्या–यू950422 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। परिवादी द्वारा उक्त मीटर संख्या–यू950422 के माध्यम से दिनांक 23.11.2023 से दिनांक 10.02.2025 तक, लगभग 14.56 माह की अवधि में, कुल 22682 (22682–00) यूनिट की विद्युत खपत की गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा, उक्त 14.56 माह की अवधि में, लगभग 1558 यूनिट प्रति माह की औसत दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है। परिवादी द्वारा उक्त 14.56 माह की अवधि में, अनुबंधित भार–5.00 किलोवाट के सापेक्ष, 7.283 किलोवाट तक के अधिकतम भार का उपभोग किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा, मीटर संख्या–यू950422, दिनांक 07.03.2025 को संपादित लैब टैस्ट में सही पाया गया है। अतः चैक मीटर की फाइनल रिपोर्ट का संज्ञान लेना उचित प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त विवरण से यह भी स्पष्ट होता है कि विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी के प्रश्नगत विद्युत संयोजन पर, दिनांक 23.11.2023 से दिनांक 10.02.2025 तक की अवधि में, गतिमान मीटर संख्या–यू950422 पर दर्ज वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर ही, विद्युत बिल जारी किए गए हैं जो कि पत्रावली में उपलब्ध उक्त मीटर की एमआरआई रिपोर्ट पर दर्ज विद्युत खपत/रीडिंग तथा परिवादी द्वारा उपभोग की गई अधिकतम भार के सापेक्ष सही प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी के प्रश्नगत विद्युत संयोजन पर, दिनांक 23.11.2023 से दिनांक 24.07.2025 तक की अवधि में स्थापित मीटर संख्या–यू950422 तथा वर्तमान में गतिमान मीटर संख्या–जीयू168980 में, दर्ज वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर, विद्युत बिल परिवादी को जारी किए गए हैं परिणामस्वरूप, वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर जारी प्रश्नगत बिलों में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन किया जाना संभव नहीं है। अतः परिवादी का यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(संजय कुमार)	(जी0 एस0 धर्मसत्तू) 17/03/2026	(सतीश उनियाल) 17/03/2026
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत),

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 20/2026 दिनांक : 09.03.2026

परिवादी :– श्री तेजपाल सिंह पुत्र स्व0 सोमी देवी, ग्राम–शान्तरशाह, पोस्ट–दौलतपुर, रूड़की।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नगरीय, रूड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार — न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू — तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री तेजपाल सिंह पुत्र स्व0 सोमी देवी, ग्राम–शान्तशाह, पोस्ट–दौलतपुर, रूड़की द्वारा विद्युत संयोजन संख्या–689डीपीडब्लू9710910 के सन्दर्भ में कथन किया है कि शिकायतकर्ता की माता श्रीमती सोमी देवी पत्नी रोढ़ा सिंह द्वारा सिचांई हेतु एक विद्युत कनैक्शन, विद्युत विभाग से लिया गया था। जिस पर विद्युत विभाग द्वारा मीटर संख्या 317375 लगाया गया है। शिकायतकर्ता की माताजी श्रीमती सोमी देवी की मृत्यु दिनांक 25.11.2009 को हो चुकी है। शिकायतकर्ता द्वारा विद्युत विभाग को उक्त विद्युत कनैक्शन के बिल का भुगतान नियमित रूप से किया जाता रहा है शिकायतकर्ता द्वारा उक्त विद्युत कनैक्शन को अपनी माताजी की मृत्यु उपरांत अपने नाम कराने हेतु कई बार प्रार्थना पत्र दिये गये हैं किंतु विद्युत विभाग द्वारा उक्त विद्युत कनैक्शन का नाम परिवर्तित शिकायतकर्ता के नाम नहीं किया गया है। शिकायतकर्ता को विद्युत विभाग द्वारा एक बिल दिनांक 08.03.2017 को दिनांक 07.07.2012 से 28.02.2017 तक का रू0. 57274.00 का दिया गया, जिसकी अदा करने की तिथि दिनांक 31.03.2017 बिल में दर्शित थी। उक्त विद्युत बिल का भुगतान शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 31.03.2017 को विद्युत विभाग को कर दिया गया था और विद्युत विभाग से रू0. 57300.00 की रसीद संख्या 06 पुस्तक संख्या एफ 078539 प्राप्त कर ली गई थी। शिकायतकर्ता को विद्युत विभाग द्वारा दिनांक 31.03.2017 के बाद उपरोक्त विद्युत कनैक्शन के सम्बंध में कोई भी बिल निर्गत नहीं किया गया। मांगने पर कहा कि बिल पते पर पहुँच जायेगा। शिकायतकर्ता को विद्युत विभाग द्वारा अब वर्तमान में उक्त विद्युत कनैक्शन का एक बिल गलत, मिथ्या व विधि विरूद्ध रूप से रू0. 199384.00 का जारी किया गया है। शिकायतकर्ता को उक्त बिल को देखकर अत्यंत शारीरिक व मानसिक आघात पहुंचा क्योकि शिकायतकर्ता बार–बार विद्युत विभाग के कार्यालय में अपने उपरोक्त विद्युत कनैक्शन के बिल हेतु जाता रहा है किंतु विद्युत विभाग द्वारा कोई बिल शिकायतकर्ता को नहीं दिया गया है। विद्युत विभाग द्वारा शिकायतकर्ता को गलत समय से जारी बिल रू0. 199384.00 का दिनाांकित 20.04.2020 को अविलंब निरस्त कर संशोधित सही बिल शिकायतकर्ता को प्रेषित किया जाये। शिकायतकर्ता ने उक्त बिल रू0. 199384.00 के खिलाफ जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया था। जिस पर जिला उपभोक्ता फोरम ने उनको दिनांक 28.02.2017 के बाद का नया बिल दिया जाने के आदेश दिये। परंतु विभाग ने कोई बिल नहीं दिया। क्रमशः.....02

दिनांक 31.08.2021 का आदेश संलग्न है। विद्युत विभाग द्वारा उपभोक्ता फोरम के आदेश के विरूद्ध राज्य उपभोक्ता फोरम में अपील दायर कर दी गई। जिस पर राज्य फोरम ने शिकायतकर्ता को विद्युत उपभोक्ता निवारण फोरम में नई शिकायत देने को कहा गया है यह आदेश दिनांक 31.10.2025 का है। अतः मंच से अनुरोध है कि विद्युत विभाग द्वारा शिकायतकर्ता को गलत रूप से जारी बिल रू0. 199384.00 दिनांकित 20.04.2020 का बिल निरस्त कर संशोधित बिल दिलाया जाये। शिकायतकर्ता पर ब्याज/पैनाल्टी न लगायी जाए। शिकायतकर्ता का विद्युत कनैक्शन न काटा जाये। जिससे उनकी फसल खराब न हो।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियंता द्वारा पत्र संख्या 3031 दिनांकित 16.02.2026 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि विभागीय अभिलेखानुसार संयोजन संख्या 689डीएमडी9710910 (निजी नलकूप श्रेणी) सोमी देवी निवासी ग्राम शांतरशाह के नाम पर 07 जुलाई सन् 2012 से चला आता है। संयोजन निर्गत करने से लेकर माह मार्च 2017 तक Unmetered Supply के विभागीय नियमानुसार निर्धारण धनराशि रू0. 104658 का निर्धारण उपभोक्ता के विद्युत बीजक माह मार्च 2017 मे सम्मिलित कर दिया गया, जिसके उपरांत उपभोक्ता द्वारा बकाया रू0. 161932.00 में से रू0. 57274.00 दिनांक 31.03. 2017 को जमा कर दिये गये थे। उपभोक्ता द्वारा बकाया धनराशि रू0. 104632.00 पर आपत्ति लगाते हुए, वर्ष 2017 में माननीय उपभोक्ता संरक्षण फोरम हरिद्वार के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया जिस कारण उपभोक्ता का विद्युत संयोजन विच्छेदित नही किया गया। माननीय उपभोक्ता संरक्षण फोरम हरिद्वार द्वारा विभाग के विरूद्ध निर्णय पारित किया गया जिसके उपरांत विभाग द्वारा राज्य उपभोक्ता आयोग देहरादून के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। जिस में राज्य उपभोक्ता आयोग द्वारा वाद विद्युत बीजक से संबन्धित होने के कारण वाद उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के समक्ष स्थानान्तरित कर दिया गया।

मंच के समक्ष परिवादी श्री तेजपाल सिंह तथा विपक्षी की ओर से अधिशासी अभियंता श्री अनिल कुमार मिश्रा उपस्थित हुए।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन, श्रीमती सोमी देवी पत्नी श्री रोढ़ा सिंह के नाम पर निर्गत किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा प्रस्तुत अनुबंध पंजिका के अवलोकन से विदित होता है कि पत्रांक 1713 दिनांक 30.03.2007 के माध्यम से, श्रीमती सोमी देवी पत्नी श्री रोढ़ा सिंह के नाम पर, 7.5 एचपी विद्युत भार, निजी नलकूप के प्रयोगार्थ स्वीकृत किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा, उक्त स्वीकृत भार के सापेक्ष रू0 70362.00 की धनराशि का प्रांकलन संख्या–126/06–07 स्वीकृत किया गया है। तद्पश्चात टीसी संख्या–1846 दिनांक 30.03.2007 के माध्यम से रू0 8943.00 की धनराशि को जमा किए जाने हेतु, श्रीमती सोमी देवी को अवगत कराया गया है। इसी क्रम में, श्रीमती सोमी देवी द्वारा, सर्विस कनैक्शन चार्ज मद में रू0 6543. 00 तथा प्रतिपूर्ति मद में रू0 2400.00 की धनराशि रसीद संख्या–17/074991 दिनांक 31.03.2007 को जमा की गई है। तदोपरांत विपक्षी विभाग द्वारा, श्रीमती सोमी देवी के नाम पर कनैक्शन संख्या–00ए2/710910 निर्गत किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा, श्रीमती सोमी देवी पत्नी श्री रोढ़ा सिंह के नाम पर जारी मीटर सिलिंग प्रमाणपत्र संख्या–1004/ईटीडी आरकेई–19/16, दिनांक 12.07.2012 के अवलोकन से विदित होता है कि प्रश्नगत विद्युत संयोजन पर, ईईडीडीआर द्वारा प्रस्तुत इण्डेंट संख्या–4440 दिनांक 30.06.2012 के क्रम में, मीटर संख्या–317375 के माध्यम से, दिनांक 12.07.2012 को, पूर्व में स्थापित मीटर को, पूर्णतया जली अवस्था में, प्रतिस्थापित किया गया है। उक्त मीटर सिलिंग प्रमाणपत्र पर श्री राजाराम के हस्ताक्षर अंकित हैं जो कि स्व0 श्रीमती सोमा देवी के पुत्र हैं, पूर्णतया जले मीटर का मूल्य रू0 3600.00 का भुगतान रसीद संख्या–44/81213 द्वारा जमा किया गया है। परिवादी द्वारा, उक्त विद्युत मीटर संख्या–317375 के माध्यम से, दिनांक 12.07.2012 (07.07.2012) से दिनांक 28.

क्रमशः.....03

28.02.2017 (08.03.2017) तक, लगभग 55.53 माह की अवधि में कुल 45386 (45386–0) यूनिट की, विद्युत खपत की गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा उक्त 55.53 माह की अवधि में लगभग 4904 यूनिट प्रति छमाही (817 यूनिट प्रति माह) की औसत दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है। परिवादी द्वारा की गई उक्त विद्युत खपत के आधार पर, विपक्षी विभाग द्वारा रू0 57274.00 की धनराशि का विद्युत बिल, दिनांक 08.03.2017 को, जारी किया गया है जिसका भुगतान, परिवादी द्वारा रसीद संख्या–078539/06 के माध्यम से दिनांक 31.03.2017 को किया गया है।

पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 08.03.2017 से पूर्व कोई भी विद्युत बिल, परिवादी को जारी नहीं किया गया है जबकि मीटर सिलिंग प्रमाणपत्र संख्या–1004/ईटीडी आरकेई–19/16, दिनांक 12.07.2012 में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर, पूर्व में स्थापित विद्युत मीटर पूर्णतया जली अवस्था में पाया गया है। पत्रावली में उपलब्ध लेजर की छायाप्रति के अवलोकन से यह विदित होता है कि विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 01.07.2007 से दिनांक 06.07.2012 (11.07.2012) तक की अवधि के सापेक्ष, कार्यालय ज्ञाप संख्या–1138 दिनांक 15.03.2017 के माध्यम से, विद्युत बिल की धनराशि रू0 104658.00, परिवादी के बिलों/खातों में जोड़ा गया है परंतु उक्त बिल की धनराशि रू0 104638.00 का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 08.03.2017 (28.02.2017) के पश्चात, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या–317375 (दिनांक 16.06.2021 तक) तथा मीटर संख्या–9141175 (दिनांक 30.11.2022 से वर्तमान तक) में दर्ज विद्युत खपत के आधार पर, विद्युत बिल, परिवादी को जारी किए गए हैं। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 16.06.2021 से दिनांक 30.11.2022 तक की अवधि हेतु, विपक्षी विभाग द्वारा पूर्व में जारी दो बिलिंग चक्रों के सापेक्ष, दर्ज औसत विद्युत खपत के आधार पर, विद्युत खपत का निर्धारण करते हुए आईडीएफ आधार पर अनंतिम बिल जारी किए गए हैं। परिवादी द्वारा विवादित ठहराये गए विद्युत बिल रू0 199384.00 की धनराशि में, दिनांक 01.07.2007 से दिनांक 06.07.2012 (दिनांक 11.07.2012) तक की अवधि हेतु निर्मित बिल की धनराशि रू0 140658.00 तथा दिनांक 28.02.2017 (08.03.2017) से दिनांक 16.06.2021 तक, परिवादी द्वारा, मीटर संख्या–317375 पर दर्ज वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर, जारी बिल की धनराशि सम्मिलित है। हालांकि विपक्षी विभाग द्वारा उक्त बिल की धनराशि रू0 104658.0 का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

मा0 राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, देहरादून द्वारा, प्रश्नगत विषय में, मा0 जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, हरिद्वार द्वारा पारित आदेश संख्या–62/2020 दिनांक 31.08.2021 तथा परिवादी की शिकायत को भी खारिज करते हुए, आदेश संख्या–एससी/5/ए 146/2021 दिनांक 31.10.2025, पारित किया गया है। मा0 राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, देहरादून द्वारा पारित उक्त आदेश तथा उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में मंच को निम्नलिखित तथ्यों का संज्ञान लेना आवश्यक है:

1. परिवादी द्वारा सुनवाई के दौरान किया गया यह कथन कि प्रश्नगत विद्युत संयोजन वर्ष 2012 में निर्गत किया गया है, सही नहीं है क्योंकि प्रश्नगत विद्युत संयोजन, परिवादी के स्व0 माता जी श्रीमती सोमा देवी के नाम पर निर्गत किया गया है जिनकी मृत्यु दिनांक 25.11.2009 में हो चुकी है।
2. परिवादी द्वारा, श्रीमती सोमा देवी का दिनांक 25.11.2009 को निधन हो जाने के उपरांत, प्रश्नगत संयोजन को, स्वयं के नाम स्थानांतरित किए जाने हेतु किए गए किसी भी प्रयास के साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।
3. परिवादी द्वारा, विद्युत बिल प्राप्त न होने के संबंध में की गई शिकायतों के संबंध में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जबकि परिवादी द्वारा विद्युत का उपभोग, निजी नलकूप के

क्रमशः.....04

माध्यम से किया जाता रहा है।

4. परिवादी द्वारा, प्रश्नगत विद्युत संयोजन पर, दिनांक 12.07.2012 को मीटर सिलिंग प्रमाणपत्र संख्या–1004/ईटीडी आरकेई–19/16, दिनांक 12.07.2012 के माध्यम से स्थापित मीटर संख्या–317375 पर दिनांक 12.07.2012 (दिनांक 07.07.2012) से दिनांक 28.02.2017 (दिनांक 08.03.2017) तक की अवधि में की गई विद्युत खपत–45386 (45386–00) यूनिट के सापेक्ष रू0 57300.00 का भुगतान किया गया है।
5. परिवादी द्वारा, दिनांक 01.07.2007 से दिनांक 12.07.2012 (07.07.2012) तक तथा दिनांक 28.02.2017 (08.03.2017) से वर्तमान तक की अवधि में की गई विद्युत खपत के सापेक्ष जारी बिलों का भुगतान नहीं किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 12.07.2012 से दिनांक 24.12.2025 तक की अवधि हेतु, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या–317375 तथा 9141175 पर दर्ज वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर, विद्युत बिल, परिवादी को जारी किए गए हैं। अतः उक्त अवधि हेतु, वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर जारी बिलों में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन किया जाना संभव नहीं है क्योंकि विपक्षी विभाग द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या–1138 दिनांक 15.03.2017 के माध्यम से दिनांक 01.07.2007 से दिनांक 06.07.2012 तक की अवधि में, की गई विद्युत खपत के सापेक्ष आरोपित बिल की धनराशि रू0 104658.00 का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 01.07.2007 से दिनांक 12.07.2012 तक की अवधि हेतु, परिवादी द्वारा दिनांक 12.07.2012 से दिनांक 28.02.2017 तक की अवधि में की गई कुल विद्युत खपत–45386 (45386–00) यूनिट के सापेक्ष दर्ज औसत विद्युत खपत के आधार पर, उक्त बिल की धनराशि रू0 104658.00 को संशोधित करते हुए, विद्युत बिल, परिवादी को जारी किए जाने की आवश्यकता है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद अंशतः स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह दिनांक 01.07.2007 से दिनांक 12.07.2012 तक की अवधि हेतु, परिवादी द्वारा दिनांक 12.07.2012 से दिनांक 28.02.2017 तक की अवधि में की गई कुल विद्युत खपत–45386 (45386–00) यूनिट के सापेक्ष दर्ज औसत विद्युत खपत के आधार पर, बिल की धनराशि रू0 104658.00 को संशोधित करते हुए, विद्युत बिल, परिवादी को जारी करे। विपक्षी विभाग आदेश की अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

09/03/2026

(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य

09/03/2026

(जी0 एस0 धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य

09/03/2026

(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज–I, देहरादून में अपील कर सकता है।

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 23 / 2026 दिनांक :17.03.2026

परिवादी :– श्रीमती गीता पत्नी श्री गिरिजेन्द्र पाल सिंह, श्री राम एनक्लेव, रामानन्द कालेज के पास, ज्वालापुर, जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ज्वालापुर, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार — न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू — तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवाद के तथ्य– परिवादिनी श्रीमती गीता पत्नी श्री गिरिजेन्द्र पाल सिंह, श्री राम एनक्ले, रामानन्द कालेज के पास, ज्वालापुर, जिला–हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या–JW6999918600 के सन्दर्भ में कागज सं0 1 ता 5 प्रस्तुत कर कथन किया है कि दिनांक 13.12.2023 को टेम्परेली कनेक्शन कराया था, जिसमें रू0 5000.00 की सिक्योरिटी जमा की थी तथा रू0 2000.00 का रिचार्ज करवाया था, अभी तक रू0 5000.00 तथा रिचार्ज की बकाया धनराशि उनको प्राप्त नहीं हुई। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका उपरोक्त बकाया जल्द से जल्द दिलवा दिया जाए।

विपक्षी का जवाब– विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियंता द्वारा कागज सं0 12 ता 13 पत्र संख्या 1739 दिनांकित 23.02.2026 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि खण्ड कार्यालय ज्ञापन 1520 दिनांक 20.02.2026 के माध्यम से श्रीमती गीता पत्नी श्री गिरिजेंद्र पाल सिंह, निवासी–रामानन्द एनक्लेव जमालपुर, हरिद्वार के अस्थाई कनैक्शन संयोजन संख्या–JW6999918600 के अन्तिम बीजक में जमानत धनराशि रू0. 4337.00 उपभोक्ता के स्थाई संयोजन संख्या–JW11295787599 में समायोजित कर दी गयी है।

–:विचारण:–

पत्रावली पेश हुई। परिवादी अनुपस्थित। विपक्षी उपस्थित। विपक्षी द्वारा दौरान वाद शिकायत का समाधान कर दिया गया है जिसकी पुष्टि परिवादी से फोन पर बात कर की गई। परिवादी समाधान से सन्तुष्ट है। तदनुसार परिवाद का निस्तारण किया जाता है।

वाद सं0–23 / 2026
(उ0शि0नि0मं0, हरिद्वार)

आदेश

विपक्षी द्वारा दौरान वाद शिकायत का समाधान कर दिया गया है जिसकी पुष्टि परिवादी से फोन पर बात कर की गई। परिवादी समाधान से सन्तुष्ट है। तदनुसार परिवाद का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(संजय कुमार)	(जी0 एस0 धर्मसत्तू)	(सतीश उनियाल)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश दिनांक से 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज–I, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 24/2026 दिनांक : 09.03.2026

परिवादी :– श्रीमती अनुज देवी पत्नी श्री दुष्यंत सिंह, एफ–16, महेंद्र बिहार, पोस्ट–कनखल, जगजीतपुर, जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ज्वालापुर, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार — न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू — तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती अनुज देवी पत्नी श्री दुष्यंत सिंह, एफ–16, महेंद्र बिहार, पोस्ट–कनखल, जगजीतपुर, जिला–हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या–JW21410180265 के सन्दर्भ में कथन किया है कि उक्त कनैक्शन दिनांक 11.10.2017 से लगा हुआ है, जिसके बिलों का समयानुसार निरंतर भुगतान किया जा रहा है परंतु दिनांक 13.10.2025 में उनका विद्युत बिल गलत और बहुत अधिक रीडिंग 1170 (कुल 27 दिन) का रू0. 7717.00 आया है जो कि गलत है। अतः मंच से अनुरोध है कि पुराने मीटर की जांच कराकर बिल सही करवा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियंता द्वारा पत्र संख्या 1062 दिनांकित 05.02.2026 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता श्रीमती अनुज देवी पत्नी श्री दुष्यंत सिंह, एफ–16, महेंद्र विहार, पोस्ट कनखल, जगजीतपुर, जिला हरिद्वार को माह 10/2025 में मीटर रीडिंग 11794 के आधार पर कुल 1170 यूनिट हेतु रू0. 7717.00 का विद्युत बीजक प्रेषित किया गया है। जिस कारण उपभोक्ता द्वारा उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के समक्ष वाद संख्या 24/2026 प्रेषित किया गया है। मै0 गढ़वाल मीटरिंग प्रा0लि0 द्वारा उपभोक्ता के परिसर पर दिनांक 16.12.2025 को मीटर सिलिंग प्रमाण पत्र संख्या 66193/3 के विवरणानुसार स्मार्ट मीटर संख्या 5776460 किया गया था। उक्त सिलिंग प्रमाण पत्र में पुराने मीटर संख्या 190176 की रीडिंग 73 दर्शायी गयी है। जिससे प्रतीत होता है कि उपभोक्ता का पुराना मीटर बैक हुआ है, जिससे प्रमाणित होता है उपभोक्ता का पुराना मीटर खराब होने के कारण 1170 यूनिट जम्प हुआ है, जबकि उपभोक्ता के नये स्मार्ट मीटर संख्या 5776460 के अनुसार दिनांक 16.12.2025 से दिनांक 30.01.2026 का विद्युत उपयोग शून्य है। उपभोक्ता द्वारा उपभोक्ता शिकायकत निवारण मंच के प्रेषित वाद के अनुक्रम में अन्तिम तीन बिलिंग साइकिल (माह 06/2025 से 08/2025) की औसत यूनिट के आधार पर उपभोक्ता का विद्युत बीजक संशोधित कर रू0. 7819.00 की CCBR(S) आनलाइन माध्यम से अनुमोदन हेतु प्रेषित कर दिया गया है।" जो कि आर0ए0पी0डी0आर0पी0 सिस्टम में गतिमान है जिसे यथाशीघ्र पूर्ण कर लिया जायेगा।

क्रमशः.....02

मंच के समक्ष परिवादिनी के प्रतिनिधि श्री दुष्यंत सिंह तथा विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री रूपेश कुमार उपस्थित हुए।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादिनी का यह विद्युत संयोजन, 02.00 किलोवाट विद्युत भार पर, दिनांक 11.10.2017 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 09.11.2025 तक, एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। दिनांक 04.01.2026 से दिनांक 01.03.2026 तक एमसी आधार पर विद्युत बिल जारी किए गए हैं। विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादिनी के प्रश्नगत संयोजन पर, पूर्व में स्थापित मीटर संख्या–190176 को, दोषपूर्ण अवस्था में, स्मार्ट मीटर संख्या–5776460 द्वारा, दिनांक 16.12.2025 को प्रतिस्थापित किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 13.10.2025 को जारी बिल में दर्शायी गई विद्युत खपत–1170 (11794–10624) यूनिट को, पूर्व में जारी बिलों के सापेक्ष दर्ज औसत विद्युत खपत की तुलना में अत्यधिक होने के कथन के साथ, परिवादिनी द्वारा विवादित ठहराया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा, गत महिनों/वर्षों में, निम्नानुसार, विद्युत खपत के बिल, परिवादिनी को जारी किए गए हैं:

अवधि			विद्युत खपत/रीडिंग का विवरण			
से	तक	माह (लगभग)	IR (kWh)	FR (kWh)	कुल खपत (यूनिट)	औसत खपत (यूनिट/माह)
09.06.23	15.12.23	6.20	7517	8215	698	113
15.12.23	16.06.24	6.00	8215	8657	442	74
16.06.24	19.12.24	6.10	8657	9609	952	156
19.12.24	20.06.25	6.00	9609	10336	727	121
20.06.25	20.08.25	2.00	10336	10624	288	144
09.06.23	***20.08.25***	***26.36***	***7517***	***10624***	***3107***	***118***
20.08.25	13.10.25	1.76	10624	11794	1170	665

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि परिवादिनी द्वारा, दिनांक 09.06.2023 से दिनांक 20.08.2025 तक, लगभग 26.36 माह की अवधि में, कुल 3107 (10624–7517) यूनिट की विद्युत खपत की गई है। इस प्रकार, परिवादिनी द्वारा उक्त 26.36 माह की अवधि में, लगभग 118 यूनिट प्रति माह की औसत दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 20.08.2025 से दिनांक 13.10.2025 तक, लगभग 1.76 माह की अवचधि हेतु, कुल 1170 (11794–10624) यूनिट की विद्युत खपत का बिल, परिवादिनी को जारी किया गया है। इस प्रकार, विपक्षी विभाग द्वारा उक्त 1.76 माह की अवधि हेतु, लगभग 665 यूनिट प्रति माह की औसत दर से विद्युत बिल जारी किया गया है। जो कि उक्त 118 यूनिट प्रति माह की तुलना में, 463.56 प्रतिशत अधिक है जो कि सही प्रतीत नहीं होता है।

पत्रावली में उपलब्ध मीटर सिलिंग प्रमाणपत्र संख्या–03/66193 के अवलोकन से विदित होता है कि परिवादिनी के प्रश्नगत संयोजन पर, गतिमान मीटर संख्या–190176 में, दिनांक 16.12.2025 को मीटर रीडिंग/खपत, मात्र 73 केडब्लूएच दर्ज पाई गई है जबकि विपक्षी विभाग द्वारा, उक्त मीटर संख्या–190176 पर, दिनांक 13.10.2025 को दर्ज मीटर रीडिंग–11794 केडब्लूएच के आधार पर, विद्युत बिल परिवादिनी

क्रमशः.....03

को जारी किया गया है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि परिवादिनी के प्रश्नगत संयोजन पर, पूर्व में स्थापित मीटर संख्या–190176 में दर्ज दोषपूर्ण रीडिंग / खपत के आधार पर, दिनांक 13.10.2025 को त्रुटिपूर्ण विद्युत बिल, परिवादिनी को जारी किया गया है जो कि सही प्रतीत नहीं होता है। इसी कम में, विपक्षी विभाग द्वारा, पत्रांक 1062 दिनांक 05.02.2026 के माध्यम से, मंच को अवगत कराया गया है कि विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 28.08.2025 से दिनांक 16.12.2025 तक की अवधि हेतु, पूर्व में, एमयू आधार पर जारी तीन बिलिंग चक्रों (दिनांक 20.05.2025 से दिनांक 20.08.2025) के सापेक्ष दर्ज औसत विद्युत खपत के आधार पर, प्रस्तावित संशोधन के अनुसार, संशोधित बिल परिवादिनी को जारी कर दिया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 28.08.2025 से दिनांक 16.12.2025 तक की अवधि हेतु, पूर्व में, एमयू आधार पर जारी तीन बिलिंग चक्रों (दिनांक 20.05.2025 से दिनांक 20.08.2025) के सापेक्ष दर्ज औसत विद्युत खपत के आधार पर, संशोधित बिल परिवादिनी को जारी करते हुए, परिवादिनी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है जिसकी पुष्टि, परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत लेजर की छायाप्रति से होती है।

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरूप परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

09/03/2026

09/03/2026

(संजय कुमार)	(जी0 एस0 धर्मसत्तू)	(सतीश उनियाल)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज–I, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 25/2026 दिनांक : 10.03.2026

परिवादी :– श्री राजाराम पुत्र स्व0 रोढ़ा सिंह (मृतक उपभोक्ता), ग्राम–शान्तरशाह, थाना–बहादराबाद, रूड़की, जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नगरीय, रूड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार — न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू — तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री राजाराम पुत्र स्व0 रोढ़ा सिंह (मृतक उपभोक्ता), ग्राम–शान्तरशाह, थाना–बहादराबाद, रूड़की, जिला–हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या–681डीटी21019006, के सन्दर्भ में कथन किया है कि शिकायतकर्ता के पिता स्व0 रोढ़ा सिंह के नाम एक घरेलू विद्युत कनैक्शन 01 किलोवाट चला आता है, शिकायतकर्ता के पिता का स्वर्गवास हो चुका है। विपक्षी द्वारा दिनांक 20.03.2015 को शिकायतकर्ता की ओर बकाया धनराशि का फुल सैटलमेंट का बिल रू0. 75560.00 का बताया गया जिसको शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 25.03.2015 को रू0. 75560.00 की धनराशि विद्युत विभाग में जमा कर रसीद प्राप्त कर ली और उक्त दिनांक तक का समस्त बकाया अदा कर दिया गया था। दिनांक 25.03.2015 में शिकायतकर्ता द्वारा जमा किया गया फुल सैटलमेंट का बकाया रू0. 75560.00 के बाद विद्युत विभाग द्वारा एक बिल रू0. 742.00 का प्रेषित किया गया जिसको शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 13.05.2015 को विद्युत विभाग में जमा कर रसीद प्राप्त कर ली गई। विद्युत विभाग द्वारा शिकायतकर्ता को रू0. 227.00 का एक बिल प्रेषित किया गया जिसको शिकायतकर्ता ने दिनांक 25.07.2015 को विद्युत विभाग में जमा कर रसीद प्राप्त कर ली गई। विद्युत विभाग द्वारा एक बिल रू0. 339.00 का शिकायतकर्ता को प्रेषित किया गया जिसको शिकायतकर्ता के द्वारा दिनांक 04.12.2015 को अदा कर रसीद प्राप्त कर ली गई। विद्युत विभाग द्वारा एक बिल रू0. 220.00 शिकायतकर्ता को प्रेषित किया गया जिसको शिकायतकर्ता के द्वारा दिनांक 22.01.2016 को अदा कर रसीद प्राप्त कर ली गई। विद्युत विभाग द्वारा दिनांक 04.09.2016 को शिकायतकर्ता को एक बिल रू0. 84595.00 का प्रेषित किया गया, जो गलत व मिथ्या रूप से विद्युत विभाग द्वारा शिकायतकर्ता को बिना किसी बकाया के गलत रूप से प्रेषित किया गया जिसको देखकर शिकायतकर्ता को अत्यंत दुख एवं मानसिक आघात पहुंचा है। शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 04.09.2016 को गलत व मिथ्या रूप से प्राप्त बिल रू0. 84595.00 को ठीक करने हेतु विद्युत विभाग के सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से निवेदन किया गया परंतु विद्युत विभाग के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा उक्त बिल को ठीक करने से स्पष्ट रूप से मना कर दिया तथा उक्त विद्युत बिल तुरंत जमा करने की सख्त

क्रमशः.....02

हिदायत देते हुए धमकी दी गई कि अगर आप उक्त बिल को जमा नहीं करेंगे तो उनका विद्युत कनैक्शन विद्युत विभाग द्वारा काट दिया जायेगा। शिकायतकर्ता कई बार विद्युत विभाग कार्यालय में गया और निवेदन किया कि विद्युत विभाग द्वारा गलत व मिथ्या रूप से दिनांक 04.09.2016 को उक्त बिल प्रेषित किया गया है क्योंकि शिकायतकर्ता को विद्युत विभाग द्वारा जो भी बिल प्रेषित किये गये है, उन सबका भुगतान समय–समय पर करता चला आ रहा है किन्तु विद्युत विभाग द्वारा शिकायतकर्ता की कोई सुनवाई ना कर स्पष्ट रूप से उक्त गलत एवं मिथ्या बिल को ठीक करने से साफ मना कर दिया। शिकायतकर्ता द्वारा विद्युत विभाग को एक नोटिस दिनांकित 06.09.2016 को प्रेषित किया गया किन्तु विद्युत विभाग द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया और ना ही उक्त विद्युत बिल ठीक किया गया। शिकायतकर्ता विद्युत विभाग द्वारा प्रेषित किये गये उक्त गलत बिल के विरूद्ध दिनांक 28.09.2016 को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम हरिद्वार के समक्ष एक वाद दायर किया जिस पर दिनांक 16.08.2019 को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम हरिद्वार ने विद्युत विभाग को नया बिल देने के आदेश दिये गये। लेकिन विद्युत विभाग द्वारा कोई बिल नहीं दिया गया और विद्युत विभाग ने उक्त आदेश दिनांकित 16.08.2019 के विरूद्ध राज्य उपभोक्ता फोरम में अपील दायर कर दी जिस पर दिनांक 06.11.2025 को शिकायतकर्ता को विद्युत उपभोक्ता संरक्षण फोरम हरिद्वार के समक्ष नयी फ्रेश एप्लीकेशन देने को कहा गया। अतः मंच से अनुरोध है कि विद्युत विभाग को आदेशित किया जाये कि बिल दिनांक 04.09.2016 रू0. 84595.00 को अविलम्ब निरस्त कर सही बिल शिकायतकर्ता को प्रेषित किया जाए। शिकायतकर्ता का कनैक्शन न काटा जाये। शिकायतकर्ता के बिल पर ब्याज/पैनॉल्टी न लगाई जाये।

विपक्षी विभाग के उपखण्ड अधिकारी द्वारा पत्र संख्या 3032 दिनांकित 16.02.2026 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि विभागीय अभिलेखानुसार, संयोजन संख्या 681डीटी21019006 श्री रोढ़ा सिंह पुत्र श्री दिलेय राम, निवासी–ग्राम–शांतरशाह के नाम से, 26 अप्रैल सन् 1984 से चला आता है। संयोजन निर्गत के उपरांत उपभोक्ता का विद्युत बीजक माह मार्च 2015 में धनराशि 75560.00 जमा कराने के उपरांत विद्युत बीजक शून्य हो गया था। जिसके उपरांत जनवरी 2016 को भी विद्युत बीजक धनराशि शून्य हा गई थी। इसके उपरांत विभाग द्वारा दिनांक 06.03.2016 में धनराशि रू0. 52013.00, 13 आईडीएफ बिलिंग साईकिल के आधार पर विद्युत बीजक में समायोजित किया गया है। उपभोक्ता द्वारा माह जनवरी 2016 के उपरांत वर्तमान तक कोई विद्युत बीजक जमा नहीं किया गया है जिस कारण वर्तमान में उपभोक्ता पर रू0. 561031.00 का बकाया चला आता है। वर्ष 2017 में माननीय उपभोक्ता संरक्षण फोरम हरिद्वार के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया जिस कारण उपभोक्ता का विद्युत संयोजन विच्छेदीत नही किया गया। माननीय उपभोक्ता संरक्षण फोरम हरिद्वार द्वारा विभाग के विरूद्ध निर्णय पारित किया गया जिसके उपरांत विभाग द्वारा राज्य उपभोक्ता आयोग, देहरादून के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। जिस में राज्य उपभोक्ता आयोग द्वारा वाद विद्युत बीजक से संबन्धित होने के कारण वाद उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के समक्ष स्थानांतरित कर दिया गया।

मंच के समक्ष परिवादी श्री राजाराम तथा विपक्षी की ओर से अधिशासी अभियंता श्री अनिल कुमार मिश्रा उपस्थित हुए।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन, 03.00 किलोवाट भार पर, दिनांक 26.04.1984 से, श्री रोढ़ा सिंह के नाम पर गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 24.02.2026 तक, एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर, पूर्व में स्थापित मीटर संख्या–957415 को दिनांक 13.07.2015

क्रमशः.....03

को, मीटर संख्या–50574904 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। दिनांक 13.07.2015 को उक्त मीटर संख्या–957415 पर, विद्युत खपत/रीडिंग–15624 केडब्लूएच दर्ज पाई गई है। विपक्षी विभाग द्वारा, गत वर्षों में, निम्नानुसार, विद्युत खपत के बिल, परिवादी को जारी किए गए हैं:

अवधि			विद्युत खपत/रीडिंग का विवरण			
से	तक	माह (लगभग)	IR (kWh)	FR (kWh)	कुल खपत (यूनिट)	औसत खपत (यूनिट/माह)
19.03.10	23.12.13	45.13	20	3380	3360	74
23.12.13	13.07.15	18.66	3380	15624	12244	656
19.03.10	***13.07.15***	***63.80***	***00***	***15624***	***15604***	***245***
13.07.15	07.07.16	11.80	00	5882	5882	498
07.07.16	03.07.17	11.86	5882	9543	3661	309
03.07.17	05.07.18	12.00	9543	14024	4481	373
05.07.18	05.07.19	12.00	14024	19246	5222	435
05.07.19	18.07.20	12.43	19246	25477	6231	501
18.07.20	08.07.21	11.66	25477	29780	4303	369
08.07.21	14.07.22	12.80	29780	34827	5047	394
14.07.22	12.07.23	12.00	34827	38729	3902	325
12.07.23	14.07.24	12.00	38729	42499	3770	314
14.07.24	15.07.25	12.00	42499	46039	3540	295
15.07.25	14.02.26	7.00	46039	47871	8232	262
13.07.15	***14.02.26***	***127.00***	***00***	***47871***	***47871***	***377***

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि परिवादी द्वारा, दिनांक 19.03.2010 से दिनांक 23.12.2013 तक, लगभग 45.13 माह की अवधि में, कुल 3360 (3380–20) यूनिट की विद्युत खपत की गई है। इस प्रकार, परिवादी द्वारा उक्त 45.13 माह की अवधि में, लगभग 74 यूनिट प्रति माह की औसत दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है। दिनांक 13.07.2015 को, मीटर संख्या–957415 पर दर्ज, पाई गई कुल विद्युत खपत/रीडिंग–15626 केडब्लूएच के आधार पर, दिनांक 23.12.2013 से दिनांक 13.07.2015 तक, लगभग 18.66 माह की अवधि में परिवादी द्वारा कुल 12244 (15624–3380) यूनिट की विद्युत खपत की गई है। इस प्रकार, परिवादी द्वारा उक्त 18.66 माह की अवधि हेतु, लगभग 656 यूनिट प्रति माह की औसत दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है। परिवादी द्वारा, दिनांक 19.03.2010 से दिनांक 13.07.2015 तक, लगभग 63.80 माह की अवधि में, कुल 15604 (15624–20) यूनिट की विद्युत खपत की गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा उक्त 63.80 माह की अवधि में, लगभग 245 यूनिट प्रति माह की औसत दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है। तद्पश्चात, परिवादी द्वारा, प्रश्नगत विद्युत संयोजन पर गतिमान मीटर

क्रमशः.....04

संख्या–50574904 के माध्यम से, दिनांक 13.07.2015 से दिनांक 14.02.2026 तक, लगभग 127 माह की अवधि में कुल 47871 (47871–00) यूनिट की विद्युत खपत दर्ज की गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा उक्त 127 माह की अवधि में, लगभग 377 यूनिट प्रति माह की औसत दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है।

उपरोक्त तालिका से यह भी स्पष्ट होता है कि परिवादी द्वारा, दिनांक 13.07.2015 से दिनांक 14.02.2026 तक, लगभग 127 माह की अवधि में, सामान्यतः 325 से 501 यूनिट प्रति माह की औसत दर से विद्युत खपत की गई है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 23.03.2013 को परिवादी द्वारा देय विद्युत बकाया रू0 64799.00 को सम्मिलित करते हुए, मीटर संख्या–95745 पर दर्ज विद्युत खपत 12244 (15624–3380) यूनिट तथा मीटर संख्या–50574904 पर दर्ज विद्युत खपत के आधार पर, विद्युत बिल, परिवादी को जारी किए गए हैं परंतु परिवादी द्वारा विद्युत बिलों का नियमित रूप से भुगतान नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप परिवादी के बिलों में नियमानुसार विलंब अधिभार शुल्क आरोपित किया गया है जो कि नियमानुसार सही प्रतीत होता है।

मा0 राज्य उपभोक्ता विवाद परितोष आयोग, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा प्रश्नगत विषय में, मा0 जिला उपभोक्ता विवाद परितोष आयोग, हरिद्वार द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.08.2019 तथा परिवादी की शिकायत को खारिज करते हुए, आदेश संख्या–एससी/5/ए/13/2020 दिनांक 06.11.2025, पारित किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 04.09.2016 को जारी बिल में दर्शायी गई धनराशि रू0 82653.00 (संशोधित धनराशि रू0 74548.00), निर्णय निकाय में उल्लेखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में सही प्रतीत होती है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 19.03.2010 के पश्चात, परिवादी द्वारा की गई वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर विद्युत बिल जारी किए गए हैं जिसमें किसी भी प्रकार का कोई संशोधन किया जाना संभव नहीं है। अतः परिवादी का यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(संजय कुमार)	10/03/2026 (जी0 एस0 धर्मसत्तू)	10/03/2026 (सतीश उनियाल)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज–I, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 27/2026 दिनांक : 09.03.2026

परिवादी :– श्री नीरज कौशिक पुत्र स्व0 श्री उषा शर्मा (मृतक उपभोक्ता), गली नं0–ए–12, सुभाष नगर, जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ज्वालापुर, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार — न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू — तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री नीरज कौशिक पुत्र स्व0 श्री उषा शर्मा (मृतक उपभोक्ता), गली नं0–ए–12, सुभाष नगर, जिला–हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या–जेडब्लू0743076753, के सन्दर्भ में कथन किया है कि उक्त कनैक्शन उनकी माता स्वर्गीय श्रीमती उषा शर्मा के नाम पर पंजीकृत है। वर्ष 2023 से निरंतर उनके विद्युत बिल में गंभीर त्रुटियां चली आ रही हैं। इस संबंध में उन्होंने वर्ष 2023 एवं 2024 में विभाग को कई बार लिखित एवं ऑनलाइन शिकायतें दर्ज कराई, जिनमें दिनांक 29.02.2024 की ऑनलाइन शिकायत भी सम्मिलित है। इसके उपरांत विभाग द्वारा दिनांक 15.03.2024 को मीटर को सही घोषित करते हुए उसे उतार लिया गया, जबकि उस समय मीटर की एमआरआई जांच तक नहीं की गई थी, जो कि विभागीय नियमों एवं प्रक्रिया के पूर्णतः विपरीत है। यह कार्य विभागीय कर्मचारियों द्वारा मनमाने एवं दबावपूर्ण तरीके से किया गया। बाद में पुनः शिकायत करने पर दिनांक 03.01.2025 को नया/चैक मीटर जांच हेतु लगाया गया, जिसे दिनांक 24.03.2025 को उतार लिया गया। जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि मीटर 78 से 80 प्रतिशत तक अधिक तेज चल रहा था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि मीटर दोषपूर्ण था। इसके पश्चात विभागीय कर्मचारी द्वारा स्वयं मीटर को खराब घोषित किया गया, जिसकी सीलिंग रिपोर्ट उनके पास सुरक्षित है। इसके बावजूद, रिपोर्ट उपलब्ध होने के बाद भी विभाग द्वारा आज तक न तो विद्युत बिल में सुधार किया गया है और न ही कोई लिखित अथवा मौखिक उत्तर दिया गया है। उल्टा, विभाग द्वारा उक्त त्रुटिपूर्ण बिल पर अनुचित एवं अवैध रूप से सरचार्ज लगाया जा रहा है, जिससे उन्हे मानसिक, आर्थिक एवं सामाजिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। यह संपूर्ण प्रकरण विभागीय लापरवाही, अनुचित व्यापार व्यावहार एवं उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनके विद्युत बिल की निष्पक्ष जांच कराई जाए। दोषपूर्ण मीटर अवधि का बिल नियमानुसार पुनः गणना कर सही किया जाए। गलत रूप से लगाए गए सरचार्ज एवं अतिरिक्त राशि को तत्काल हटाया जाए एवं भविष्य में इस प्रकार की विभागीय लापरवाही न हो, इसके

क्रमशः.....02

लिए आवश्यक निर्देश प्रदान किए जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा पत्र संख्या 1134 दिनांकित 06.02.2026 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि वादी श्री नीरज कौशिक पुत्र स्व0 उषा शर्मा (मृतक उपभोक्ता), गली नं0–ए–12, सुभाष नगर, हरिद्वार के सापेक्ष विद्युत संयोजन संख्या–जेडब्लू70743076753 नामें श्रीमती उषा शर्मा का विद्युत बिल संशोधित कर दिया गया है।

मंच के समक्ष परिवादी श्री नीरज कौशिक तथा विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री शिल्पी सैनी उपस्थित हुई।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन, 02.00 किलोवाट भार पर, दिनांक 04.05.2002 को, श्रीमती श्रीमती उषा शर्मा के नाम पर निर्गत किया गया है। वर्तमान में, परिवादी द्वारा यह संयोजन, 05.00 किलोवाट विद्युत भार पर गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 22.01.2026 तक, एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी के प्रश्नगत विद्युत संयोजन पर, दिनांक 03.01.2025 को चैक मीटर संख्या–जी7907142 स्थापित किया गया है। चैक मीटर की फाइनल रिपोर्ट के अनुसार, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर तद्समय गतिमान मीटर संख्या–15576600, चैक मीटर की तुलना में 78.76 प्रतिशत तेज पाया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा, गत महिनों/वर्षों में, निम्नानुसार, विद्युत खपत के बिल परिवादी को जारी किए गए हैं:

मीटर संख्या	अवधि			विद्युत खपत/रीडिंग का विवरण			
	से	तक	माह (लगभग)	IR (kWh)	FR (kWh)	कुल खपत (यूनिट)	औसत खपत (यूनिट/माह)
15576600	24.06.23	20.12.23	5.86	38858	40501	2743	468
	20.12.23	20.03.24	3.00	40501	45041	4540	1513
	20.03.24	19.10.24	7.00	45041	50331	5290	529
	19.10.24	03.01.25	2.46	50331	51129	798	326
	19.10.24	24.03.25	5.16	50331	52484	2153	417
जी7907142	24.03.25	22.08.25	5.00	758	3823	3065	613
	22.08.25	22.01.26	5.00	3823	5840	2017	403
	24.03.25	22.01.26	10.00	758	5840	5082	508

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि परिवादी द्वारा, प्रश्नगत संयोजन पर, वर्तमान में गतिमान मीटर संख्या–जी7907142 के माध्यम से, दिनांक 24.03.2025 से दिनांक 22.01.2026 तक, लगभग 10 माह की अवधि में, कुल 5082 (5840–758) यूनिट की विद्युत खपत की गई है। इस प्रकार, परिवादी द्वारा, उक्त 10 माह की अवधि में, लगभग 508 यूनिट प्रति माह की औसत दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है। परिवादी द्वारा प्रश्नगत संयोजन पर, पूर्व में गतिमान मीटर संख्या–15576600 के माध्यम से दिनांक 24.06.2023 से दिनांक 20.12.2023 तक, लगभग 5.86 माह की अवधि में, कुल 2743 (40501–37758) यूनिट की विद्युत खपत की गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा, उक्त 5.86 माह की अवधि में, लगभग 468 यूनिट प्रति माह की औसत दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है। उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि

क्रमशः.....03

विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 20.12.2023 से दिनांक 20.03.2024 तक, लगभग 03 माह की अवधि हेतु औसतन 1513 यूनिट प्रति माह की दर से, कुल 4540 (45041–40501) यूनिट की विद्युत खपत का बिल परिवादी को जारी किया गया है जो कि उक्त 468 यूनिट प्रति माह की तुलना में, लगभग 223.29 प्रतिशत अधिक है जो कि सही प्रतीत नहीं होता है। इसी क्रम में विपक्षी विभाग द्वारा, पत्रांक 1134 दिनांक 06.02.2026 के माध्यम से, मंच को अवगत कराया गया है कि दिसंबर 2023 से जनवरी 2025 तक की अवधि हेतु, प्रश्नगत विद्युत संयोजन के सापेक्ष, दिनांक 19.09.2023 से दिनांक 20.11.2023 तक, लगभग 03 माह की अवधि हेतु जारी बिलों में दर्ज औसत विद्युत खपत–575 ((349+684+691)/3) के आधार पर, तथा फरवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक की अवधि हेतु, परिवादी के संयोजन पर वर्तमान में गतिमान मीटर संख्या–जी7907142 पर उक्त अवधि में दर्ज की गई वास्तविक विद्युत खपत–5446 (5446–00) यूनिट के सापेक्ष दर्ज औसत विद्युत खपत के आधार पर, संशोधित बिल, परिवादी को जारी कर दिया गया है। पत्रावली में उपलब्ध बिलिंग हिस्ट्री के अवलोकन से विदित होता है कि परिवादी द्वारा दिनांक 19.09.2023 से दिनांक 20.12.2023 तक, लगभग 03 माह की अवधि में, कुल 1370 (337+349+684) यूनिट की विद्युत खपत की गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा उक्त 03 माह की अवधि में औसतन 457 यूनिट प्रति माह की दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है जबकि विपक्षी विभाग द्वारा औसतन 575 यूनिट प्रति माह की औसत दर के आधार पर, परिवादी के बिलों को संशोधित किया गया है जो कि सही प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, माह दिसंबर 2023 से जनवरी 2025 तक की अवधि हेतु जारी बिलों को, 575 यूनिट प्रति माह के स्थान पर 468 यूनिट प्रति माह की औसत दर के आधार पर संशोधित करते हुए, संशोधित बिल, परिवादी को जारी किए जाने की आवश्यकता है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह माह दिसंबर 2023 से जनवरी 2025 तक की अवधि हेतु जारी बिलों को, 575 यूनिट प्रति माह के स्थान पर 468 यूनिट प्रति माह की औसत दर के आधार पर संशोधित करते हुए, संशोधित बिल, परिवादी को जारी करे। विपक्षी विभाग आदेश की अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

09/03/2026

09/03/2026

(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य

(जी0 एस0 धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य

(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज–I, देहरादून में अपील कर सकता है।

ORDER SHEET

Case No. 29/2026

Sh. Brahampal V/S EE, EDD, Urban, Roorkee

Signature	Date	Order	Next Date
	10/3/26	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारो को सुने मे सुना जा चुका है। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो साक्ष्यो के आधार पर निर्णय अनुसार निस्तारण आदेश हेतु पत्रावली मंच के समक्ष पेश है। **आदेश।** परिवाद के तथ्य विद्युत पोल स्थानान्तरण से सम्बन्धित है, जिसका इस मंच को क्षेत्राधिकार नहीं है। अतः परिवाद निरस्त किया जाता है। पत्रावली अभिलेखागार में संचित हो।	

ORDER SHEET

Case No. 30/2026

Mr. Mujammil Ali V/S EE, EDD, Urban, Roorkee

Signature	Date	Order	Next Date
	10/03/26	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारों को पूर्व में सुना जा चुका है। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्यों के आधार पर विधि अनुसार निस्तारण आदेश हेतु पत्रावली मंच के सम्मुख पेश है। **आदेश** शिकायत विद्युत पोल से संबंधित है तथा विपक्षी ने स्थल पर विवाद होने का कथन किया है। उक्त विषय इस मंच के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। अतः शिकायत निस्तारित की जाती है।	

ORDER SHEET

Case No. 31/2026

Mrs. Priti .... V/S EE, EDD, Urban, Roorkee

Signature	Date	Order	Next Date
	10/3/26	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारों को पूर्व में सुना जा चुका है। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्यों के आधार पर विधि अनुसार निस्तारण आदेश हेतु पत्रावली मंच के समक्ष पेश हो। **आदेश** परिवाद के तथ्य व विपक्षी जवाब इस मंच के क्षेत्राधिकार के विचाराधीन न होने के कारण परिवाद निरस्त किया जाता है। पत्रावली अभिलेखागार में संचित हो।	

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 33 / 2026 दिनांक : 10.03.2026

परिवादी :– श्री अकरम पुत्र श्री गुलजार, नियर–आर0के0फार्म, जी0टी0रोड़, मोहल्ला–टोली, कस्बा–मंगलौर, रूड़की, जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रूड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार — न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू — तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री अकरम पुत्र श्री गुलजार, नियर–आर0के0फार्म, जी0टी0रोड़, मौहल्ला–ठोली, कस्बा–मंगलौर, रूड़की, जिला–हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या–आरडी61723991761, के सन्दर्भ में कथन किया है कि उन्होंने एक किलोवाट का विद्युत कनैक्शन दुकान के लिए लिया हुआ है जिसके बिल प्रति माह 30–40 यूनिट के आते हैं लेकिन, माह अगस्त 2025 के महीने में उनकी रीडिंग 4213 दिखा कर बिल बनाया गया जबकि मीटर में 913 रीडिंग थी। विद्युत विभाग ने गलत रीडिंग से बिल बना दिया जिस कारण बिल रू0. 9000.00 से सीधा बीस हजार का बन गया। उन्होंने बिजली घर पर बने ऑफिस में लिखित शिकायत दी लेकिन बिल ठीक नहीं हुआ और ना ही शिकायत की रिसीविंग दी गई। उन्होंने दिनांक 30.11.2025 को सीएम हेल्प लाइन पर शिकायत की थी लेकिन विभाग ने 2018 रीडिंग पर बिल बना कर सीएम पोर्टल पर बिल ठीक करने की सूचना दी और शिकायत को निस्तारित दिखा दिया। जबकि उन्होंने रीडिंग की फोटो भी सीएम पोर्टल पर अपलोड किए थे। विद्युत विभाग द्वारा उपभोक्ताओं की शिकायतों पर या तो सुनवाई नहीं की जाती या जानबूझकर गलत बिल ठीक करके परोस दिया जाता है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनके मीटर में मौजूद मीटर की वास्तविक रीडिंग 985 के अनुसार बिल ठीक करवा दिया जाए एवं बिल ठीक न करने और गलत रीडिंग भेजने वालों पर कार्यवाही भी की जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 30.01.2026 को विद्युत वितरण खण्ड, (नगरीय), रूड़की के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय, धनौरी में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादी श्री अकरम के तर्क सुने गए।

मौके पर सुनवाई के समय परिवादी द्वारा मंच के समक्ष अपनी उपरोक्त विद्युत शिकायत के संबंध में तर्क रखे गए। विपक्षी को जवाब हेतु दिनांक 06.02.2026 नियत की गयी।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा पत्र संख्या 847 दिनांकित 05.02.2026 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि आरएपीडीआरपी प्रणाली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि

क्रमशः.....02

विद्युत संयोजन संख्या–आरडी61723991761, श्री अकरम पुत्र श्री गुलजार, जी0टी0रोड़, मौहल्ला–ठोली, मंगलौर, जिला–हरिद्वार के नाम से छोटे अघरेलू 04 कि0वा0 तक की श्रेणी में, 01 कि0वा0 भार का, दिनांक 13.12.2022 को निर्गत किया गया था। उक्त विद्युत संयोजन के संबंध में उपखण्ड अधिकारी, मंगलौर द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त संयोजन के सापेक्ष परिसर पर स्थापित विद्युत मापक संख्या यू914288 में दर्ज रीडिंग 986 केडब्लूएच के आधार पर बीजक संशोधित कर दिया गया है। उक्त विद्युत संयोजन का बीजक संशोधित किये जाने के उपरांत रू0. 10946.00 धनराशि है, जोकि उपभोक्ता के द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है। उपभोक्ता द्वारा विद्युत संयोजन निर्गत तिथि से वर्तमान (पिछले 36 माह के अंतराल में) तक किसी बीजक का भुगतान नहीं किया गया है।

मंच के समक्ष परिवादी श्री अकरम तथा विपक्षी की ओर से सहायक अभियंता (राजस्व) श्री मनीष सिंह उपस्थित हुए।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन, 01.00 किलोवाट भार पर, दिनांक 13.12.2022 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 16.08.2025 तक, एमयू आधार पर, दिनांक 30.09.2025 तथा दिनांक 31.10.2025 को, एनआर आधार पर, तद्पश्चात दिनांक 11.12.2025 तथा दिनांक 07.01.2026 को, एमयू आधार पर, बिल जारी किए गए हैं। परिवादी के कथनानुसार दिनांक 16.08.2025 को जारी बिल में, मीटर रीडिंग (एफआर) 913 केडब्लूएच के स्थान पर, 4213 केडब्लूएच दर्शाया गया है। इस प्रकार परिवादी द्वारा, मीटर रीडिंग 4213 केडब्लूएच के आधार पर, 3257 (4213–956) यूनिट की विद्युत खपत के बिल को पूर्व में दर्ज की गई विद्युत खपत की तुलना में अत्यधिक होने के कथन के साथ विवादित ठहराया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा, गत महिनों/वर्षों में, निम्नानुसार, विद्युत खपत के बिल, परिवादी को जारी किए गए हैं:

अवधि			विद्युत खपत/रीडिंग का विवरण			
से	तक	माह (लगभग)	IR (kWh)	FR (kWh)	कुल खपत (यूनिट)	औसत खपत (यूनिट/माह)
30.04.23	20.12.23	7.66	77	367	290	38
20.12.23	27.07.24	7.23	367	566	199	28
27.07.24	18.12.24	4.30	566	720	154	36
18.12.24	29.06.25	6.36	720	956	236	37
30.04.23	***29.06.25***	***26.00***	***77***	***956***	***879***	***34***
29.06.25	16.08.25	1.56	956	4213	3257	2088

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि परिवादी द्वारा, दिनांक 30.04.2023 से दिनांक 29.06.2025 तक, लगभग 26.00 माह की अवधि में, कुल 879 (956–77) यूनिट की विद्युत खपत की गई है। इस प्रकार, परिवादी द्वारा उक्त 26.00 माह की अवधि में, लगभग 34 यूनिट प्रति माह की औसत दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 29.06.2025 से दिनांक 16.08.2025 तक, लगभग 1.56 माह की अवधि हेतु, कुल 3257 (4213–958) यूनिट की विद्युत खपत का बिल, परिवादी को जारी किया गया है। इस प्रकार, विपक्षी विभाग द्वारा उक्त 1.56 माह की अवधि हेतु, लगभग 2088 यूनिट प्रति माह की औसत दर से विद्युत बिल जारी किया गया है जो कि उक्त 34 यूनिट प्रति माह की तुलना

क्रमशः.....03

में, 9532.35 प्रतिशत अधिक है जो कि सही प्रतीत नहीं होता है। मंच द्वारा निर्गत आदेशों के अनुपालन में, विपक्षी विभाग द्वारा सम्पन्न स्थलीय निरीक्षण पर, परिवादी के प्रश्नगत परिसर पर गतिमान मीटर संख्या–यू914288 में, मीटर रीडिंग/खपत–986 केडब्लूएच दर्ज पाई गई है।

इसी क्रम में, विपक्षी विभाग द्वारा, पत्रांक 847 दिनांक 05.02.2026 के माध्यम से, मंच को अवगत कराया गया है कि परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या–यू914288 पर अंकित विद्युत खपत/रीडिंग के आधार पर, संशोधित बिल, परिवादी को जारी कर दिया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 31.07.2025 से दिनांक 07.01.2026 तक जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए, दिनांक 29.06.2025 से दिनांक 07.01.2026 तक की अवधि हेतु, कुल 30 (986–956) यूनिट की विद्युत खपत का, संशोधित विद्युत बिल, परिवादी को जारी करते हुए, परिवादी के शिकायत का समाधान कर दिया गया है जिसकी पुष्टि विपक्षी विभाग द्वारा प्रस्तुत लेजर की सत्यापित छायाप्रति से होती है। अतः परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरूप परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

	10/03/2026	10/03/2026
(संजय कुमार)	(जी0 एस0 धर्मसत्तू)	(सतीश उनियाल)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

<u>नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज–I, देहरादून में अपील कर सकता है।</u>

ORDER SHEET

Case No. 37/2026

Mrs. Sulochana Saini V/S EE, EDD, Urban, Roorkee

Signature	Date	Order	Next Date
	10/3/26	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारों को पूर्व में सुना जा चुका है। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्यों के आधार पर विधि अनुसार निस्तारण आदेश हेतु पत्रावली मंच के समक्ष पेश हो।	
	17/3/26	पत्रावली के तरमी एवं विपक्षी जवाब से ज्ञात हुआ कि परिवादी एवं विपक्षी में समझौता हो चुका है। तदनुसार किसी आदेश की आवश्यकता नहीं है। परिवाद का निस्तारण किया जाता है। **आदेश** परिवादी एवं विपक्षी में समझौते के आधार पर किसी आदेश की आवश्यकता नहीं है, तदनुसार परिवाद को निस्तारित किया जाता है।	

ORDER SHEET

Case No. 38/2026

Mrs. Manju Devi ..... V/S EE, EDD, Urban Roorkee

Signature	Date	Order	Next Date
	10/3/26	पत्रावली पेश हुई। पक्षगणों में पूर्व में सुना जा चुका है। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्यों के आधार पर विधि अनुसार निस्तारण आदेश हेतु पत्रावली मंच के समक्ष पेश हो। आदेश परिवाद को तथ्य व विपक्षीजनों इस मंच को क्षेत्राधिकार में विचारणीय न होने के कारण परिवाद निरस्त किया जाता है। पत्रावली अभिलेखागार में संकलित हो।	

ORDER SHEET

Case No. 42/**2026**

Mrs. Akhtari **V/S** **EE, EDD,** Urban, Roorkee

Signature	Date	Order	Next Date
	10/3/26	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारों को पूर्व में सुना जा चुका है। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्यों के आधार पर विधि अनुसार निस्तारण आदेश हेतु पत्रावली मंच के समक्ष पेश है। Hdm	
		आदेश	
		परिवाद के तथ्य ~~अंक~~ विद्युत पोल स्थानान्तरण से सम्बन्धित है जिसका इस मंच को क्षेत्राधिकार नहीं है। अतः परिवाद निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार में संचित हो। Hdm	

ORDER SHEET

Case No. 44/2026

Mr. Sunil Kumar V/S EE, EDD, Urban, Roorkee

Signature	Date	Order	Next Date
	10/3/26	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारों को पूर्व में सुना जा चुका है। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्यों के आधार पर विधि अनुसार निस्तारण आदेश हेतु पत्रावली मंच के समक्ष पेश हो।	
	17/3/26	परिवाद के तथ्यों एवं विपक्षी जवाब से स्पष्ट होता है कि परिवादी ने विद्युत लाईन के नीचे गैर कानूनी रूप से पेड़ लगाया हुआ है और विद्युत लाईन से टच होकर सप्लाई को बाधित करते हैं अर्थात समस्या स्वयं परिवादी के द्वारा उत्पन्न की जा रही है। उपरोक्त के दृष्टिगत परिवाद पोषणीय नहीं है। परिवादी का परिवाद निरस्त किया जाना उचित एवं न्याय संगत है। **आदेश** परिवादी का परिवाद निरस्त किया जाता है। पत्रावली को अभिलेखागार में दाखिल हो।	

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 46/2026 **दिनांक : 31.03.2026**

परिवादी :– श्री बाबूराम पुत्र श्री ज्योतिराम, कोटा माछारेड़ी, पोस्ट–खास, रूड़की, जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नगरीय, रूड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार	न्यायिक सदस्य
श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू	तकनीकी सदस्य
श्री सतीश उनियाल	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री बाबूराम पुत्र श्री ज्योतिराम, कोटा माछारेड़ी, पोस्ट–खास, रूड़की, जिला–हरिद्वार ने नये नलकूप (पीटीडब्लू) संयोजन के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनके द्वारा नलकूप (पीटीडब्लू) संयोजन हेतु आवेदन किया गया था तथा आवष्यक धनराशि–रू0. 22100.00, दिनांक 03.07.2025 को जमा करा दिये गये थे। जिसके उपरांत भी विद्युत विभाग ने उनका आज तक, न ही कनैक्शन लगाया और न ही मीटर लगाया है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका विद्युत संयोजन निर्गत करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 30.01.2026 को विद्युत वितरण खण्ड, (नगरीय), रूड़की के अन्तर्गत, विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय, धनौरी में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए, शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादी श्री बाबू राम उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री अश्वनी कुमार उपस्थित रहे।

मौके पर सुनवाई के समय परिवादी द्वारा मंच के समक्ष अपनी उपरोक्त शिकायत के संबंध में तर्क रखे गए। विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि, उपखण्ड अधिकारी श्री अश्वनी कुमार द्वारा परिवादी की उक्त शिकायत के बारे में अपना तर्क प्रस्तुत किया। मंच द्वारा, विपक्षी को दिनांक 06.02.2026 तक जवाब प्रस्तुत किये जाने हेतु, मौके पर ही नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी विभाग के उपखण्ड अधिकारी द्वारा पत्र संख्या 2985 दिनांकित 03.02.2026 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता श्री बाबूराम पुत्र श्री ज्योतिराम, कोटा माछारेड़ी, रूड़की पंजी0 सं0 518010525012 के संदर्भ में संयोजन हेतु लाईन निर्माण के दौरान संबंधित स्थल पर ग्रामीणों/पड़ोसियों द्वारा विवाद उत्पन्न किये जाने के कारण विद्युत लाईन निमार्ण कार्य सम्पंन नही किया जा सका है। उसके उपरांत भी कई बार प्रयत्न किए जाने के फल स्वरूप भी सकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकल पाया। इस हेतु उपखण्ड कार्यालय के पत्रांक 2970 दिनांक 30.01.2026 द्वारा उक्त कार्य को पूर्ण करने हेतु प्रशासनिक/पुलिस बल का सहयोग प्रदान करवाने हेतु अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड नगरीय कार्यालय को पत्र प्रेषित किया गया है, जिससे कि उक्त लाईन निर्माण कार्य पूर्ण किया जा सके व संयोजन निर्गत किया जा सके।

क्रमशः.....02

उक्त के क्रम में उपखण्ड अधिकारी द्वारा पत्र संख्या 3039 दिनांकित 20.02.2026 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता श्री बाबूराम पुत्र श्री ज्योतिराम, कोटा माछारेडी, रूड़की पंजी सं0 518010525012 के नये संयोजन हेतु लाईन निर्माण के दौरान संबंधित स्थल पर कुछ ग्रामीणों/पड़ोसियों के द्वारा विवाद उत्पन्न किये जाने के कारण उक्त विद्युत लाईन निर्माण कार्य नहीं किया जा सका था व वर्तमान में भी स्थिति यथावत है। महोदय उपभोक्ता व विवादकर्ताओं के आपसी सहमति उपरांत ही उक्त कार्य को किया जाना संभव हो सकता है। अतः मंच से अनुरोध है कि प्रकरण में उक्त स्थिति पर विचार करते हुए वाद का निस्तारण करने का कष्ट करें।

मंच द्वारा, मौके पर उपस्थित उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी द्वारा, निजी नलकूप के प्रयोगार्थ, विद्युत संयोजन हेतु, आवेदन पत्र, विपक्षी विभाग को प्रेषित किया गया है जिसे विपक्षी विभाग द्वारा, पंजीकरण संख्या—518010525012 के माध्यम से पंजीकृत किया गया है। इसी क्रम में, विपक्षी विभाग द्वारा जारी मांग पत्र के सापेक्ष, परिवादी द्वारा ओवरहेड लाइन चार्जेज मद में रू0 19500.00 प्रतिभूति मद में रू0 1600.00 तथा सर्विस लाईन चार्जेज मद में रू0 1000.00, कुल रू0 22100.00 की धनराशि, दिनांक 03.07.2025 को, विपक्षी विभाग के पक्ष में जमा की गई है परंतु दिनांक 03.07.2025 के पश्चात, 08 माह से अधिक अवधि के पश्चात भी, विपक्षी विभाग द्वारा आवेदित विद्युत संयोजन निर्गत नहीं किया जा सका है। इस प्रकार विपक्षी विभाग द्वारा, मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित, उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा संबंधित मामले) विनियम, 2020 के अंतर्गत प्राविधानित, अध्याय 3.3.3(16) का अनुपालन नहीं किया गया है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि परिवादी द्वारा आवेदित विद्युत संयोजन को निर्गत किए जाने में आर0आ0डब्लू0 के संदर्भ में विवाद है। विपक्षी विभाग द्वारा, आर0ओ0डब्लू 0के संबंध में उत्पन्न विवाद को, स्थानीय प्रशासन के माध्यम से सुलझाते हुए, परिवादी को विद्युत संयोजन निर्गत किए जाने की आवश्यकता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में, मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी को आवेदित विद्युत भार पर, विद्युत संयोजन निर्गत किए जाने हेतु, बाधित आर0ओ0डब्लू0 विवाद का समाधान, स्थानीय प्रशासन के माध्यम से सुनिश्चित करते हुए, परिवादी द्वारा आवेदित विद्युत भार पर, विद्युत संयोजन निर्गत किए जाने की आवश्यकता है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी को आवेदित विद्युत भार पर विद्युत संयोजन निर्गत किए जाने हेतु, बाधित आर0ओ0डब्लू0 विवाद का समाधान, स्थानीय प्रशासन के माध्यम से सुनिश्चित करते हुए, परिवादी द्वारा आवेदित विद्युत भार पर, विद्युत संयोजन निर्गत करना सुनिश्चित करे। विपक्षी विभाग आदेश की अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(संजय कुमार)	(जी0 एस0 धर्मसक्तू) 31/03/2026	31/03/2026 (सतीश उनियाल)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

<u>नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत),</u>

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 48/2026 दिनांक : 24.03.2026

परिवादी :– श्रीमती वंदना देवी पत्नी श्री संदीप कुमार, 394, वीआईपी विहार कालोनी, गौविंदपुर दादूपुर, बहादराबाद, जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ज्वालापुर, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार — न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू — तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती वंदना देवी पत्नी श्री संदीप कुमार, 394, वीआईपी विहार कालोनी, गौविंदपुर दादूपुर, बहादराबाद, जिला–हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या–JW21228188066, स्वीकृत भार 03 किलोवाट के सन्दर्भ में कथन किया है कि उनके द्वारा प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत छत पर सौर पैनल लगवाया है, दिनांक 22.05.2025 को उनके परिसर पर उक्त विद्युत संयोजन में Bi-Directional Meter मीटर लगाया गया था। इंस्टॉलेशन के बाद, प्रथम बिलिंग समय से नहीं की गयी, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें Net Metering का लाभ नहीं मिल सका। गलत बिलिंग हुई और उन्हें पहले छः महीने सोलर का लाभ नहीं मिल पाया और बैंक में किस्त भी जाती रही। पहले बिल में Higher SLAB में बिलिंग हुई जब की दूसरे बिल में सोलर पावर परचेस एग्रीमेंट के तहत 3.93/केडब्लूएच से वापिस किया गया। परिणामस्वरूप उन्हें एनर्जी चार्जेज में लगभग रू0. 5600.00 का भारी नुकसान भी हुआ है जिसे उनके बिल में समायोजित किया जाना चाहिए। अतः मंच से अनुरोध है कि बिल की समीक्षा करके उसमें सुधार कर उनको एनर्जी चार्जेज में लगभग रू0. 5600.00 का नुकसान जो हुआ है उसे बिल में समायोजित कर सोलर का लाभ प्रदान किया जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा पत्र संख्या 2026 दिनांकित 09.03.2026 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि नामें श्रीमती वंदना देवी पत्नी श्री संदीप कुमार, 394, वीआईपी कालोनी, गोविन्दपुर दादूपुर, बहादराबाद, जिला हरिद्वार के संयोजन संख्या–JW21228188066 के सापेक्ष उपभोक्ता का विद्युत बिल संशोधित कर दिया गया है।

मंच के समक्ष परिवादिनी के प्रतिनिधि संदीप कुमार उपस्थित तथा विपक्षी अनुपस्थित हुए।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादिनी का यह विद्युत संयोजन, 03.00 किलोवाट विद्युत भार पर, दिनांक 07.07.2018 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 04.03.2026 तक, एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। परिवादिनी द्वारा, सोलर प्लांट के माध्यम से उत्पादित विद्युत का समायोजन, समय पर न दिए जाने के परिणामस्वरूप, रू0 5600.00 की धनराशि का आर्थिक नुकसान होने के कथन के साथ यह शिकायत मंच के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

क्रमशः.....02

परिवादिनी के कथनानुसार, परिवादिनी के प्रश्नगत संयोजन पर, दिनांक 22.05.2025 को Bi-Directional Meter स्थापित किए जाने के पश्चात लगभग 07 माह बाद दिनांक 31.12.2025 को सोलर द्वारा उत्पादित विद्युत की मात्रा का समायोजन करते हुए, विद्युत बिल जारी किया गया है। परिणामस्वरूप विपक्षी विभाग द्वारा, पूर्व में अधिक दरों पर विद्युत बिल जारी किए गए फलस्वरूप परिवादिनी पर अनावश्यक आर्थिक बोझ डाला गया। इसी कम में, मंच द्वारा, जारी नोटिस संख्या–93 / सीजीआरएफ / नोटिस दिनांक 30.01.2026 के जवाब में, विपक्षी विभाग द्वारा, पत्रांक 2026 दिनांक 09.03.2026 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि परिवादिनी द्वारा प्रेषित शिकायत का संज्ञान लेते हुए, परिवादिनी के संयोजन पर, सोलर प्लांट के माध्यम से उत्पादित विद्युत की मात्रा को समायोजित करते हुए, परिवादिनी के बिलों को संशोधित कर रू0 7508.00 का समायोजन प्रदान किया गया है जिस पर परिवादिनी द्वारा अपनी संतुष्टि व्यक्त की गई है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादिनी के प्रश्नगत संयोजन के सापेक्ष जारी विद्युत बिलों में, सोलर प्लांट द्वारा उत्पादित विद्युत की मात्रा का समायोजन प्रदान करते हुए, संशोधित बिल, परिवादिनी को जारी कर दिया गया है। संशोधित बिल की धनराशि से, परिवादिनी द्वारा संतुष्टि प्रकट की गई है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरूप परिवादिनी का यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरूप परिवादिनी का यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(संजय कुमार) न्यायिक सदस्य	24/03/2026 (जी0 एस0 धर्मसत्तू) तकनीकी सदस्य	24/03/2026 (सतीश उनियाल) उपभोक्ता सदस्य

नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज–I, देहरादून में अपील कर सकता है।

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 53 / 2026 दिनांकः 10.03.2026

परिवादी :– श्री आशिक अली पुत्र श्री इकराम अली, निवासी–प्लाट नं0–4, होटल डिजायर, सिंडकुल बाईपास, बहादराबाद, जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ज्वालापुर, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार	न्यायिक सदस्य
श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू	तकनीकी सदस्य
श्री सतीश उनियाल	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवाद के तथ्य– परिवादी श्री आशिक अली पुत्र श्री इकराम अली, निवासी–प्लाट नं0–4, होटल डिजायर, सिंडकुल बाईपास, बहादराबाद, जिला–हरिद्वार ने विद्युत संयोजन संख्या–जेडब्लू61224149239, स्वीकृत भार–08 एच0पी0 के सन्दर्भ में कागज सं0 1 ता 11 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि वह होटल डिजायर, स्थित–सिड़कुल हाईवे बहादराबाद थाना रानीपुर का मालिक है। उनके नाम पूर्व से ही उक्त विद्युत कनैक्शन चला आता है। उनके ऊपर पूर्व का कोई बिल बकाया नही है। विद्युत विभाग की टीम द्वारा दिनांक 12.01.2026 को उनकी गैरमौजूदगी में मौके छापेमारी की गयी और छापेमारी के दौरान गलत प्रकार से मौके की स्लींग रिपोर्ट बना दी गयी। उनके द्वारा समस्त दस्तावेज सहित नोटिस का जवाब अधिशासी अभियंता को दिनांक 20.01.2026 को दे दिया गया जिसके पश्चात दिनांक 22.01.2026 को उनके नवनिर्माण होटल पर आकर एस0डी0ओ0 द्वारा उनके विद्युत कनैक्शन उनकी बिना जानकारी एवं बिना कोई कारण बताये चालू कनैक्शन को अवैध रूप से काट दिया गया है। जबकि उनके ऊपर उक्त विद्युत कनैक्शन का कोई भी बकाया नही है और उनको विद्युत कनैक्शन काटने से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनके होटल का कार्य प्रगति पर है तथा होटल के नीचे उनकी हार्डवेयर की दुकान चली आती है जिससे उनको आर्थिक रूप से हानि हो रही है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनके होटल का मुहुरत दिनांक 04.02.2026 को होना है इस स्थिति में विद्युत विभाग को आदेशित किया जाये कि वह उनके उक्त कनैक्शन को जोड़कर विद्युत आपूर्ति चालू करवा दी जाए।

विपक्षी का जवाब– विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा कागज सं0 15 ता 20 पत्र संख्या 1377 दिनांकित 16.02.2026 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि दिनांक 12.01.2026 को उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड, बहादराबाद मय सतर्कता दल द्वारा श्री आशिक अली उर्फ आशू मलिक पुत्र श्री इकराम, होटल डिजायर, सिड़कुल हाईवें, बहादराबाद, थाना–रानीपुर, हरिद्वार के परिसर पर विद्युत चैकिंग की गयी। जिसमें चैकिंग के दौरान "उपभोक्ता द्वारा एल0टी0 लाईन पर एक अतिरिक्त केबिल डालकर वाणिज्य विद्युत चोरी (होटल व दुकान हेतु)" करते पाया गया है। जो कि विद्युत अधिनियम की धारा–135 के अंतर्गत उपरोक्त कृत्य विद्युत चोरी की श्रेणी में आता है, जो कि उक्त अधिनियम की धारा–153 के तहत संज्ञेय व गैर जमानती अपराध है। इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा–126 के तहत अनाधिकृत रूप से की गई विद्युत खपत का निर्धारण पेनल्टी दरों पर अलग से किये जाने का प्रावधान है तथा खण्ड कार्यालय पत्रांक 284 दिनांक 13.01.2026 के माध्यम से श्री आशिक अली उर्फ आशू मलिक पुत्र श्री इकराम, होटल डिजायर, सिड़कुल हाईवें, बहादराबाद, थाना–रानीपुर, हरिद्वार को रू0. 985279.00 का नोटिस प्रेषित किया गया है। उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि दिनांक 28.01.2026 को उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड, बहादराबाद द्वारा पुनः श्री आशिक अली उर्फ आशू मलिक पुत्र श्री इकराम, होटल डिजायर, सिड़कुल हाईवें, बहादराबाद, थाना–रानीपुर, हरिद्वार के परिसर पर विद्युत चैकिंग की गयी। जिसमें चैकिंग के दौरान "उक्त उपभोक्ता द्वारा दिनांक 12.01.2026 को सतर्कता इकाई के द्वारा विद्युत चोरी पकडी गयी थी जिसका जुर्माना बकाया है। पुनः चैकिंग के दौरान विद्युत संयोजन सिंगल फेस पर जुड़ा पाया" गया है। जो कि विद्युत अधिनियम की धारा–135 के अंतर्गत उपरोक्त कृत्य विद्युत चोरी की श्रेणी में आता है, जो कि उक्त अधिनियम की धारा–153 के तहत संज्ञेय व गैर जमानती अपराध है। इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा–126 के तहत अनाधिकृत रूप से की गई विद्युत खपत का निर्धारण पेनल्टी दरों पर अलग से किये जाने का प्रावधान है तथा खण्ड कार्यालय पत्रांक 1188 दिनांक 09.02.2026 के माध्यम से पुनः विद्युत चैकिंग के सापेक्ष एक अन्य नोटिस श्री आशिक अली उर्फ आशू मलिक पुत्र श्री इकराम, होटल डिजायर, सिडकुल हाईवें, बहादराबाद, थाना–रानीपुर, हरिद्वार को रू0. 66926.00 का प्रेषित किया गया है। वर्तमान में उपभोक्ता पर दिनांक 12.01.2026 को की गयी चैकिंग के सापेक्ष धनराशि रू0. 985279. 00 / – + दिनांक 28.01.2026 को की गयी चैकिंग के सापेक्ष धनराशि रू0. 66926.00 / – = कुल धनराशि रू0. 1052205.00 बकाया है। चूकि उक्त प्रकरण विद्युत अधिनियम की धारा–135 के अंतर्गत आता है जो कि माननीय उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार के अधिकार क्षेत्र में नही आता है।

–:विचारण:–

सुनवाई हेतु नियत दिनांक को पक्षकार उपस्थित आये। सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यं के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह परिवाद विद्युत चोरी से सम्बधित है परिवादी ने भी कागज स0–4 में विद्युत चोरी होना स्वीकार किया है। विद्युत चोरी का मामला विद्युत अधिनियम की धारा–135 के अन्तर्गत आता है जिसका क्षेत्राधिकार इस मंच को प्राप्त नही है। तदनुसार परिवाद का निस्तारण किया जाता है।

आदेश

परिवादी का यह परिवाद विद्युत चोरी से सम्बधित है। विद्युत चोरी का मामला विद्युत अधिनियम की धारा–135 के अन्तर्गत आता है जिसका क्षेत्राधिकार इस मंच को प्राप्त नही है। तदनुसार परिवाद को निरस्त किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(संजय कुमार)	(जी0 एस0 धर्मसत्तू)	(सतीश उनियाल)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

नोट– इस निर्णय से सन्तुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज–I, देहरादून में प्रत्यावेदन कर सकता है।

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 58 / 2026 दिनांक :17.03.2026

परिवादी :–सचिन कुमार पुत्र श्री राजपाल सिंह, ग्राम–मोहम्मदपुर जट, गुरूकुल नारसन, जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रूड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार — न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू — तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवाद के तथ्य– परिवादी श्री सचिन कुमार पुत्र श्री राजपाल सिंह, ग्राम–मोहम्मदपुर जट, गुरूकुल नारसन, जिला–हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या–आरडी2एन123089732 के सन्दर्भ में कागज सं0 1 ता 2 प्रस्तुत कर कथन किया है कि माह सितंबर महीने में अनियमित रूप से 1000 के.डब्लू.एच यूनिट का बिल जनरेट हुआ, जबकि हमारी मासिक खपत 100 यूनिट से कम है। यह मामला दिनांक 25.09.2025, 06.10.2025 एवं 14.10.2025 को क्रमशः 12509250061, 10610250066 एवं 11410250015 के संदर्भ मे उठाया गया है। उन्हे देहरादून से फोन आया और 1912 पर कॉल करने के लिए कहा गया। उन्होने कई बार 1912 पर कॉल करने की कोशिश की लेकिन कॉल नहीं लग पाया। उनकी समस्या का अभी तक समाधान नही हुआ है और उन्हे अनियमित रीडिंग के बिल मिल रहे है। जबकि उनका घर तीन महिनों से बंद है। अतः मंच से अुनरोध है कि उक्त समस्या का जल्द समाधान किया जाए।

विपक्षी का जवाब– विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा कागज सं0 4 ता 14 पत्र संख्या 1274 दिनांकित 20.02.2026 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि आएपीडीआरपी प्रणाली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि विद्युत संयोजन संख्या आरडी2एन123089732 श्री सचिन कुमार पुत्र राजपाल सिंह, ग्राम–मौहम्मदपुर जट, गुरूकुल नारसन, रूड़की, जिला हरिद्वार के नाम से घरेलू कार्य के उपयोग हेतु 02 किलोवाट भार का दिनांक 06.02.2007 को निर्गत किया गया था। विद्युत संयोजन संख्या आर.डी2एन.123089732 के संबंध में उपखण्ड अधिकारी, मंगलौर द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त संयोजन के सापेक्ष संबंधित परिसर पर स्थापित विद्युत मापक संख्या

61949170 की एम.आर.आई रिपोर्ट के आधार पर बीजक संशोधित कर दिया गया है। विद्युत संयोजन संख्या आरडी2एन123089732 का बीजक संशोधित किये जाने के उपरांत रू0. 3673.00 धनराशि है, जो कि उपभोक्ता के द्वारा भुगतान दिनांक 19.02.2026 को किया जा चूका है।

–:विचारण:–

पत्रावली पेश हुई। परिवादी अनुपस्थित। विपक्षी उपस्थित। विपक्षी द्वारा दौरान वाद शिकायत का समाधान कर दिया गया है जिसकी पुष्टि परिवादी से फोन पर बात कर की गई। परिवादी समाधान से सन्तुष्ट है। तदनुसार परिवाद का निस्तारण किया जाता है।

आदेश

विपक्षी द्वारा दौरान वाद शिकायत का समाधान कर दिया गया है जिसकी पुष्टि परिवादी से फोन पर बात कर की गई। परिवादी समाधान से सन्तुष्ट है। तदनुसार परिवाद का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(संजय कुमार)	(जी0 एस0 धर्मसत्तू)	(सतीश उनियाल)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश दिनांक से 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज–I, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 59/2026 **दिनांक : 31.03.2026**

परिवादी :– श्री हरीश सिंह वास्ते मै0 वीवीमेड लैब्स लि0, प्लाट नं0–9, इण्डस्ट्रियल एरिया, जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नगरीय, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार	न्यायिक सदस्य
श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू	तकनीकी सदस्य
श्री सतीश उनियाल	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री हरीश सिंह वास्ते मै0 वीवीमेड लैब्स लि0, प्लाट नं0–9, इण्डस्ट्रियल एरिया, जिला–हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या–690के000001656, स्वीकृत भार 300 के0वी0ए0 के सन्दर्भ में कथन किया है कि माह दिसम्बर तक के सभी विद्युत बिल जमा हैं परंतु माह दिसम्बर के बिल में रू0. 6,88,803.00 अतिरिक्त जोड़े गये हैं, जबकि मीटर रीडर हर माह मीटर रीडिंग लेने आता है और वह हर माह बिल का भुगतान करते रहे हैं। इस दौरान उन्हें किसी प्रकार की गड़बड़ी की सूचना नहीं दी गई। अतः मंच से अनुरोध है कि उक्त अतिरिक्त राशि को निरस्त करवा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियंता द्वारा पत्र संख्या 4679 दिनांक 26.02.2026 के माध्मय से मंच को अवगत कराया गया है कि विद्युत संयोजन संख्या–690के000001656, नामें मै0 वीवीमेड लैब्स लिमिटेड, प्लांट नं0 9, औद्यागिक क्षेत्र, हरिद्वार, स्वीकृत भार 300 के0वी0ए0, आर0टी0एस0 5 पर, स्थापित विद्युत मीटर सं0 क्यू0595991 पर, चैक मीटर सं0 क्यू0595995 दिनांक 29.06.2025 को स्थापित कर, दिनांक 05.08.2025 को फ़ाइनल किया गया। जिसके अनुसार पुराना मीटर सं0 क्यू0595991, सापेक्ष, केडब्लूएच–35.79 प्रतिशत एवं के0वी0ए0एच0–37.56 प्रतिशत धीमा पाया गया। दिनांक 05.08.2025 की एम0आर0आई0 रिपोर्ट में अंकित टैम्पर रिपोर्ट के अनुसार वाई0 फेस वोल्टेज दिनांक 19.01.2025 से चैक मीटर फाइनल दिनांक 05.08.2025 तक लगातार फेलियर दर्शित हो रहा था। अतः दिनांक 19.01.2025 से दिनांक 05.08.2025 तक धीमे चले मीटर के सापेक्ष, रू0 688803.00 की धनराशि का निर्धारण बीजक, पत्रांक 3235 दिनांक 28.11.2025 द्वारा, प्रेषित किया गया था।

मंच के समक्ष परिवादी श्री हरीश सिंह तथा विपक्षी की ओर से सहायक अभियंता (राजस्व) श्रीमती प्रियंका अग्रवाल उपस्थित हुई।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन, 300 के0वी0ए0 भार पर, दिनांक 25.04.2008 से, मै0 वीवीमेड लैब्स लि0 के नाम पर गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 12.03.2026 तक, एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मेन मीटर संख्या–क्यू0595991 के सापेक्ष,

क्रमशः.....02

दिनांक 29.06.2025 को, चैक मीटर संख्या–क्यू0595995 स्थापित किया गया है जिसे दिनांक 05.08.2025 को फाइनल किया गया है। चैक मीटर की फाइनल रिपोर्ट के अनुसार, चैक मीटर संख्या–क्यू0595995 की तुलना में, परिवादी के संयोजन पर गतिमान मेन मीटर संख्या–क्यू0595991, केडब्लूएच0 आधार पर–35.75 प्रतिशत तथा केवीएएच0 आधार पर–37.56 प्रतिशत धीमा पाया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा, गत वर्षों में निम्नानुसार, विद्युत खपत के बिल, परिवादी को जारी किए गए हैं:

2021–22			2022–23			2023–24			2024–25		
माह	विद्युत खपत	MD	माह	विद्युत खपत	MD	माह	विद्युत खपत	MD	माह	विद्युत खपत	MD
09/21	73164	259.00	09/22	70992	282.36	09/23	67424	268.52	09/24	53904	236.68
10/21	73252	278.48	10/22	65068	270.84	10/23	52344	250.12	10/24	47636	236.88
11/21	61828	222.96	11/22	60580	214.64	11/23	44720	225.32	11/24	33608	211.76
12/21	65864	214.40	12/22	55160	197.32	12/23	54830	197.32	12/24	31032	170.48
01/22	56460	214.52	01/23	46984	168.20	01/24	54830	168.20	01/25	22760	171.44
02/22	55280	233.92	02/23	52876	211.96	02/24	34352	156.40	02/25	14500	110.64
03/22	71168	274.36	03/23	57972	219.92	03/24	42040	236.64	03/25	15556	115.92
04/22	82596	276.64	04/23	33188	215.20	04/24	54364	256.28	04/25	23344	137.70
05/22	79396	289.04	05/23	59572	282.50	05/24	64276	263.28	05/25	17924	136.77
06/22	77184	281.60	06/23	64824	269.16	06/24	62448	258.24	06/25	25884	176.80
07/22	60676	281.52	07/23	61552	285.80	07/24	60464	271.44	07/25	33888	178.16
01/22–07/22	*482760*	*289.04*	*01/23–07/23*	*376968*	*285.80*	*01/24–07/24*	*372776*	*271.44*	*01/25 07/25*	*157256*	*178.16*
08/22	74788	299.12	08/23	68172	284.40	08/24	56992	260.00	08/25	48288	252.77

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि परिवादी द्वारा, दिनांक 01/2022 से दिनांक 07/2022 तक की अवधि में, कुल 482760 यूनिट की विद्युत खपत की गई है। दिनांक 01/2023 से दिनांक 07/2023 तक की अवधि में, कुल 376968 यूनिट की विद्युत खपत की गई है तथा दिनांक 01/.2024 से दिनांक 07/2024 तक की अवधि में, कुल 372776 यूनिट की विद्युत खपत की गई है, जबकि, परिवादी द्वारा, दिनांक 01/2025 से दिनांक 07/2025 तक की अवधि में, कुल 157256 यूनिट की विद्युत खपत दर्ज की गई है जो कि उक्त 482760 यूनिट, 376968 एवं 372776 यूनिट की तुलना में कमशः 67.43 प्रतिशत, 58.28 प्रतिशत एवं 57.81 प्रतिशत कम है।

उपरोक्त विवरण से यह भी स्पष्ट होता है कि परिवादी द्वारा, दिनांक 01/2022 से दिनांक 07/2022 तक की अवधि में, अधिकतम विद्युत भार 289.04 केवीए, दिनांक 01/2023 से दिनांक 07/2023 तक की अवधि में, अधिकतम भार 285.80 केवीए तथा माह 01/2024 से माह 07/2024 तक की अवधि में, अधिकतम भार 271.44 केवीए दर्ज की गई है, जबकि दिनांक 01/2025 से दिनांक 07/2025 तक की अवधि में, अधिकतम विद्युत भार 178.16 केवीए दर्ज की गई है जो कि उक्त 289.04 केवीए, 285.80 केवीए एवं 271.44 केवीए की तुलना में कमशः 38.40 प्रतिशत, 37.70 प्रतिशत एवं 34.41 प्रतिशत कम है।

क्रमशः.....03

संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या—क्यू0595991 पर, परिवादी द्वारा की गई वास्तविक विद्युत खपत की तुलना में, केवीएएच0 आधार पर, 37.56 प्रतिशत कम विद्युत की मात्रा रिकार्ड की गई है। परिणामस्वरूप, विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 19.01.2025 से दिनांक 05.08.2025 तक की अवधि में, कम रिकार्ड की गई विद्युत मात्रा के सापेक्ष, विद्युत मूल्य आदि के विरूद्ध रू0 6,88,803.00 की धनराशि का निर्धारण किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 19.01.2025 से दिनांक 05.08.2025 तक की अवधि में, केवीएएच0 आधार पर 37.56 प्रतिशत कम रिकार्ड की गई विद्युत मात्रा के सापेक्ष, रू0 6,88,803.00 का निर्धारण किया जाना, निर्णय निकाय में उल्लेखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में सही प्रतीत होता है। अतः परिवादी का यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

	31/03/2026	31/03/2026
(संजय कुमार)	(जी0 एस0 धर्मसत्तू)	(सतीश उनियाल)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

<u>नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज—I, देहरादून में अपील कर सकता है।</u>

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 60 / 2026 दिनांक : 24.03.2026

परिवादी :– श्रीमती आशा अग्रवाल पत्नी श्री राजीव अग्रवाल, पता–शॉप नं0–6, सीताराम आश्रम ट्रस्ट, चेतनदेव कुटिया के सामने, कनखल, जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नगरीय, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार — न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू — तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवाद के तथ्य– परिवादिनी श्रीमती आशा अग्रवाल पत्नी श्री राजीव अग्रवाल, पता–शॉप नं0–6, सीताराम आश्रम ट्रस्ट चेतनदेव कुटिया के सामने, कनखल, जिला–हरिद्वार नये विद्युत संयोजन के सन्दर्भ में कागज सं0 1 ता 25 प्रस्तुत कर कथन किया है कि उनकी शॉप नं0–6, सीताराम आश्रम चेतनदेव कुटिया के सामने, कनखल, हरिद्वार में है। जिसका वह सीताराम औरखनाथ चैरिटेबिल ट्रस्ट के खाते में पिछले तीन वर्ष से किराया अदा करके दुकान चलाता आ रही हैं और आज भी उसी दुकान सं0–6 में काबिज हैं। उनके द्वारा दिनांक 29.082024 में भी आवेदन किया गया था, उस समय में उनका एग्रीमेंट पूरा था, जिसकी रजिस्ट्रेशन आई0डी0 नं0–521290824005 थी, जिसके बाद विभाग ने लैण्ड डिस्प्यूट के कारण आवेदन रिजेक्ट कर दिया। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जो कि विभाग द्वारा सम्पत्ति विवाद बोलकर विद्युत कनैक्शन देने से मना किया। उनके द्वारा पुनः दिनांक 17.01.2026 को आवेदन किया गया, रजिस्ट्रेशन आई0डी0 नं0–111701260704 है। दिनांक 17.01.2026 को आवेदन किया था, क्लर्क ने हमसे पेपर लेकर रख लिए थे तथा दिनांक 12.02.2026 को रिजेक्ट करने का कारण एग्रीमेंट खत्म होना है, कई बार इनके पास जाने के बाद भी आवेदन रिजेक्ट कर दिया है। विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों / कर्मचारियों से भी व्यक्तिगत रूप से मिल चुकी हैं, इसके बावजूद भी विपक्षी विभाग ने विद्युत कनैक्शन देने से फिर मना कर दिया, जबकि दुकान पर स्टे काबिज का प्राप्त है और वह आज भी दुकान पर काबिज हैं। उनको विद्युत कनैक्शन की अत्यधिक आवश्यकता है। संयोजन न होने की स्थिति में उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अतः मंच से अनुरोध है कि उन्हें विद्युत संयोजन दिलवा दिया जाए।

विपक्षी जवाब– विपक्षी विभाग के उपखण्ड अधिकारी द्वारा कागज सं0 30 ता 32 पत्र संख्या 353 दिनांकित 02.03.2026 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि कार्यालय, अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, पत्रांक 4683 दिनांक 27.02.2026 के अनुक्रम में अवगत करना है कि सीताराम ट्रस्ट, चेतन देव कुटिया कनखल, हरिद्वार के द्वारा बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र के, उनके परिसर पर किसी नये विद्युत कनैक्शन देने में आपत्ति दर्ज करायी गयी है साथ ही अवगत कराया की उनका एक कानूनी वाद चल रहा है। जिस कारण उक्त परिसर पर नया विद्युत संयोजन निर्गत नहीं हो पा रहा है।

–:विचारण:–

परिवाद पर सुनवाई के दिनांक को मंच के समक्ष परिवादिनी श्रीमती आशा अग्रवाल तथा विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री वेद प्रकाश गैरोला उपस्थित आये। पक्षकारों को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादिनी द्वारा नये विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन विपक्षी के पास दिनांक 29.8.2024 एवं दिनांक 17.1.2026 को प्रस्तुत किया जिसे विपक्षी द्वारा विवादित सम्पत्ति के आधार पर निरस्त कर दिया गया। जिसके विरुद्व परिवादिनी ने यह परिवाद मंच के समक्ष प्रस्तुत किया है। उक्त के दृष्टिगत मंच द्वारा निम्नलिखित विचारण किया गया–

1. यहकि परिवादिनी की ओर से यह तथ्य परिलक्षित है कि परिवादिनी द्वारा दिनांक 20.11.2024 को एक सिविल वाद न्यायालय सिविल जज जे.डी. हरिद्वार के समक्ष स्वयं को सम्पत्ति में किरायेदार बताते हुए एक सिविल मूल वाद स0–481/2024 दायर किया गया जिस पर न्यायालय द्वारा वाद में दिनांक 20.11.2024 को एक पक्षीय आदेश पारित किया गया कि प्रतिवादी वाद की अग्रिम तिथि तक वा ग्रस्त सम्पत्ति से वादीगण को बिना विधिक प्रकिया अपनाए बेदखल न करे। उक्त आदेश में न्यायालय ने दिनांक 29.11.2024 नियत की हुई है जो कि व्यतीत हो चुकी है। उक्त के बाद का कोई विवरण/सूचना पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। सिविल प्रक्रिया संहिता में 30 दिन की अवधि में एक पक्षीय आदेश का निस्तारण न्यायालय को करना होता है। परिवादिनी द्वारा सुनवाई के समय मंच को बताया गया कि न्यायालय के समक्ष वर्तमान में उक्त वाद विचाराधीन है।
2. यहकि परिवादिनी की ओर से यह तथ्य परिलक्षित है कि किरायानामा की अवधि तीन वर्ष 01/01/2023 से आरम्भ होकर दिनांक 31/12/2025 को समाप्त हो चुकी है। किरायानामा भी अपंजीकृत है जोकि विधि अनुसार पंजीकृत होना चाहिए था। किरायेनामे के पैरा–2 में लिखा है कि बिजली का व्यय किरायेदार वहन करेगा। अर्थात बिजली का भुगतान किरायेदार किराये से अलग

किया जायेगा। स्पष्ट है कि सम्पत्ति पर विद्युत कनेक्शन/ विद्युत सुविधा किरायेदारी के समय उपलब्ध रही है। परिवादिनी ने अपने कथन मे पूर्व मे सम्पत्ति पर विद्युत कनेक्शन/ विद्युत सुविधा के सम्बंध में परिवाद तथ्यो मे स्पष्ट नही किया है जबकि उसके अनुसार 01/01/2023 से दुकान सम्पत्ति पर किरायेदार होने का कथन किया गया है।

3. यहकि उत्तराखण्ड नियामक आयोग विनियम 2019 के प्रावधान–3.1 उपनियम–3 के अनुसार– फोरम उन शिकायतों पर विचार नहीं करेगा जो उन्हीं विषयों से सम्बधित किसी न्यायालय, प्राधिकरण या किसी अन्य फोरम के समक्ष विचाराधीन है अथवा जिन पर किसी सक्षम न्यायालय, प्राधिकरण या किसी फोरम ने पहले ही डिक्री, निर्णय, या अन्तरिम आदेश दे दिया हो। उक्त स्थिति मे प्रश्नगत परिवाद इस मंच के समक्ष पोषणीय नही है।
4. यहकि परिवादिनी के कथनानुसार मामला सिविल न्यायालय मे विचाराधीन है जिसमे न्यायालय ने अन्तरिम आदेश पारित किया हुआ है अन्तरिम आदेश का प्रतिवादी को सुनकर निस्तारण परिवादी के कथनानुसार न्यायालय में नहीं हुआ है जिसकी अवधि 30 दिन नियत होती है। किरायानामा विधिनुंसार पंजीकृत नहीं है। वर्तमान में किराये की अवधि भी समाप्त हो चुकी है। निवर्तमान विद्युत होने का कथन मंच के समक्ष स्पष्ट नहीं किया गया है। उक्त स्थिति में परिवादिनी को सिविल न्यायालय में विचाराधीन वाद में न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नये विद्युत कनेक्शन हेतु न्यायालय से आदेश प्राप्त करना होगा।
5. यहकि उपरोक्त विचारण के दृष्टिगत परिवादिनी का परिवाद निरस्त किया जाना मंच की राय में उचित एवं विधि सम्मत है। तदनुंसार निस्तारण किया जाता है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(संजय कुमार)	24/03/2026 (जी0 एस0 धर्मसत्तू)	24/03/2026 (सतीश उनियाल)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

<u>नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज–I, देहरादून में प्रत्यावेदन कर सकता है।</u>

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 61/2026 **दिनांक : 31.03.2026**

परिवादी :– श्री जितेन्द्र सिंह पंवार पुत्र श्री सत्यपाल सिंह, मकान सं0–4, टाइप–3, पूल्ड आवास कालोनी, रोशनाबाद, जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, सिड़कुल, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार	न्यायिक सदस्य
श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू	तकनीकी सदस्य
श्री सतीश उनियाल	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री जितेन्द्र सिंह पंवार पुत्र श्री सत्यपाल सिंह, मकान सं0–4, टाइप–3, पूल्ड आवास कालोनी, रोशनाबाद, जिला–हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या–एचआर21254237235, स्वीकृत भार 04 किलोवाट के सन्दर्भ में कथन किया है कि विद्युत विभाग द्वारा उनका पुराना मीटर निकाल कर नया स्मार्ट मीटर लगा दिया था। नये स्मार्ट मीटर में बहुत अधिक रीडिंग आने के कारण पिछले माह का बिल पिछले एक साल में सबसे अधिक आया है। यह स्मार्ट मीटर खराब है जो कि अधिक रीडिंग दिखा रहा है। अतः मंच से अनुरोध है कि उक्त नये स्मार्ट मीटर को हटाकर पुराना मीटर लगवा दिया जाये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा पत्र संख्या 470 दिनांक 25.02.2026 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता श्री जितेन्द्र सिंह पवांर संयोजन सं0–एचआर21254237235 द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र के अनुसार उपभोक्ता के परिसर में दिनांक 26.12.2025 को मै0 गढ़वाल स्मार्ट मीटरिंग प्रा0 लि0 द्वारा, स्मार्ट मीटर सं0 5775960 स्थापित किया गया है। जिसको आर0ए0पी0डी0आर0पी0 सिस्टम में दिनांक 03.01.2026 को प्रविष्टि कर दिया गया। उपभोक्ता का दिनांक 25.12.2025 तक पुराने मीटर सं0 433477 की रीडिंग 4674 तक का विद्युत बिल रू0. 22680.00 बकाया है। उपभोक्ता द्वारा दिनांक 27.12.2025 के बाद दिनांक 31.01.2026 तक का विद्युत बकाया बिल रू0. 28739.00 चला आ रहा है। जिसको उपभोक्ता द्वारा आज दिनांक तक भी जमा नही कराया गया है और उपभोक्ता द्वारा चैक मीटर की शिकायत दिनांक 06.02.2026 को करायी गयी है। लेकिन चैक मीटर शुल्क जमा नही कराया गया है और उपभोक्ता का यह कहना उचित नही है कि उनके परिसर पर स्थापित स्मार्ट मीटर हटाकर पुराना मीटर लगा दिया जाये।

मंच के समक्ष परिवादी श्री जितेन्द्र सिंह पंवार उपस्थित तथा विपक्षी अनुपस्थित हुए।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन, 04.00 किलोवाट भार पर, दिनांक 07.09.2024 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 03.02.2026 तक, एमयू आधार पर विद्युत बिल जारी किए गए हैं। परिवादी के प्रश्नगत विद्युत

क्रमशः.....02

संयोजन पर पूर्व में गतिमान मीटर संख्या-433477 को, स्मार्ट मीटर संख्या-5775960 द्वारा, दिनांक 26.12.2025 को, प्रतिस्थापित किया गया है। परिवादी द्वारा उक्त स्मार्ट मीटर संख्या-5775960 के माध्यम से, दिनांक 26.12.2025 से दिनांक 01.02.2026 तक, लगभग 1.20 माह की अवधि में, कुल 810 (810-00) यूनिट की विद्युत खपत की गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा उक्त 1.20 माह की अवधि में लगभग 508 यूनिट प्रति माह की औसत दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है।

पत्रावली पर उपलब्ध बिलिंग हिस्ट्री के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी द्वारा, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर, पूर्व में गतिमान मीटर सं0433477के माध्यम से, दिनांक 28.05.2025 से दिनांक 28.06.2025 तक, लगभग एक माह की अवधि में, कुल 642 (2876-2236) यूनिट की विद्युत खपत की गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा उक्त एक माह की अवधि में, लगभग 642 यूनिट प्रति माह की औसत दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है जो कि उक्त 508 यूनिट प्रति माह की तुलना में 26.38 प्रतिशत अधिक है। उपरोक्त तथ्यों से विदित होता है कि परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान स्मार्ट मीटर संख्या-5775960 पर दर्ज वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर ही, विपक्षी विभाग द्वारा विद्युत बिल जारी किए गए हैं जो कि सही प्रतीत होते हैं।

पत्रावली में उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि परिवादी द्वारा, प्रश्नगत स्मार्ट मीटर संख्या-5775960 की शुद्धता को जांचे जाने हेतु चैक मीटर की स्थापना किए जाने के परिप्रेक्ष्य में, मीटर टेस्टिंग चार्जेज मद में रू0 100.00 की धनराशि, दिनांक 23.02.2026 को जमा किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर तत्काल चैक मीटर की स्थापना करते हुए चैक मीटर की फाइनल रिपोर्ट से परिवादी को अवगत कराने की आवश्यकता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान स्मार्ट मीटर संख्या-5775960 पर दर्ज वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर, विद्युत बिल जारी किए गए हैं जिनमें किसी भी प्रकार का कोई संशोधन किया जाना संभव नहीं है। अतः परिवादी का यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

	31/03/2026	31/03/2026
(संजय कुमार)	(जी0 एस0 धर्मसत्तू)	(सतीश उनियाल)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

<u>नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-I, देहरादून में अपील कर सकता है।</u>

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 62/2026 दिनांक : 17.03.2026

परिवादी :– श्री राकेश उर्फ रिंकू पुत्र श्री पूरणमल, प्रोपराइटर विकास दूध डेरी, निकट–रेलवे ओवर ब्रिज, शिमली लक्सर, जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, लक्सर, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार — न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू — तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री राकेश उर्फ रिंकू पुत्र श्री पूरणमल, प्रोपराइटर विकास दूध डेरी, निकट–रेलवे ओवर ब्रिज, शिमली लक्सर, जिला–हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या–LK60942091917, स्वीकृत भार 05 किलोवाट, के सन्दर्भ में कथन किया है कि उन्होंने उक्त कॉमर्शियल विद्युत संयोजन लिया हुआ है, जिसका बिल सामान्यतः रू0. 8000.00 से 4000.00 आता है। उनका बिल अक्टूबर 2025 से गलत आ रहा है। जो कि पिछले 03–04 माह में पूर्व की भांति जारी बिलों के सापेक्ष बहुत ज्यादा आया है। जबकि इतना बिल नहीं आना चाहिए था। जिस कारण उनको विद्युत बिल जमा करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अतः मंच से अनुरोध है कि उक्त मीटर की जांच करवाकर, माह 09, 10, 11/2025 की एम.आर.आई. के अनुसार बिल, बिना ब्याज के बनवा दिया जाए साथ ही जब तक यह वाद मंच के समक्ष विचाराधीन है तब तक उनका विद्युत कनैक्शन न काटा जाए।

विपक्षी विभाग के उपखण्ड अधिकारी द्वारा पत्र संख्या 584 दिनांकित 25.02.2026 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि श्री राकेश कुमार उर्फ रिंकू पुत्र श्री पूरणमल, प्रोपराइटर विकास दूध डेरी, निकट रेलवे ओवर ब्रिज सीमली, लक्सर की शिकायत से सम्बन्धित विद्युत संयोजन सं0–LK60942091917 जो श्री पूरणमल के नाम से अभिलेखों में संचालित हैं, को चैक किया गया। जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा उठाए गये तथ्यों का बिन्दुआर स्पष्ट लिखित उत्तर निम्नवत् हैः–

1– उपभोक्ता के विद्युत बीजक रीडिंग के आधार पर ही नियमानुसार निर्गत किये जा रहे हैं।

2–. उपभोक्ता द्वारा अपने विद्युत बीजक की कुल बकाया धनराशि रू0. 71741.00 के सापेक्ष रू0. 20000.00 का भुगतान दिनांक 18.02.2026 को किया गया है। इससे पूर्व में उपभोक्ता द्वारा अपने बिल का अंतिम भुगतान दिनांक 21.08.2025 को किया गया था।

मंच के समक्ष परिवादी अनुपस्थित तथा विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री अमीचंद उपस्थित हुए।

क्रमशः.....02

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन, 05.00 किलोवाट भार पर, दिनांक 18.02.2006 से, श्री पूरणमल के नाम पर गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 14.02.2026 तक, एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। विपक्षी विभाग द्वारा, गत वर्षों में, निम्नानुसार, विद्युत खपत के बिल, परिवादी को जारी किए गए हैं:

अवधि			विद्युत खपत / रीडिंग का विवरण				अधिकतम
से	तक	माह (लगभग)	IR (kWh)	FR (kWh)	कुल खपत (यूनिट)	औसत खपत (यूनिट / माह)	भार (kW)
16.12.18	19.06.19	6.00	55184	59960	4776	796	3.58
19.06.19	19.12.19	6.00	59960	64460	4500	750	3.66
16.12.18	19.12.19	*12.00*	*55184*	*64460*	*9276*	*773*	*3.66*
19.12.19	05.02.20	1.53	64460	IDF	1010	660	3.56
05.02.20	20.06.20	4.50	00	3393	3393	754	3.56
20.06.20	19.12.20	6.00	3393	7435	4042	674	3.56
19.12.20	17.06.21	6.00	7435	11224	3789	632	2.89
17.06.21	10.12.21	5.76	11224	15214	3990	693	5.56
10.12.21	19.06.22	6.30	15214	19706	4492	713	4.46
19.06.22	17.12.22	6.00	19706	24782	5076	846	5.56
05.02.20	17.12.22	*34.40*	*00*	*24780*	*24782*	*720*	*6.56*
17.12.22	21.06.23	6.13	24780	31054	6272	1023	4.56
21.06.23	15.12.23	5.80	31054	37790	6736	1161	5.56
15.12.23	16.06.24	6.00	37790	44716	6926	1154	5.56
16.06.24	17.12.24	6.00	44716	51883	6867	1145	5.89
17.12.24	18.06.25	6.00	51583	58666	7083	1180	5.56
18.06.25	13.12.25	5.83	58666	66517	7851	1347	5.56
13.12.25	14.02.26	2.00	66517	67987	1470	735	5.56
17.12.22	14.02.26	*37.90*	*24782*	*67987*	*43205*	*1140*	*5.89*

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि परिवादी द्वारा, दिनांक 16.12.2018 से दिनांक 19.12.2019 तक, लगभग 12 माह की अवधि में, कुल 9276 (64460–55184) यूनिट की विद्युत खपत की गई है, इस प्रकार, परिवादी द्वारा उक्त 12 माह की अवधि में, लगभग 773 यूनिट प्रति माह की औसत दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है। परिवादी द्वारा दिनांक 19.12.2019 से दिनांक 17.12.2022 तक,

क्रमशः......03

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन, 05.00 किलोवाट भार पर, दिनांक 18.02.2006 से, श्री पूरणमल के नाम पर गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 14.02.2026 तक, एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। विपक्षी विभाग द्वारा, गत वर्षों में, निम्नानुसार, विद्युत खपत के बिल, परिवादी को जारी किए गए हैं:

अवधि			विद्युत खपत/रीडिंग का विवरण				अधिकतम
से	तक	माह (लगभग)	IR (kWh)	FR (kWh)	कुल खपत (यूनिट)	औसत खपत (यूनिट/माह)	भार (kW)
16.12.18	19.06.19	6.00	55184	59960	4776	796	3.58
19.06.19	19.12.19	6.00	59960	64460	4500	750	3.66
16.12.18	19.12.19	***12.00***	***55184***	***64460***	***9276***	***773***	***3.66***
19.12.19	05.02.20	1.53	64460	IDF	1010	660	3.56
05.02.20	20.06.20	4.50	00	3393	3393	754	3.56
20.06.20	19.12.20	6.00	3393	7435	4042	674	3.56
19.12.20	17.06.21	6.00	7435	11224	3789	632	2.89
17.06.21	10.12.21	5.76	11224	15214	3990	693	5.56
10.12.21	19.06.22	6.30	15214	19706	4492	713	4.46
19.06.22	17.12.22	6.00	19706	24782	5076	846	5.56
05.02.20	17.12.22	***34.40***	***00***	***24780***	***24782***	***720***	***6.56***
17.12.22	21.06.23	6.13	24780	31054	6272	1023	4.56
21.06.23	15.12.23	5.80	31054	37790	6736	1161	5.56
15.12.23	16.06.24	6.00	37790	44716	6926	1154	5.56
16.06.24	17.12.24	6.00	44716	51883	6867	1145	5.89
17.12.24	18.06.25	6.00	51583	58666	7083	1180	5.56
18.06.25	13.12.25	5.83	58666	66517	7851	1347	5.56
13.12.25	14.02.26	2.00	66517	67987	1470	735	5.56
17.12.22	14.02.26	***37.90***	***24782***	***67987***	***43205***	***1140***	***5.89***

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि परिवादी द्वारा, दिनांक 16.12.2018 से दिनांक 19.12.2019 तक, लगभग 12 माह की अवधि में, कुल 9276 (64460–55184) यूनिट की विद्युत खपत की गई है, इस प्रकार, परिवादी द्वारा उक्त 12 माह की अवधि में, लगभग 773 यूनिट प्रति माह की औसत दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है। परिवादी द्वारा दिनांक 19.12.2019 से दिनांक 17.12.2022 तक,

क्रमशः......04

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

17/03/2026

17/03/2026

(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य

(जी0 एस0 धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य

(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज–I, देहरादून में अपील कर सकता है।

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCE REDRESSAL FORUM
INDUSTRIAL AREA, HILL BYPASS, HARIDWAR

Case No: 64/2026

Sh. Udhav Negi **V/S** **Executive Engineer, Ramnagar, Roorkee**

ORDER SHEET

Signature	Date	Order	Next Date
	17.02.2026	शिकायत दर्ज होकर पेश हुई। अवलोकित की गई। विपक्षी को नोटिस जारी करें। विपक्षी 27.02.2026 तक उत्तर प्रस्तुत करें। पत्रावली दिनांक 27.02.2026 को पेश हो।	
	27.02.26	पत्रावली पेश हुई। विपक्षी का जवाब ई-मेल से प्राप्त। मूल प्रति अपेक्षित। पत्रावली मूल प्रति हेतु दिनांक 02.03.2026 नियत की जाती है।	
	02.03.26	पत्रावली पेश हुई। विपक्षी का जवाब मूल प्रति प्राप्त। जवाब की प्रति परिवादी को प्रेषित हो। पत्रावली सुनवाई हेतु दिनांक 17.03.2026 नियत की जाती है।	
	17/3/26	पत्रावली पेश हुई। परिवादी अनुपस्थित। परिवादी से फोन पर बात की उसने बताया कि दौरान वाद विपक्षी ने उसकी शिकायत का समाधान कर दिया है। उक्त के सन्दर्भ में परिवाद का निस्तारण किया जाता है। आदेश विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है। परिवाद का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली अभिलेखागार में दाखिल हो।	

ORDER SHEET

Case No. ...65......./2026

...M/s Charlie Four Hotels...... **V/S** **EE, EDD,** ...Kotdwar......................

Signature	Date	Order	Next Date
		आदेश विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है। परिवाद का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली अभिलेखागार में संचित हो।।	

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 67/2026 दिनांक : 24.03.2026

परिवादी :– श्री एम0एल0मल्होत्रा, मकान सं0 506/40, सिविल लाइन, रूड़की, हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नगरीय, रूड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार — न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू — तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री एम0एल0मल्होत्रा, मकान सं0 506/40, सिविल लाइन, रूड़की, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या–680के000026743, के सन्दर्भ में कथन किया है कि उनका विद्युत मीटर खराब हो गया था, जिस कारण उनका माह अक्टूबर एवं नवम्बर 2025 का विद्युत बिल आईडीएफ में आया था, माह दिसम्बर 2025 में नया मीटर लगने के बाद माह दिसम्बर एवं जनवरी का बिल वास्तविक खपत के रूप में आया है। आईडीएफ बिल एवं वास्तविक खपत के बिल में भारी अंतर है। अतः मंच से अनुरोध है कि आईडीएफ बिलों को वास्तविक विद्युत बिल के अनुसार, जितनी बिजली की खपत की गई है उसी के अनुसार संशोधित बिल बनवा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियंता द्वारा पत्र संख्या 6544 दिनांकित 02.03.2026 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता श्री एम0एल0 मल्होत्रा, मकांन सं0 506/40, सिविल लाईन, रूड़की के अघरेलू विद्युत संयोजन सं0 680के000026743 के सम्बंध में उपभोक्ता के परिसर पर स्थापित पुराना मीटर सं0 9579591 खराब होने के कारण परिसर पर दिनांक 06.12.2025 को नया स्मार्ट मीटर सं0 5640014 स्थापित किया गया। उपभोक्ता द्वारा की गई शिकायत निराधार है क्योकि उपभोक्ता की पूर्व की खपत माह 07/2025, 08/2025 व 09/2025 की खपत के आधार पर ही आईडीएफ के बिल निर्गत किये गये है तथा वर्तमान मे उपभोक्ता के परिसर पर स्मार्ट मीटर लगे होने के कारण वर्तमान बिल वास्तविक खपत के आधार पर जारी हुए है। अतः उपभोक्ता के सभी विद्युत बिजक विद्युत खपत के आधार पर ही निर्गत किये गये है।

मंच के समक्ष परिवादी के प्रतिनिधि श्री राजेश कुमार उपस्थित तथा विपक्षी अनुपस्थित रहे।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन, 10.00 किलोवाट विद्युत भार पर, दिनांक 25.02.2006 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 02.03.2026 तक, एमयू आधार पर विद्युत बिल जारी किए गए हैं। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 04.05.2025 तक एमयू आधार पर, दिनांक 13.10.2025 से दिनांक 09.12.2025 तक, आईडीएफ

क्रमशः.....02

आधार पर, दिनांक 17.01.2026 को एमसी तथा दिनांक 01.02.2026 एवं 02.03.2026 को, एमयू आधार पर विद्युत बिल परिवादी को जारी किए गए हैं। परिवादी द्वारा, आईडीएफ आधार पर जारी बिलों के सापेक्ष निर्धारित विद्युत खपत की मात्रा को, वर्तमान में गतिमान मीटर संख्या–5640014 पर दर्ज औसत विद्युत खपत की तुलना में अत्यधिक होने के कथन के साथ विवादित ठहराया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा, गत महिनों में, निम्नानुसार, विद्युत खपत के बिल, परिवादी को जारी किए गए हैं:

अवधि			विद्युत खपत/रीडिंग का विवरण			
से	तक	माह (लगभग)	IR (kWh)	FR (kWh)	कुल खपत (यूनिट)	औसत खपत (यूनिट/माह)
08.05.25	14.06.25	1.20	25947	30229	4282	3568
14.06.25	10.07.25	0.86	30229	34421	4192	4874
10.07.25	13.08.25	1.10	34421	38848	4427	4025
08.05.25	***13.08.25***	***3.16***	***25947***	***38848***	***12901***	***4083***
13.08.25	04.09.25	0.70	38848	43388	4540	6486
04.09.25	06.12.25	3.06	IDF	IDF	14097	4607
06.12.25	***28.02.26***	***2.73***	***00***	***8314***	***8314***	***3045***

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि परिवादी द्वारा, दिनांक 08.05.2025 से दिनांक 13.08.2025 तक, लगभग 3.16 माह की अवधि में, कुल 12908 (38848–25947) यूनिट की विद्युत खपत की गई है। इस प्रकार, परिवादी द्वारा उक्त 3.16 माह की अवधि में, लगभग 4083 यूनिट प्रति माह की औसत दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है जो कि उक्त 6486 यूनिट प्रति माह तथा 4607 यूनिट प्रति माह की तुलना में कमशः 37.05 प्रतिशत तथा 11.37 प्रतिशत कम है। परिवादी द्वारा, प्रश्नगत संयोजन पर वर्तमान में गतिमान मीटर संख्या–5640014 के माध्यम से, दिनांक 06.12.2025 से दिनांक 02.03.2026 (28.02.26) तक, लगभग 2.73 माह की अवधि में, कुल 8314 (8314–0) यूनिअ की विद्युत खपत की गई है। इस प्रकार, परिवादी द्वारा उक्त 2.73 माह की अवधि में, लगभग 3045 यूनिट प्रति माह की औसत दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 04.09.2025 से दिनांक 17.01.2025 तक, जारी बिलों को निरस्त करते हुए, दिनांक 13.08.2025 से दिनांक 06.12.2025 तक की अवधि हेतु, दिनांक 08.05.2025 से दिनांक 13.08.2025 तक की अवधि में की गई कुल विद्युत खपत के सापेक्ष दर्ज औसत मासिक विद्युत खपत के आधार पर तथा दिनांक 06.12.2025 से दिनांक 17.01.2026 तक की अवधि में, परिवादी के संयोजन पर वर्तमान में गतिमान मीटर संख्या–5640014 पर दर्ज वासतविक विद्युत खपत (2717 केडब्लूएच) के आधार पर, विलंब अधिभार रहित, संशोधित बिल, परिवादी को जारी किए जाने की आवश्यकता है।

क्रमशः.....03

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद अंशतः स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह दिनांक 04.09.2025 से दिनांक 17.01.2025 तक, जारी बिलों को निरस्त करते हुए, दिनांक 13.08.2025 से दिनांक 06.12.2025 तक की अवधि हेतु, दिनांक 08.05.2025 से दिनांक 13.08.2025 तक की अवधि में की गई कुल विद्युत खपत के सापेक्ष दर्ज औसत मासिक विद्युत खपत के आधार पर तथा दिनांक 06.12.2025 से दिनांक 17.01.2026 तक की अवधि में, परिवादी के संयोजन पर वर्तमान में गतिमान मीटर संख्या–5640014 पर दर्ज वासतविक विद्युत खपत (2717 केडब्लूएच) के आधार पर, विलंब अधिभार रहित, संशोधित बिल, परिवादी को जारी करे। विपक्षी विभाग आदेश की अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

24/03/2026

(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य

(जी0 एस0 धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य

24/03/2026

(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज–I, देहरादून में अपील कर सकता है।

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 70/2026 दिनांकः 24.03.2026

परिवादी :– श्री धीरज सिंह राणा पुत्र श्री गोविंद सिंह राणा, दुकान नं0 8, चण्डी देवी मंदिर, जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नगरीय, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार	न्यायिक सदस्य
श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू	तकनीकी सदस्य
श्री सतीश उनियाल	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवाद के तथ्य – श्री धीरज सिंह राणा पुत्र श्री गोविंद सिंह राणा, दुकान नं0 8, चण्डी देवी मंदिर, जिला–हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या–6961323049338, स्वीकृत भार 1 किलोवाट के सन्दर्भ में कागज सं0 1 ता 10 प्रस्तुत कर कथन किया है कि यह विद्युत कनेक्शन सन् 1998 से चला आता है। तब से वह लगातार बिल जमा करते आ रहे है, उनका अंतिम बिल जून 2025 तक जमा है। आप के विभाग के कर्मचारियों द्वारा 28.08.2025 को काट दिया था और अब मंच के द्वारा आदेश पारित कर चण्डी देवी मंदिर के दुकानों में कनेक्शन सुचारू करा दिये गये है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका विद्युत कनेक्शन को पुनः सुचारू करवा दिया जाए।

विपक्षी का जवाब – विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियंता द्वारा कागत सं0 12 ता 13 पत्र संख्या 4864 दिनांकित 09.03.2026 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि उपरोक्त वादी के विद्युत संयोजन संख्या–6961323049338 को प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, हरिद्वार को उनके कार्यालय पत्रांक 798/29–1, दिनांक 11.08.2025 के अनुपालन में विच्छेदित किया गया था। वादी द्वारा वन प्रभागीय भूमि पर उपरोक्त संयोजन को पुनः संयोजित किये जाने हेतु प्रभागीय वन प्रभाग से अनुमति तथा विद्युत बकाया धनराशि भुगतान के पश्चात ही उपरोक्त संयोजन को पुनः संयोजित कर दिया जायेगा।

–:विचारण:–

उभय पक्षो को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या विपक्षी द्वारा परिवादी का विद्युत कनेक्शन विच्छेदित किया जाना विधि सम्मत है?

1. पत्रावली मे उपलब्ध अभिलेखो के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रश्नगत विद्युत कनैक्शन सं0–6961323049338 श्री धीरज सिंह राणा पुत्र श्री गोविंद सिंह राणा, पताः दुकान नं0 8, चण्डी देवी मंदिर, जिला–हरिद्वार के नाम पर संयोजित रहा है जोकि 1998 मे संस्थापित किया गया गया था। प्रश्नगत कनैक्शन की बाबत बकाया होने का विभाग द्वारा कोई कथन नही किया गया है। परिवादी ने रुपये 11151.00 दिनांकित 03.7.2025 की भुगतान रसीद की प्रति पत्रावली पर दाखिल की है। परिवादी द्वारा कथन किया गया है कि विपक्षी ने दिनांक – 28.8.2025 को बिना किसी कारण के कनैक्शन को विच्छेदित कर दिया है। विपक्षी विभाग ने अपने जवाब मे उक्त कथन का खण्डन नही किया है तथा अपने जवाब मे वन विभाग के पत्रांक संख्या 798/29–1 हरिद्वार दिनांकित – 11.08.2025 की प्रति सलग्न कर लिखा है कि विपक्षी विभाग ने वन विभाग के पत्र पर कनैक्शन विच्छेदित किया है। साथ ही कथन किया है कि परिवादी द्वारा वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर संयोजन को पुनः संयोजित कर दिया जायेगा। संलग्न पत्र का अवलोकन करने पर पता चलता है कि पत्र वन विभाग द्वारा महन्त भवानी नन्दन के नाम पर लिखा गया है जिसमें लीज वन विभाग द्वारा निरस्त नही की गई है। पत्र की प्रति विपक्षी विभाग को सूचनार्थ प्रेषित की गई है। जिस पर विपक्षी विभाग को विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत विधिक राय प्राप्त कर विधि सम्मत निर्णय लेना चाहिए था।

2. उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग विनियम 2020 द्वारा निर्धारित विद्युत आपुर्ति संहिता के प्रावधान अध्याय 3.3.2(4) के अनुसार वांछित प्रपत्र विपक्षी विभाग द्वारा प्राप्त किये जाने के उपरांत ही प्रश्नगत विद्युत कनैक्शन परिवादी को जारी किया गया है। परिवादी द्वारा किसी विधिक प्रावधान का उल्लंघन भी नही किया गया है। न ही विभाग का परिवादी पर कोई बकाया है।

3. यहकि प्रावधान 3.3.2(4)(i)(e) के अवलोकन से स्पष्ट है कि वन विभाग की सहमति के आधार पर ही प्रश्नगत कनैक्शन विपक्षी द्वारा जारी किया जा सकता है। जिसके सम्बंध में विपक्षी की ओर से कोई कथन नही किया गया है। अर्थात विपक्षी विभाग ने वन विभाग की सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही प्रश्नगत कनैक्शन जारी किया गया है।

4. यहकि परिवादी के कब्जे वाली दुकान सम्पत्ति मे परिवादी के अधिकारो की मान्यता लीज के प्रभावी होने के कारण वैध चली आती है। परिवादी द्वारा किसी कानून का निरादर नही किया गया है। जब तक लीज प्रभावी है तब तक परिवादी को बिजली व अन्य बुनियादी सुविधाओ से वंचित नही किया जा सकता है।

5. यहकि विपक्षी विभाग द्वारा सलग्न पत्र मे प्रयोग भाषा के आधार पर भी विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी का विद्युत कनैक्शन विच्छेदित किया जाना विधिक प्रावधानो के विरुद्व है जिससे उपभोक्ता के अधिकार का भी हनन होता है।

6. यहकि परिवादी के प्रश्नगत परिसर पर विद्युत कनैक्शन का पुनः संयोजन किया जाना विधि एवं न्याय की दृष्टि से मंच की राय मे उचित एवं न्याय संगत है। तद्नुसार निस्तारण किया जाता है।

आदेश

परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह परिवादी के विद्युत कनैक्शन सं0–6961323049338 को पुनः संयोजित करते हुए विद्युत संचालित करे। आदेश अनुपालन अविलम्ब किया जाये। अनुपालन आख्या नियमानुसार मंच के समक्ष प्रस्तुत हो। पत्रावली दफ्तर दाखिल हो।

24/03/2026

(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य

(जी0 एस0 धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य

24/03/2026

(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज–I, देहरादून में प्रत्यावेदन कर सकता है।

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 71/2026 दिनांक : 24.03.2026

परिवादी :– श्री पुरूषोत्तम गिरी पुत्र श्री उमराव गिरी, चण्डी देवी मंदिर, जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नगरीय, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार — न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू — तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवाद के तथ्य – परिवादी श्री पुरूषोत्तम गिरी पुत्र श्री उमराव गिरी, चण्डी देवी मंदिर, जिला–हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या–6961323069205, स्वीकृत भार 1 किलोवाट के सन्दर्भ में कागज सं0 1 ता 7 प्रस्तुत कर कथन किया है कि यह विद्युत कनेक्शन सन् 2000 से चला आता है। तब से वह लगातार बिल जमा करते आ रहे है, उनका अंतिम बिल जुलाई 2025 तक जमा है। आप के विभाग के कर्मचारियों द्वारा 28.08.2025 को काट दिया था और अब मंच के द्वारा आदेश पारित कर चण्डी देवी मंदिर के दुकानों में कनेक्शन सुचारू करा दिये गये है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका विद्युत कनेक्शन को पुनः सुचारू करवा दिया जाए।

विपक्षी का जवाब – विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियंता द्वारा कागत सं0 10 ता 11 पत्र संख्या 4866 दिनांकित 09.03.2026 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि उपरोक्त वादी के विद्युत संयोजन संख्या–6961323069205 को प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, हरिद्वार को उनके कार्यालय पत्रांक 798/29–1, दिनांक 11.08.2025 के अनुपालन में विच्छेदित किया गया था। वादी द्वारा वन प्रभागीय भूमि पर उपरोक्त संयोजन को पुनः संयोजित किये जाने हेतु प्रभागीय वन प्रभाग से अनुमति तथा विद्युत बकाया धनराशि भुगतान के पश्चात ही उपरोक्त संयोजन को पुनः संयोजित कर दिया जायेगा।

–:विचारण:–

उभय पक्षो को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या विपक्षी द्वारा परिवादी का विद्युत कनेक्शन विच्छेदित किया जाना विधि सम्मत है? उपरोक्त वाद बिन्दु के निस्तारण के दृष्टिगत निम्नलिखित विचारण किया गया–

1. पत्रावली मे उपलब्ध अभिलेखो के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रश्नगत विद्युत कनेक्शन सं0–6961323069205 श्री पुरूषोत्तम गिरी पुत्र श्री उमराव गिरी, पता: चन्डीदेवी मन्दिर हरिद्वार के नाम पर संयोजित रहा है जोकि 2000 मे संस्थापित किया गया गया था। प्रश्नगत कनेक्शन की बाबत बकाया होने का विभाग द्वारा कोई कथन नही किया गया है। परिवादी ने रुपये 3562.00 दिनांकित 21.7.2025 की भुगतान रसीद की प्रति पत्रावली पर दाखिल की है। परिवादी द्वारा कथन किया गया है कि विपक्षी ने दिनांक – 28.8.2025 को बिना किसी कारण के कनेक्शन को विच्छेदित कर दिया है। विपक्षी विभाग ने अपने जवाब मे उक्त कथन का खण्डन नही किया है तथा अपने जवाब मे वन विभाग के पत्रांक संख्या 798/29–1 हरिद्वार दिनांकित – 11.08.2025 की प्रति सलग्न कर लिखा है कि विपक्षी विभाग ने वन विभाग के पत्र पर कनेक्शन विच्छेदित किया है। साथ ही कथन किया है कि परिवादी द्वारा वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर संयोजन को पुनः संयोजित कर दिया जायेगा। संलग्न पत्र का अवलोकन करने पर पता चलता है कि पत्र वन विभाग द्वारा महन्त भवानी नन्दन के नाम पर लिखा गया है जिसमें लीज वन विभाग द्वारा निरस्त नही की गई है। पत्र की प्रति विपक्षी विभाग को सूचनार्थ प्रेषित की गई है। जिस पर विपक्षी विभाग को विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत विधिक राय प्राप्त कर विधि सम्मत निर्णय लेना चाहिए था।
2. उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग विनियम 2020 द्वारा निर्धारित विद्युत आपुर्ति संहिता के प्रावधान अध्याय 3.3.2(4) के अनुसार वांछित प्रपत्र विपक्षी विभाग द्वारा प्राप्त किये जाने के उपरांत ही प्रश्नगत विद्युत कनेक्शन परिवादी को जारी किया गया है। परिवादी द्वारा किसी विधिक प्रावधान का उल्लंघन भी नही किया गया है। न ही विभाग का परिवादी पर कोई बकाया है।
3. यहकि प्रावधान 3.3.2(4)(i)(e) के अवलोकन से स्पष्ट है कि वन विभाग की सहमति के आधार पर ही प्रश्नगत कनेक्शन विपक्षी द्वारा जारी किया जा सकता है। जिसके सम्बंध में विपक्षी की ओर से कोई कथन नही किया गया है। अर्थात विपक्षी विभाग ने वन विभाग की सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही प्रश्नगत कनेक्शन जारी किया गया है।

4. यहकि परिवादी के कब्जे वाली दूकान सम्पत्ति मे परिवादी के अधिकारो की मान्यता लीज के प्रभावी होने के कारण वैध चली आती है। परिवादी द्वारा किसी कानून का निरादर नही किया गया है। जब तक लीज प्रभावी है तब तक परिवादी को बिजली व अन्य बुनियादी सुविधाओ से वंचित नही किया जा सकता है।
5. यहकि विपक्षी विभाग द्वारा सलग्न पत्र मे प्रयोग भाषा के आधार पर भी विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी का विद्युत कनेक्शन विच्छेदित किया जाना विधिक प्रावधानो के विरुद्व है जिससे उपभोक्ता के अधिकार का भी हनन होता है।
6. यहकि परिवादी के प्रश्नगत परिसर पर विद्युत कनेक्शन का पुनः संयोजन किया जाना विधि एवं न्याय की दृष्टि से मंच की राय मे न्याय संगत है। तद्नुसार निस्तारण किया जाता है।

आदेश

परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह परिवादी के विद्युत कनेक्शन सं0–6961323069205 को पुनः संयोजित करते हुए विद्युत संचालित करे। आदेश का अनुपालन अविलम्ब किया जाये। अनुपालन आख्या नियमानुसार मंच के समक्ष प्रस्तुत हो। पत्रावली दफ्तर दाखिल हो।

(संजीव कुमार)	24/03/2026 (जी0 एस0 धर्मसत्तू)	24/03/2026 (सतीश उनियाल)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज–I, देहरादून में प्रत्यावेदन कर सकता है।

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 72/2026 दिनांकः 24.03.2026

परिवादी :– श्री बाबू राम पुत्र स्व0 श्री चंद्रपाल ठाकुर, चण्डी देवी मंदिर, जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नगरीय, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार — न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू — तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवाद के तथ्य – श्री बाबू राम पुत्र स्व0 श्री चंद्रपाल ठाकुर, चण्डी देवी मंदिर, जिला–हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या–6961323049328, स्वीकृत भार 1 किलोवाट के सन्दर्भ में कागज सं0 1 ता 8 प्रस्तुत कर कथन किया है कि यह विद्युत कनेक्शन सन् 1999 से चला आता है। तब से वह लगातार बिल जमा करते आ रहे है, उनका अंतिम बिल जुलाई 2025 तक जमा है। आप के विभाग के कर्मचारियों द्वारा 28.08.2025 को काट दिया था और अब मंच के द्वारा आदेश पारित कर चण्डी देवी मंदिर के दुकानों में कनेक्शन सुचारू करा दिये गये है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका विद्युत कनेक्शन को पुनः सुचारू करवा दिया जाए।

विपक्षी का जवाब – विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियंता द्वारा कागत सं0 10 ता 11 पत्र संख्या 4865 दिनांकित 09.03.2026 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि उपरोक्त वादी के विद्युत संयोजन संख्या–6961323049328 को प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, हरिद्वार को उनके कार्यालय पत्रांक 798/29–1, दिनांक 11.08.2025 के अनुपालन में विच्छेदित किया गया था। वादी द्वारा वन प्रभागीय भूमि पर उपरोक्त संयोजन को पुनः संयोजित किये जाने हेतु प्रभागीय वन प्रभाग से अनुमति तथा विद्युत बकाया धनराशि भुगतान के पश्चात ही उपरोक्त संयोजन को पुनः संयोजित कर दिया जायेगा।

–:विचारण:–

उभय पक्षो को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या विपक्षी द्वारा परिवादी का विद्युत कनेक्शन विच्छेदित किया जाना विधि सम्मत है? उपरोक्त वाद बिन्दु के निस्तारण के दृष्टिगत निम्नलिखित विचारण किया गया–

1. पत्रावली मे उपलब्ध अभिलेखो के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रश्नगत विद्युत कनेक्शन सं0–6961323049328 श्री बाबू राम पुत्र स्व0 श्री चंद्रपाल ठाकुर, पताः चण्डी देवी मंदिर, जिला–हरिद्वार के नाम पर संयोजित रहा है जोकि 1999 मे संस्थापित किया गया गया था। प्रश्नगत कनेक्शन की बाबत बकाया होने का विभाग द्वारा कोई कथन नही किया गया है। परिवादी ने रुपये 5905.00 दिनांकित 24.7.2025 की भुगतान रसीद की प्रति पत्रावली पर दाखिल की है। परिवादी द्वारा कथन किया गया है कि विपक्षी ने दिनांक – 28.8.2025 को बिना किसी कारण के कनेक्शन को विच्छेदित कर दिया है। विपक्षी विभाग ने अपने जवाब मे उक्त कथन का खण्डन नही किया है तथा अपने जवाब मे वन विभाग के पत्रांक संख्या 798 / 29–1 हरिद्वार दिनांकित – 11.08.2025 की प्रति सलग्न कर लिखा है कि विपक्षी विभाग ने वन विभाग के पत्र पर कनेक्शन विच्छेदित किया है। साथ ही कथन किया है कि परिवादी द्वारा वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर संयोजन को पुनः संयोजित कर दिया जायेगा। संलग्न पत्र का अवलोकन करने पर पता चलता है कि पत्र वन विभाग द्वारा महन्त भवानी नन्दन के नाम पर लिखा गया है जिसमें लीज वन विभाग द्वारा निरस्त नही की गई है। पत्र की प्रति विपक्षी विभाग को सूचनार्थ प्रेषित की गई है। जिस पर विपक्षी विभाग को विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत विधिक राय प्राप्त कर विधि सम्मत निर्णय लेना चाहिए था।
2. उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग विनियम 2020 द्वारा निर्धारित विद्युत आपुर्ति संहिता के प्रावधान अध्याय 3.3.2(4) के अनुसार वांछित प्रपत्र विपक्षी विभाग द्वारा प्राप्त किये जाने के उपरांत ही प्रश्नगत विद्युत कनेक्शन परिवादी को जारी किया गया है। परिवादी द्वारा किसी विधिक प्रावधान का उल्लंघन भी नही किया गया है। न ही विभाग का परिवादी पर कोई बकाया है।
3. यहकि प्रावधान 3.3.2(4)(i)(e) के अवलोकन से स्पष्ट है कि वन विभाग की सहमति के आधार पर ही प्रश्नगत कनेक्शन विपक्षी द्वारा जारी किया जा सकता है। जिसके सम्बंध में विपक्षी की ओर से कोई कथन नही किया गया है। अर्थात विपक्षी विभाग ने वन विभाग की सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही प्रश्नगत कनेक्शन जारी किया गया है।

4. यहकि परिवादी के कब्जे वाली दूकान सम्पत्ति मे परिवादी के अधिकारो की मान्यता लीज के प्रभावी होने के कारण वैध चली आती है। परिवादी द्वारा किसी कानून का निरादर नही किया गया है। जब तक लीज प्रभावी है तब तक परिवादी को बिजली व अन्य बुनियादी सुविधाओ से वंचित नही किया जा सकता है।
5. यहकि विपक्षी विभाग द्वारा सलग्न पत्र मे प्रयोग भाषा के आधार पर भी विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी का विद्युत कनेक्शन विच्छेदित किया जाना विधिक प्रावधानो के विरुद्व है जिससे उपभोक्ता के अधिकार का भी हनन होता है।
6. यहकि परिवादी के प्रश्नगत परिसर पर विद्युत कनेक्शन का पुनः संयोजन किया जाना विधि एवं न्याय की दृष्टि से मंच की राय मे न्याय संगत है। तद्नुसार निस्तारण किया जाता है।

आदेश

परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह परिवादी के विद्युत कनेक्शन सं0–6961323049328 को पुनः संयोजित करते हुए विद्युत संचालित करे। आदेश अनुपालन अविलम्ब किया जाये। अनुपालन आख्या नियमानुसार मंच के समक्ष प्रस्तुत हो। पत्रावली दफ्तर दाखिल हो।

24/03/2026

(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य

(जी0 एस0 धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य

24/03/2026

(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज–I, देहरादून में प्रत्यावेदन कर सकता है।

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCE REDRESSAL FORUM
INDUSTRIAL AREA, HILL BYPASS, HARIDWAR

Case No: 74/2026

Sh. Raman **V/S** **Executive Engineer, SIDCUL, Haridwar**

ORDER SHEET

Signature	Date	Order	Next Date
	24.02.2026	शिकायत दर्ज होकर पेश हुई। अवलोकित की गई। विपक्षी को नोटिस जारी करें। विपक्षी 09.03.2026 तक उत्तर प्रस्तुत करें। पत्रावली दिनांक 09.03.2026 को पेश हो।	
	09.03.26	पत्रावली पेश हुई। विपक्षी का जवाब प्राप्त। जवाब की प्रति परिवादी को प्रेषित हो। पत्रावली सुनवाई हेतु दिनांक 17.03.2026 नियत की जाती है।	
	17/03/26	उभय पक्ष अनुपस्थित। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर पत्रावली का निस्तारण किया जा रहा है। विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है। निस्तारित। आदेश हेतु पत्रावली जांच के समक्ष पेश हो।	
		आदेश	
	17/3/26	परिवादी की शिकायत का समाधान विपक्षी द्वारा दौरान परिवाद सुनवाई किया जा चुका है। इस कारण किसी आदेश की आवश्यकता नहीं है। परिवाद का निस्तारण किया जाता है।	

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCE REDRESSAL FORUM
INDUSTRIAL AREA, HILL BYPASS, HARIDWAR

Case No: 75/2026

Smt. Tarannum **V/S** **Executive Engineer, Rural, Roorkee**

ORDER SHEET

Signature	Date	Order	Next Date
	02.03.2026	शिकायत दर्ज होकर पेश हुई। अवलोकित की गई। विपक्षी को नोटिस जारी करें। विपक्षी 17.03.2026 तक उत्तर प्रस्तुत करें। पत्रावली दिनांक 17.03.2026 को पेश हो।	
	17.03.2026	पत्रावली पेश हुई। विपक्षी का जवाब प्राप्त। जवाब की प्रति परिवादी को प्रेषित हो। पत्रावली सुनवाई हेतु दिनांक 24.03.2026 नियत की जाती है। पक्षकार सूचित हो।	
	24/03/26	उभय पक्ष अनुपस्थित। विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है। परिवादी द्वारा ई-मेल पर विपक्षी के समाधान को लेकर संतुष्टि प्रदान की है। निस्तारित। आदेश हेतु पत्रावली फोरम के समक्ष पेश हो। आदेश परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान वाद दौरान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दफ्तर दाखिल हो।	

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCE REDRESSAL FORUM
INDUSTRIAL AREA, HILL BYPASS, HARIDWAR

Case No: 80/2026

Sh. Arun Kumar Singh V/S Executive Engineer, Urban, Roorkee

ORDER SHEET

Signature	Date	Order	Next Date
	09.03.2026	शिकायत दर्ज होकर पेश हुई। अवलोकित की गई। विपक्षी को नोटिस जारी करें। विपक्षी 17.03.2026 तक उत्तर प्रस्तुत करें। पत्रावली दिनांक 17.03.2026 को पेश हो।	
	17.03.26	पत्रावली पेश हुई। विपक्षी का जवाब ई० मेल से प्राप्त। पत्रावली मूल प्रति हेतु दिनांक 24.03.2026 नियत की जाती है।	
	24.03.2026	पत्रावली पेश हुई। विपक्षी का जवाब प्राप्त। जवाब की प्रति परिवादी को प्रेषित हो। पत्रावली सुनवाई हेतु दिनांक 31.03.2026 नियत की जाती है।	
	31/3/26	पत्रावली पेश हुई। परिवादी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया कि विपक्षी के द्वारा परिवाद विषयक का समाधान कर दिया गया है। पत्रावली निस्तारित की जाती है। आदेश विपक्षी ने परिवादी की शिकायत का दौरान परिवाद सुनवाई निस्तारण कर दिया है। तदनुसार परिवाद का निस्तारण किया जाता है।	

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCE REDRESSAL FORUM
INDUSTRIAL AREA, HILL BYPASS, HARIDWAR

Case No: 84/2026

Smt. Roli Aggarwal V/S Executive Engineer, SIDCUL, Haridwar

ORDER SHEET

Signature	Date	Order	Next Date
	11.03.2026	शिकायत दर्ज होकर पेश हुई। अवलोकित की गई। विपक्षी को नोटिस जारी करें। विपक्षी 24.03.2026 तक उत्तर प्रस्तुत करें। पत्रावली दिनांक 24.03.2026 को पेश हो।	
	24.03.26	पत्रावली पेश हुई। विपक्षी का जवाब प्राप्त। जवाब की प्रति परिवादी को प्रेषित हो। पत्रावली सुनवाई हेतु दिनांक 31.03.2026 नियत की जाती है।	
	31/3/26	पत्रावली पेश हुई। पक्षकार अनुपस्थित। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर निस्तारण हेतु पत्रावली मंच के समक्ष पेश हो।	
		निर्णय आदेश विपक्षी द्वारा दौरान वाद परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया है। तदनुसार परिवाद को निस्तारित किया जाता है।	

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 256/2025 दिनांक : 24.03.2026

परिवादी :– श्री शाहिद खां पुत्र श्री सफ्फकत अली, निवासी–ग्राम–सलेमपुर महदूद, बहादराबाद, जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ज्वालापुर, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार — न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू — तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री शाहिद खां पुत्र श्री सफ्फकत अली, निवासी–ग्राम–सलेमपुर महदूद, बहादराबाद, जिला–हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या–जेडब्लू0के00192147 के सन्दर्भ में कथन किया है कि उनका यह दूसरा परिवाद पत्र है। इससे पूर्व उनके द्वारा एक परिवाद माननीय मंच के समक्ष योजित किया था। परंतु उक्त परिवाद अधूरे तथ्यों के चलते परिवादी के द्वारा पुनः नया परिवाद योजित करने की अनुमति के साथ दिनांक 23.09.2025 को माननीय मंच के समक्ष प्रार्थना पत्र योजित कर वापस ले लिया था। उनके गोदाम/प्रतिष्ठान पर एक विद्युत संयोजन संख्या–जेडब्लू0के00192147 विपक्षी विभाग के द्वारा आंवटित व स्थापित चला आता है। उक्त संयोजन वर्तमान में गतिमान चला आता है। उनके द्वारा अपने उपरोक्त संयोजन का विद्युत भार बढ़ाये जाने के लिए विपक्षी विभाग के समक्ष आवेदन किया था। उनके आवेदन को स्वीकार कर विपक्षी विभाग के द्वारा उनके विद्युत संयोजन उपरोक्त का विद्युत भार 15 कि0वा0 से बढ़ाकर 20 कि0वा0 कर दिया गया था। उनके विद्युत संयोजन का विद्युत भार बढ़ाये जाने के उपरांत अचानक विपक्षी विभाग के कर्मचारी उनको कोई पूर्व सूचना दिए बिना उनके प्रतिष्ठान पर आये और उनको बिना कोई सूचना दिए उनके मुख्य मीटर संख्या 09548113 के सापेक्ष एक चैक मीटर संख्या 5136905 उनके प्रतिष्ठान पर दिनांक 06.08.2024 को स्थापित कर चले गये। जबकि विपक्षी विभाग के द्वारा उनके प्रतिष्ठान पर चैक मीटर स्थापित किए जाने से पूर्व चैक मीटर की कोई वैध जांच रिपोर्ट उनको या उनके प्रतिनिधि को उपलब्ध नहीं कराई गयी है। चैक मीटर स्थापित किए जाने की सीलिंग रिपोर्ट दिनांकित 06.08.2024 की छायाप्रति परिवाद पत्र के साथ संलग्न है। जिसके उपरांत अचानक उनके मुख्य मीटर व चैक मीटर, जल गये एवं उन्होंने कार्य करना बंद कर दिया एवं उनका डिस्पले भी कार्य नहीं कर रहा था। जिसके संबंध में उन्होंने विपक्षी विभाग के समक्ष, दिनांक 25.11.2024 में, एक ऑनलाईन शिकायत की थी। शिकायत दिनांकित 25.11.2024 की छायाप्रति परिवाद पत्र के साथ संलग्न है। उनकी शिकायत पर विपक्षी विभाग के कर्मचारी दिनांक 21.12.2024 को उनके प्रतिष्ठान पर आये और उनके मुख्य मीटर संख्या 09548113 के स्थान पर नया मीटर संख्या 7907461 स्थापित कर चले गये।

क्रमशः.....02

जबकि उनके प्रतिष्ठान पर स्थापित जले हुए चैक मीटर को विपक्षी विभाग के कर्मचारी बिना बदले चले गये। जब उन्होंने विपक्षी विभाग के कर्मरचारियों से जले हुए चैक मीटर को बदलने के लिए बोला तो विपक्षी विभाग के कर्मचारियों ने उनसे अवैध रूप से पैसों की मांग, चैक मीटर बदलने की एवज में की और यह भी कहा की तुमने लोड भी फ्री में बढ़वा लिया अब चैक मीटर बदलवाने के लिए तो खर्च करना ही पड़ेगा। उन्होंने विपक्षी विभाग के कर्मचारियों को पैसा देने से इनकार कर दिया। विपक्षी विभाग के कर्मचारियों के द्वारा उनके प्रतिष्ठान पर स्थापित जले हुए चैक मीटर को मौखिक रूप से आग्रह पर नहीं बदलने के उपरांत उन्होंने दिनांक 21.12.2024 को ही दूसरा मीटर बदलने हेतु एक प्रार्थना पत्र विपक्षी विभाग के समक्ष प्रस्तुत किया था। जिस पर विपक्षी विभाग के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। दिनांक 28.02.2025 को विपक्षी विभाग के कर्मचारी उनके प्रतिष्ठान पर बिना कोई पूर्व सूचना दिए आये उस समय वह प्रतिष्ठान पर मौजूद नहीं थे और उनको बिना कोई पूर्व सूचना दिए उनकी गैर मौजूदगी में उनके प्रतिष्ठान से चैक मीटर उतार कर ले गये। जिसके उपरांत उनको चैक मीटर की जांच किए जाने के सम्बंध मे एक पत्र विपक्षी विभाग से प्राप्त हुआ। जिस पर उनका पुत्र श्री सफरत दिनांक 25.04.2025 को विपक्षी विभाग में गये वहां पर विभाग के कर्मचारियों ने उनके पुत्र को उनके प्रतिष्ठान से उतारे गये चैक मीटर को सही बताते हुए एक कागज पर उनके पुत्र के हस्ताक्षर कराये और उनके पुत्र के सामने कोई जांच किए बिना उनके पुत्र को वापस भेज दिया गया। जिसके उपरांत उनको विपक्षी विभाग की ओर से एक अंतिम निर्धारण पत्र दिनांकित 19.05.2025 का, कुल मुबलिग 20,06,750.00 रूपये का इन कथनों के साथ प्राप्त हुआ कि "1. तीनों फेजो की सीटी से निकलने वाली सेकेंडरी की वायर में (S1&S2मे) बारीक छेद के निशान पाये गये। 2. साईट से मिली मीटर के सीटी बाक्स की सीले टेम्पर्ड पायी गयी। 3. मीटर पूरी तरह से जला हुआ पाया गया तथा उसकी बाडी पूरी तरह से खुली पायी गयी।" एवं उनके ऊपर विपक्षी विभाग के द्वारा बिजली चोरी का झूठा आरोप लगाते हुए अंतिम निर्धारण प्रेषित कर दिया गया। जबकि विपक्षी विभाग के द्वारा निर्धारण दिनांकित 19.05.2025 में यह कही पर भी उल्लेख नहीं किया गया है कि, उनके द्वारा उनके ऊपर किस दिनांक माह या वर्ष से किस माह का कितना निर्धारण तय किया गया है। जो कि स्वयं अन्तिम निर्धारण दिनांकित 19.05.2025 में संदेह उत्पन्न करता है। निर्धारण प्राप्त होने के उपरांत उन्होंने विपक्षी विभाग के समक्ष जाकर जब जानकारी करने हेतु एक प्रार्थना पत्र दिनांक 21.05.2025 को प्रस्तुत किया तो विपक्षी विभाग के द्वारा उनको एक जांच रिपोर्ट दिनांक 25.04.2025 की प्रति प्रदान की गई। जिसमें विपक्षी विभाग के द्वारा चैक मीटर संख्या 7907461 की जांच किए जाने उसकी सेकेंडरी वायर (S1&S2) में छेद होने का वर्णन एवं सीटी बाक्स की सीले टैम्पर्ड एवं मीटर जला होने बॉडी पूरी खुली होने का कथन किया गया है। जब उनके पुत्र ने घर आकर उक्त जांच रिपोर्ट दिनांकित 25.04.2025 का अवलोकन किया तो उन्होंने देखा की विपक्षी विभाग जिस मीटर संख्या 7907461 की जांच करना एवं उसमे गड़बड़ी होने का कथन करते हुए उनके ऊपर अंतिम निर्धारण कुल मुबलिग 20,06,750.00 रूपये अधिरोपित कर विद्युत चोरी का झूठा आरोप उनके ऊपर लगा रहा है। उक्त मीटर संख्या 7907461 वर्तमान में उनके प्रतिष्ठान पर स्थापित है वर्तमान में भी उनके प्रतिष्ठान पर गतिमान चला आता है। जिससे स्पष्ट है कि, उनके द्वारा विपक्षी विभाग के कर्मचारियों की अवैध पैसों की मांग पूरी नहीं करने के चलते विपक्षी विभाग के द्वारा उनके विरूद्ध झूठी एवं फर्जी कार्यवाहियों दर्शाकर गलत एवं फर्जी निर्धारण कुल मुबलिग 20,06,750.00 रूपये उनके ऊपर गलत एवं विधि विरूद्ध तरीके से अधिरोपित किया गया है। अतः मंच से अनुरोध है कि विपक्षी विभाग को आदेशित करने की कृपा करे, कि वह उनके विरूद्ध गलत तरीके से अधिरोपित किए गये निर्धारण दिनांकित 19.05.2025 कुल मुबलिग 20,06,750.00 रूपये को निरस्त करे। अन्य कोई अनुतोष जो मंच की राय में उचित हो वह भी प्रार्थी को विपक्षीगण से दिलाया जाए।

क्रमशः.....03

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा पत्र दिनांकित 30.12.2025 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि वह विपक्षी विद्युत विभाग में अधिशासी अभियंता के पद पर नियुक्त चला आता है तथा शिकायतकर्ता का विद्युत संयोजन उनके क्षेत्राधिकार में स्थित चला आता है तथा विपक्षी विभाग द्वारा उनकी ओर से आपत्ति योजित करने हेतु अधिकृत चला आता है। शिकायतकर्ता द्वारा उक्त शिकायत गलत, मिथ्या एवं असत्य कथनों पर योजित की गयी है तथा सही तथ्यों का उल्लेख जानबूझकर माननीय आयोग के समक्ष नहीं किया गया है। इसलिए उक्त शिकायत इसी स्तर पर निरस्त होने योग्य है। शिकायतकर्ता की अपनी शिकायत के पैरा सं0 2 में विद्युत कनेक्शन होना स्वीकार है, शेष कथन जिस प्रकार तहरीर किये गये है, स्वीकार नहीं है। शिकायतकर्ता का अपनी शिकायत के पैरा सं0 3 यह कथन करना कि शिकायतकर्ता के मुख्य मीटर के सापेक्ष चैक मीटर लगाया जाना स्वीकार है तथा यह कथन स्वीकार नहीं है कि चैक मीटर स्थापित किये जाने से पूर्व कोई वैध जांच रिपोर्ट अथवा उसके प्रतिनिधि उपलब्ध न हो स्वीकार नहीं है। बल्कि सही तथ्य यह है कि चैक मीटर की सिलिंग रिपोर्ट पर उपभोक्ता के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर चले आते है तथा यह कथन करना कि चैक मीटर स्थापित किये जाने की कोई सिलिंग रिपोर्ट उपलब्ध न करायी गयी हो के कथन गलत, मिथ्या एवं असत्य कथनों पर आधारित है। शिकायतकर्ता द्वारा चैक मीटर की सिलिंग रिपोर्ट की प्रति स्वयं ही संलग्नक 1 के रूप में संलग्नक की हुई है। शिकायतकर्ता का अपनी शिकायत के पैरा सं0 4 यह कथन करना कि शिकायतकर्ता के मुख्य मीटर व चैक मीटर जल गये हो एवं उन्होने कार्य करना बंद कर दिया गया हो एवं उनके डिस्पले भी कार्य न कर रहे हो जिस प्रकार तहरीर किया गया है स्वीकार नहीं है। शिकायतकर्ता का अपनी शिकायत के पैरा सं0 5 यह कथन करना कि विपक्षी के कर्मचारी दिनांक 21.12.2024 को शिकायतकर्ता के प्रतिष्ठान पर आये और मुख्य मीटर के स्थान पर नया मीटर स्थापित कर चले गये स्वीकार है। शिकायतकर्ता का यह कथन स्वीकार नहीं है कि जले हुए चैक मीटर को शिकायतकर्ता के परिसर पर ही छोडकर चले गये हो और चैक मीटर बदलने के लिए पैसे देने की मांग की गयी हो के समस्त कथन गलत, मिथ्या एवं असत्य कथनों पर आधारित है और यह कथन भी स्वीकार नहीं है कि दिनांक 21.12.2024 की सिलिंग रिपोर्ट शिकायतकर्ता को न दी हो। शिकायतकर्ता द्वारा स्वयं सिलिंग रिपोर्ट की प्रति संलग्नक सं0 2 के रूप में संलग्नक की हुई है। शिकायतकर्ता की उक्त शिकायत झुठे कथनों पर आधारित है। शिकायतकर्ता दोनों बार मीटरों की सिलिंग रिपोर्ट न देने के कथन कर रहा है। जबकि दोनों सिलिंग रिपोर्ट उसी के द्वारा संलग्नक की गयी है और दोनों सिलिंग रिपोर्ट पर उसके प्रतिनिधि सफरत के हस्ताक्षर चले आते है। शिकायतकर्ता का अपनी शिकायत के पैरा सं0 7 व 8 में यह कथन करना कि दिनांक 28.02.2025 को विपक्षी विभाग के कर्मचारी शिकायतकर्ता के प्रतिष्ठान पर गये हो और बिना सूचना दिये चैक मीटर उतारकर ले गये हो और शिकायतकर्ता के पुत्र को दिनांक 25.04.2025 को विपक्षी विभाग के यहां बुलाया गया हो जिस प्रकार तहरीर किये गये है स्वीकार है, शेष कथन जिस प्रकार तहरीर किये गये है स्वीकार नहीं है। बल्कि सही तथ्य यह है कि दिनांक 28.02.2025 को शिकायतकर्ता के परिसर पर विपक्षी विभाग जब चैक मीटर की जांच करने पर पाया गया कि मीटर के साथ छेड़खानी की गयी है जिसमें सेकण्डरी तारों से छेड़छाड होना पाया गया था, जिसके आधार पर मीटर को उतारकर सील करते हुए विद्युत परीक्षणशाला, सिड़कुल, हरिद्वार भेजा गया था और दिनांक 25.04.2025 को शिकायतकर्ता के पुत्र की उपस्थिति में मीटर की सील खोलकर उसकी जांच करने पर पाया गया कि:–

(ए):– तीनों फेजों की सिटी से निकलने वाले सेकण्डरी की वायर में (एस 1 व एस 2) में बारीक छेद के निशान पाये गये।

(बी):– साईट से मिले मीटर के सिटी बाक्स की सीले टैम्पर्ड पायी गयी।

क्रमशः.....04

(सी):— मीटर पूरी तरह से जला पाया गया तथा उसकी बॉडी पूरी तरह से खुली पायी गयी थी। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अंतर्गत शिकायतकर्ता का उक्त कृत्य विद्युत चोरी की श्रेणी में आता है। धारा 135 बी0 व सी0 के अंतर्गत शिकायतकर्ता दोषी पाया गया है और उक्त दोष के कारण शिकायतकर्ता पर धारा 126 व उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, अधिनियम, 2020 के अंतर्गत रू0. 20,06,750.00 का अंतिम राजस्व निर्धारण करते हुए पत्रांक सं0 3417 दिनांक 19.05.2025 को प्रेषित किया गया था। जिसे शिकायतकर्ता अपनी शिकायत के पैरा सं0 8 में प्राप्त होना स्वीकार करता है, दिया गया था। जिस पर उसे 15 दिन के अंदर उसे आपत्ति प्रस्तुत करनी थी। जो कि शिकायतकर्ता द्वारा आज तक नहीं की गयी है। धारा 126 के अंतर्गत प्रेषित अंतिम राजस्व निर्धारण से क्षुब्ध व्यक्ति, अंतर्गत धारा 127 में अपील माननीय जिला मजिस्ट्रेट महोदय के यहां कर सकता है, परंतु शिकायतकर्ता द्वारा ऐसी कोई अपील माननीय जिला मजिस्ट्रेट महोदय हरिद्वार के यहां नहीं की गयी है। विधि द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार जहां स्पष्ट विधि व्यवस्था है उसी व्यवस्था के अंतर्गत विधिक कार्य सम्पादित किये जाते है। उक्त प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा धारा 126 विद्युत अधिनियम के अंतर्गत दिये गये नोटिस को चुनौती दी गयी है जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय मंच को प्राप्त नहीं चला आता है। स्पष्ट है कि उक्त परिवाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार, माननीय मंच को प्राप्त नहीं चला आता है। इसलिए स्पष्ट है कि माननीय मंच को उक्त परिवाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिए उक्त परिवाद इसी स्तर पर मय हर्जा निरस्त होने योग्य है। शिकायतकर्ता का अपनी शिकायत के पैरा सं0 9 में यह कथन करना कि अंतिम राजस्व निर्धारण नोटिस प्राप्त होने के उपरांत शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 21.05.2025 और 25.04.2025 को प्रार्थना पत्र प्रेषित किये गये हो स्वीकार नहीं है। धारा 126 व 127 के अनुसार अंतिम राजस्व निर्धारण से क्षुब्ध होने वाला व्यक्ति 30 दिन के अंदर अपील माननीय जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार के समक्ष योजित कर सकता था। जो कि उसके द्वारा आज तक नहीं की गयी है और मंच को उक्त परिवाद की शिकायत की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं चला आता है। पैरा सं0 9 में शिकायतकर्ता का यह कथन करना कि उसके परिसर पर मीटर सं0 7907461 स्थापित चला आ रहा हो स्वीकार है, शेष कथन स्वीकार नहीं है। शिकायतकर्ता द्वारा चैकिंग मीटर में टैम्परिंग इसलिए की गयी थी कि उसके द्वारा अनाधिकृत रूप से उपभोग की जा रही विद्युत की जानकारी न हो सकें। शिकायतकर्ता द्वारा मांगा गया अनुतोष शिकायतकर्ता किसी भी रूप में प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। उक्त शिकायत मय विशेष हर्जा निरस्त होने योग्य है।

विपक्षी विभाग के उक्त उत्तर मके सापेक्ष, परिवादी द्वारा पत्र दिनांकित 20.01.2026 प्रेषित कर कथन किया है कि विपक्षी विभाग के द्वारा उपरोक्त में जो उत्तर पत्र दाखिल किया गया है, वह उत्तर पत्र झूठे मनगढंत एवं निराधार तथ्यों के आधार पर, स्वयं के द्वारा गलत रूप से की गई कार्यवाहियों को सही दर्शाने के उद्देश्य से दाखिल किया गया है जिसका सत्यता से कोई मतलब / वास्ता नहीं है। जिस कारण विपक्षी विभाग का उत्तर पत्र हर सूरत मे निरस्त होने योग्य है। विपक्षी विभाग के द्वारा अपने उत्तर पत्र के पैरा संख्या—04 मे कथन अंकित है कि उन्हे यह स्वीकार नही है कि, उनके द्वारा परिवादी या उसके प्रतिनिधि को चैक मीटर की वैध जॉच रिपोर्ट ना दी गई हो एवं विपक्षी विभाग के द्वारा इसी पैरा में यह कथन भी किया गया है कि, परिवादी के द्वारा अपने शिकायत मे यह कथन किया गया है कि, "चैक मीटर स्थापित किए जाने की कोई सीलिंग रिपोर्ट उपलब्ध ना कराई गयी हो के कथन गलत मिथ्या एवं असत्य कथनो पर आधारित है। शिकायतकर्ता द्वारा चैक मीटर की सीलिंग रिपोर्ट की प्रति स्वयं की संलग्नक की हुई है।" जबकि वास्तविकता में परिवादी के द्वारा अपने सम्पूर्ण परिवाद पत्र मे कही पर भी विपक्षी विभाग के द्वारा चैक मीटर की सीलिंग रिपोर्ट प्रदान नहीं किए जाने का कोई कथन नही किया गया है। परिवादी के द्वारा मात्र उनके परिवाद पत्र मे यह कथन अंकित है कि विपक्षी विभाग के द्वारा चैक मीटर स्थापित

क्रमशः......05

से पूर्व चैक मीटर की कोई वैध जांच रिपोर्ट परिवादी या उसके प्रतिनिधि को उपलब्ध नहीं कराई गयी है। अपने इस कथन को सिद्ध करने के लिए ही परिवादी ने अपने परिवाद पत्र के साथ चैक मीटर की सीलिंग रिपोर्ट की छायाप्रति को संलग्न किया है। चूंकि उक्त सीलिंग रिपोर्ट में परिवादी या उसके प्रतिनिधि को चैक मीटर की वैध जांच रिपोर्ट प्रदान किए जाने का कोई कथन अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि चैक मीटर स्थापित किए जाने से पूर्व या चैक मीटर स्थापित करते समय विपक्षी विभाग के कर्मचारियों के द्वारा उनके या उनके प्रतिनिधि को चैक मीटर की कोई वैध जांच रिपोर्ट प्रदान नहीं की गई थी। विपक्षी विभाग ने अपने प्रतिउत्तर के द्वारा परिवादी के परिवाद पत्र में वर्णित कथनों को स्वीकार नहीं किए जाने का कथन किया गया है। जबकि परिवादी ने अपने परिवाद पत्र में अपने विद्युत संयोजन पर स्थापित मेन मीटर व चैक मीटर के जल जाने एवं उनके द्वारा कार्य बंद करने एवं डिस्प्ले के भी कार्य नहीं करने का कथन किया है जिसकी शिकायत भी परिवादी के द्वारा दिनांक 25.11.2024 में की गई थी जिसके साक्ष्य के रूप में परिवादी के द्वारा परिवाद पत्र के साथ ऑनलाइन शिकायत किए जाने की प्रति संलग्न की है, जो कि परिवाद के पैरा संख्या 04 में वर्णित कथनों को पुष्ट एवं सिद्ध करती है। विपक्षी विभाग के द्वारा अपने उत्तर पत्र में परिवादी के परिवाद पत्र में अंकित कथनों में से जले हुए चैक मीटर को शिकायतकर्ता के परिसर पर ही छोड़ कर चले गए हो और चैक मीटर बदलने के लिए पैसे देने की मांग की गयी हो को स्वीकार नहीं किया है। जबकि परिवादी के द्वारा अपने परिसर पर मीटर के जले होने एवं उनके डिस्प्ले का कार्य नहीं होने की एक शिकायत दिनांक 25.11.2024 को ऑनलाइन माध्यम से की गई थी। परिवादी की शिकायत पर कार्यवाही करते हुए विपक्षी विभाग के द्वारा मात्र परिवादी के परिसर के मेन मीटर को बदला गया था, जबकि चैक मीटर को बदलने की एवज विपक्षी विभाग के कर्मचारियों के द्वारा परिवादी से पैसो की मांग की गई थी। परिवादी के द्वारा चैक मीटर नहीं बदले जाने के संबंध में एक प्रार्थना पत्र विपक्षी विभाग के समक्ष दिनांक 21.12.2024 को ही प्रस्तुत किया था, परिवादी के उक्त प्रार्थना पत्र पर विपक्षी विभाग के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई एवं परिवादी के उक्त प्रार्थना पत्र दिनांकित 21.12.2024 में वर्णित कथनों को विपक्षी विभाग के द्वारा स्वीकार या अस्वीकार किए जाने का कोई कथन अपने उत्तर पत्र अंकित नहीं किया है। उक्त प्रार्थना पत्र एवं परिवाद पत्र के कथनों पर विपक्षी विभाग मौन है जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी विभाग को उक्त प्रार्थना पत्र दिनांकित 21.12.2024 के समस्त कथन स्वीकार है। विपक्षी विभाग के द्वारा उत्तर पत्र में यह कथन भी अंकित किया है कि, "यह कथन भी स्वीकार नहीं है कि दिनांक 21.12.2024 की सीलिंग रिपोर्ट शिकायतकर्ता को न दी हो।" परिवादी के द्वारा अपने सम्पूर्ण परिवाद पत्र में विपक्षी विभाग के द्वारा दिनांक 21.12.2024 की सीलिंग रिपोर्ट प्रदान नहीं किए जाने का कोई कथन अंकित नहीं किया है। विपक्षी विभाग के द्वारा अपने उत्तर पत्र में कथन किया है कि शिकायतकर्ता दोनों बार मीटरों की सीलिंग रिपोर्ट न देने का कथन किया है कि "शिकायतकर्ता दोनों बार मीटरों की सीलिंग रिपोर्ट न देने का कथन कर रहा है।" जबकि विपक्षी विभाग का यह कथन झूठे मनगढंत एवं मिथ्या कथनों पर आधारित है जिनका सत्यता से कोई मतलब वास्ता नहीं है। परिवादी के द्वारा अपने सम्पूर्ण परिवाद पत्र में विपक्षी विभाग के द्वारा सीलिंग रिपोर्ट प्रदान नहीं किए जाने का कोई कथन अंकित नहीं किया गया है। विपक्षी विभाग के द्वारा अपने उत्तर पत्र में अंकित किया है "शिकायतकर्ता का अपनी शिकायत में वर्णित कथन दिनांक 28.02.2025 को विपक्षी विभाग के कर्मचारी शिकायतकर्ता के प्रतिष्ठान पर गये हो और बिना सूचना दिए चैक मीटर उतारकर ले गये हो और शिकायतकर्ता के पुत्र को दिनांक 25.04.2025 को विपक्षी विभाग के यहॉ बुलाया गया हो जिस प्रकार तहरीर किये गये है स्वीकार है।" जिससे स्पष्ट है कि दिनांक 28.02.2025 को परिवादी के परिसर पर मीटर उतारने की कार्यवाही विपक्षी विभाग के द्वारा परिवादी या उसकी प्रतिनिधि की अनुपस्थिति मे की गई थी। जबकि विद्युत सप्लाई कोड के अनुसार मीटर उतारे जाने एवं मीटर को सील किए जाने की कार्यवाही उपभोक्ता या उसके प्रतिनिधि

क्रमशः.....06

की उपस्थिति में की जाएगी, जिसके चलते विपक्षी विभाग के द्वारा परिवादी के विरूद्ध की गई समस्त कार्यवाही त्रुटिपूर्ण कार्यवाही की श्रेणी में आती है। विपक्षी विभाग के द्वारा अपने उत्तर पत्र में ही परिवादी के अंतर्गत धारा 135, 135 बी व 135 सी विद्युत अधिनियम 2003 के अपराध का दोषी होने का कथन किया। जबकि उक्त अपराध एक संज्ञेय अपराध है और ऐसी स्थिति में विपक्षी विभाग के द्वारा परिवादी के विरूद्ध कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने का ना तो कोई कथन किया है और ना ही ऐसी किसी प्रथम सूचना रिपोर्ट परिवादी के विरूद्ध दर्ज होने के कोई साक्ष्य दाखिल किए हैं। जिससे स्पष्ट है कि परिवादी के द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। जिस कारण विपक्षी विभाग के द्वारा परिवादी के विरूद्ध कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गयी। विपक्षी विभाग के द्वारा अपने उत्तर पत्र में विपक्षी विभाग के द्वारा लगाये गए अंतर्गत धारा 126 के अंतिम निर्धारण की अपील को अन्तर्गत धारा 127 में किए जाने के कथन के साथ—साथ माननीय मंच को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होने कथन करते हुए, अपने उत्तर पत्र में यह कथन भी अंकित किया है कि "शिकायतकर्ता का यह कथन करना कि उसके परिसर पर मीटर संख्या—7907461 स्थापित चला आ रहा हो स्वीकार है।" जिसमे स्पष्ट है कि विपक्षी विभाग को परिवादी के परिसर पर परिवाद योजित करने कि दिनांक 15.10.2025 तक मीटर संख्या—7907461 स्थापित होनी स्वीकार है। जबकि विपक्षी विभाग को परिवादी के विरूद्ध दिनांक 25.04.2025 को उक्त मीटर संख्या—7907461 की जांच के आधार पर ही कार्यवाही कर निर्धारण तय किया गया है। जो मीटर परिवाद दर्ज करते समय एवं जांच की दिनांक 25.04.2025 पर भी परिवादी के परिसर पर स्थापित था। ऐसी स्थिति में उस मीटर की जांच विद्युत विभाग की परीक्षणशाला में किया जाना एवं उक्त जांच के आधार पर परिवादी के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि, परिवादी के ऊपर के गई समस्त कार्यवाही गलत मिथ्या एवं बेबुनियाद है और ना ही परिवादी के द्वारा अपने परिसर पर लगे मीटर पर कभी भी किसी भी प्रकार से कोई टेम्परिंग की गई है। परिवादी के मीटर खराब होने के दशा में उसके द्वारा विपक्षी विभाग के समक्ष ऑनलाईन शिकायत की गयी थी। जिसका पूर्ण निस्तारण विपक्षी विभाग के द्वारा नहीं किया गया। जिसके आधार पर परिवादी के विरूद्ध अंतर्गत धारा 126 विद्युत अधिनियम का कोई निर्धारण किसी भी प्रकार से नहीं बनता है। जिस कारण मंच को परिवाद की सुनवाई क्षेत्राधिकार प्राप्त चला आता है। विपक्षी विभाग के द्वारा परिवादी से की गई अवैध धन की मांग पूरी नहीं करने के चलते गलत एवं फर्जी कार्यवाही परिवादी के विरूद्ध की गई है। जिस कारण भी विपक्षी विभाग का उत्तर पत्र निरस्त होने योग्य है। अतः मंच से अनुरोध है कि उपरोक्त तथ्यों के साथ साथ अन्य तथ्यों के आधार पर भी विपक्षी विभाग का उत्तर पत्र निरस्त करने के आदेश पारित किये जाए।

मंच के समक्ष परिवादी के प्रतिनिधि श्री कुनाल शर्मा तथा विपक्षी के प्रतिनिधि श्री नितिन कुमार गर्ग उपस्थित हुए।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन दिनांक 16.12.2018 से गतिमान है। वर्तमान में उक्त विद्युत संयोजन के सापेक्ष, अनुबंधित भार 20.00 किलोवाट है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 03.10.2025 तक, एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। विपक्षी विभाग द्वारा, गत महिनों/वर्षो में, निम्नानुसार, विद्युत खपत के बिल, परिवादी को जारी किए गए हैः

क्रमशः......07

अवधि			कुल खपत (यूनिट)	औसत खपत (यूनिट/माह)
से	तक	माह (लगभग)		
13.03.19	19.03.20	12.13	9636	794
19.03.20	24.03.21	12.16	15519	947
24.03.21	27.03.22	12.10	7456	616
27.03.22	20.06.23	14.76	15088	1020
13.03.19	***20.06.23***	***51.23***	***51875***	***1013***
20.06.23	20.06.24	12.00	3289	274
20.06.24	11.12.24	5.70	0	0
11.12.25	03.10.25	9.73	3633	373
20.06.23	***03.10.25***	***27.43***	***6922***	***252***

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि परिवादी द्वारा, दिनांक 13.03.2019 से दिनांक 20.06.2023 तक, लगभग 51.23 माह की अवधि में, कुल 51875 यूनिट की विद्युत खपत की गई है। इस प्रकार, परिवादी द्वारा उक्त 51.23 माह की अवधि में, लगभग 1013 यूनिट प्रति माह की औसत दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है। परिवादी द्वारा, दिनांक 20.06.2023 से दिनांक 20.06.2024 तक, 12 माह की अवधि में लगभग 274 यूनिट प्रति माह, दिनांक 20.06.2024 से दिनांक 11.12.2024 तक, लगभग 5.70 माह की अवधि में शून्य विद्युत खपत तथा दिनांक 11.12.2025 से दिनांक 03.10.2025 तक, लगभग 9.73 माह की अवधि में, लगभग 373 यूनिट प्रति माह की औसत दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है इस प्रकार परिवादी द्वारा दिनांक 20.06.2023 से दिनांक 03.10.2025 तक, लगभग 27.43 माह की अवधि में, लगभग 252 यूनिट प्रति माह की औसत दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है जो कि उक्त 1013 यूनिट प्रति माह की तुलना में लगभग 75.12 प्रतिशत कम है।

विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी के प्रश्नगत विद्युत संयोजन पर, दिनांक 06.08.2024 को, मेन मीटर संख्या–09548113 के सापेक्ष, चैक मीटर संख्या–5136905 स्थापित किया गया है। परिवादी के अनुसार, उक्त चैक मीटर संख्या–5136905 को, विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 28.02.2025 को उतारा गया है जिसकी पुष्टि, विपक्षी विभाग द्वारा भी की गई है। विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी के प्रश्नगत विद्युत संयोजन पर स्थापित मेन मीटर संख्या–09548113 को, मीटर संख्या–जी7907461 द्वारा दिनांक 21.12.2024 को प्रतिस्थापित किया गया है जिसकी पुष्टि परिवादी द्वारा की गई है। विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर स्थापित चैक मीटर संख्या–5136905 को, दिनांक 28.02.2025 को उतारा गया है जिसका परीक्षण, विपक्षी विभाग की परीक्षणशाला में किए जाने का उल्लेख विपक्षी विभाग द्वारा किया गया है परंतु परीक्षण रिपोर्ट, जिसमें परिवादी के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर अंकित हैं, में चैक मीटर संख्या–5136905 के स्थान पर मीटर संख्या–7907461 का उल्लेख किया गया है। जबकि उक्त मीटर परिवादी के संयोजन पर,

क्रमशः.....08

दिनांक 21.12.2024 को स्थापित किए जाने के पश्चात, लगातार, परिवादी के संयोजन पर गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, परीक्षणशाला में विद्युत मीटर के परीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं के आधार पर, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा—126 के अंतर्गत, रू0 20,06750.00 का राजस्व निर्धारण किया गया है जिसे निरस्त किए जाने हेतु, परिवादी द्वारा प्रश्नगत शिकायत मंच के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित, उविनिआ (उपभोक्ताओं की शिकायत निवारण हेतु सदस्यों की नियुक्ति तथा मंच द्वारा अपनाई जाने वाली प्रकिया संबंधी दिशा—निर्देश) विनियम, 2019 के अंतर्गत प्राविधानित अध्याय 3.1 (4) के अनुसार— फोरम, अधिनियम के खण्ड 126, 127, 135 से 140 व 161 के अंतर्गत आने वाली शिकायतों पर विचार नहीं करेगा। अतः परिवाद द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद मंच क्षेत्राधिकार न होने के चलते खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद मंच क्षेत्राधिकार न होने के चलते खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

	24/03/2026	24/03/2026
(संजय कुमार)	(जी0 एस0 धर्मसत्तू)	(सतीश उनियाल)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज—I, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 260/2025 **दिनांक : 31.03.2026**

परिवादी :–श्री महेश यादव वास्ते मै0 मोड ऑटोमोबाईल्स प्रा0 लि0, ई–31, इण्डस्ट्रियल एरिया, बहादराबाद, हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ज्वालापुर, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार	न्यायिक सदस्य
श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू	तकनीकी सदस्य
श्री सतीश उनियाल	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री महेश यादव वास्ते मै0 मोड ऑटोमोबाईल्स प्रा0 लि0, ई–31, इण्डस्ट्रियल एरिया, बहादराबाद, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या–जेडब्लू0के000008866, के सन्दर्भ में कथन किया है कि दिनांक 15.05.2025 को स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद से ही केडब्लूएच0 तथा केवीएएच0 रीडिंग में अंतर आ रहा है। जिसके कारण पावर फैक्टर को बनाये रखना सम्भव नहीं हो पा रहा है। अतः मंच से अनुरोध है कि उक्त समस्या का समाधान करवा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा पत्र संख्या 9407 दिनांक 02.12.2025 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि, नामें मै0 मोड ऑटोमोबाईल्स प्रा0 लि0, ई–31, इंडस्ट्रियल एरिया, बहादराबाद, जिला–हरिद्वार के सापेक्ष संयोजन संख्या–जेडब्लू0के000008866, मीटर संख्या–8101408, मै0 मोड ऑटोमोबाईल्स प्रा0 लि0 के नाम दिनांक 24.02.2010 से, एल0टी0 इण्डस्ट्री विधा में चला आ रहा है। उपभोक्ता के संयोजन पर स्थापित स्मार्ट मीटर की एमआरआई रिपोर्ट प्रेषित किये जाने हेतु, पत्रांक 7862 दिनांक 06.11.2025 के माध्यम से Genus Power Infastructures Limited, 20 Beside House No. Mayur Vihar, Shakti Enclave Kaonil, Dehradun, Uttarakhand, 248001 को पत्र प्रेषित किया गया था। Genus Power Infastructures Limited द्वारा उपलब्ध करायी गयी एमआरआई0 रिपोर्ट के सापेक्ष, पत्रांक 9192 दिनांक 26.11.2025 के माध्यम से संयोजन पर स्थापित स्मार्ट मीटर के CT-PT के Connection की जाँच कर Connection को उचित क्रम में करने अथवा नियमानुसार चैक मीटर स्थापित करने से सम्बन्धित, जो भी सम्भव हो, कार्यवाही करने हेतु, सहायक अभियन्ता (मापक), विद्युत परीक्षणशाला, मायापुर, हरिद्वार को पत्र निर्देशित किया गया था। चुकिं सहायक अभियन्ता (मापक), विद्युत परीक्षणशाला, मायापुर, हरिद्वार द्वारा की गयी कार्यवाही इस कार्यालय में अप्राप्त है।

इसी कम में विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा पत्र संख्या 2077 दिनांक 11.03.2026 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि मै0 मोड आटोमोबाईल्स प्रा0 लि0, ई–31, इंडस्ट्रियल एरिया,

क्रमशः.....02

बहादराबाद, जिला हरिद्वार के सापेक्ष मंच द्वारा दिये गये निर्देश, दिनांक 12.12.2025 के अनुपालन में, संयोजन संख्या–जेडब्लू0के000008866 के सापेक्ष स्थापित चैक मीटर संख्या 8104050 की फाईनल सिलिंग रिपोर्ट (सिलिंग रिपोर्ट संख्या 28/23 दिनांक 26.02.2026) की छायाप्रति संलग्नक कर प्रेषित की गयी है।

मंच के समक्ष परिवादी श्री महेश यादव तथा विपक्षी की ओर से सहायक अभियंता (राजस्व) श्री एस0के0 गौतम उपस्थित हुए।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन 75.00 किलोवाट भार पर, दिनांक 24.02.2010 से, मै0 मोड ऑटोमोबाईल्स प्रा0 लि0 के नाम पर गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 02.03.2026 तक, एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी के प्रश्नगत विद्युत संयोजन पर, पूर्व में गतिमान मीटर संख्या–14821 को, स्मार्ट मीटर संख्या–8101408 द्वारा, दिनांक 15.08.2025 को, प्रतिस्थापित किया गया है। परिवादी द्वारा, दिनांक 15.08.2025 को स्मार्ट मीटर संख्या–8101408, स्थापित किए जाने के उपरांत, केडब्लूएच0 तथा केवीएएच0 आधार पर दर्ज विद्युत खपत की मात्रा में, असामान्य अंतर के आधार पर, कम पावर फैक्टर दर्ज होने की शिकायत, मंच को प्रस्तुत की गई है। इसी कम में, मंच द्वारा, पत्रांक 873/सीजीआरएफ/फोरम/नोटिस के माध्यम से, विभागीय पक्ष प्रस्तुत किए जाने हेतु, दिनांक 25.10.2025 को नोटिस जारी किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा पत्रांक 9407 दिनांक 02.12.2025 के माध्यम से प्रस्तुत जवाब में स्पष्टता न होने के परिणामस्वरूप, मंच द्वारा परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर चैक मीटर स्थापित किए जाने के निर्देश, दिनांक 12.12.2025 को निर्गत किए गए। इसी कम में, विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर, दिनांक 05.02.2026 को, चैक मीटर संख्या–8104050 स्थापित किया गया है जिसे दिनांक 26.02.2026 को फाइनल किया गया है। चैक मीटर की फाइनल रिपोर्ट के अनुसार, प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मेन मीटर संख्या–8101408 तथा चैक मीटर संख्या–8104050 पर, निम्नानुसार, विद्युत खपत दर्ज पाई गई है:

विवरण	मेन मीटर						चैक मीटर	
	Import Energy		Export Energy		Import + Export			
	kWh	kVAh	kWh	kVAh	kWh	kVAh	kWh	kVAh
26.02.2026	595.10	1185.80	476.10	617.20			62.20	102.30
05.02.2026	554.00	1116.00	454.00	584.70			00	00
अंतर	41.10	69.80	22.10	32.50	63.20	102.30	62.20	102.30
गुणांक(MF)	40.00	40.00	40	40	40	40	40	40
विद्युत खपत	1644.00	884.00	2792	1300	2528	4092	2488	4092
औ0 पावर फै0	58.88%				61.78%		60.80%	

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि दिनांक 05.02.2026 से दिनांक 26.02.2026 तक की अवधि में, चैक मीटर संख्या–8104050 पर, औसत पावर फैक्टर–60.80 प्रतिशत तथा मेन मीटर संख्या–8101408 पर दर्ज Import उर्जा के आधार पर, 58.88 प्रतिशत आंकी गई है। उपरोक्त विवरण से यह भी स्पष्ट होता है कि दिनांक 05.02.2026 से दिनांक 26.02.2026 तक की अवधि में, चैक मीटर संख्या–8104050

क्रमशः.....03

पर रिकार्ड की गई विद्युत खपत की तुलना में, मेन मीटर संख्या–8101408 पर रिकार्ड की गई Import उर्जा के आधार पर केडब्लूएच0 के सापेक्ष 33.92 प्रतिशत तथा केवीएएच0 के सापेक्ष 31.77 प्रतिशत कम विद्युत खपत दर्ज की गई है।

उपरोक्त विवरण से विदित होता है कि मेन मीटर के माध्यम से, परिवादी द्वारा की गई कुल विद्युत खपत को Import उर्जा तथा Export उर्जा के रूप में, मेन मीटर संख्या–8101408 पर दर्ज किया जा रहा है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 03.09.2025 से दिनांक 02.03.2026 तक जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए, दिनांक 31.07.2025 से दिनांक 15.08.2025 तक की अवधि हेतु,, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर, पूर्व में गतिमान मीटर संख्या–14821 पर दर्ज वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर तथा दिनांक 15.08.2025 से दिनांक 28.02.2026 तक की अवधि हेतु,, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर वर्तमान में गतिमान मीटर संख्या–8101408 पर दर्ज विद्युत खपत एवं चैक मीटर संख्या–8104050 की फाइनल रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए, संशोधित बिल, परिवादी को जारी किए जाने की आवश्यकता है।

आदेश

विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह दिनांक 03.09.2025 से दिनांक 02.03.2026 तक जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए, दिनांक 31.07.2025 से दिनांक 15.08.2025 तक की अवधि हेतु, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर, पूर्व में गतिमान मीटर संख्या–14821 पर दर्ज वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर तथा दिनांक 15.08.2025 से दिनांक 28.02.2026 तक की अवधि हेतु,, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर वर्तमान में गतिमान मीटर संख्या–8101408 पर दर्ज विद्युत खपत एवं चैक मीटर संख्या–8104050 की फाइनल रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए, परिवादी को संशोधित बिल जारी करे। विपक्षी विभाग आदेश की अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(संजय कुमार) न्यायिक सदस्य	31/03/2026 (जी0 एस0 धर्मसत्तू) तकनीकी सदस्य	31/03/2026 (सतीश उनियाल) उपभोक्ता सदस्य

नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज–I, देहरादून में अपील कर सकता है।

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 315/2025 दिनांक :17.03.2026

परिवादी :– श्री श्याम सिंह राठौर पुत्र स्व0 राम खिलावन राठौर, लोधा मण्डी, इण्डस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नगरीय, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार	न्यायिक सदस्य
श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू	तकनीकी सदस्य
श्री सतीश उनियाल	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवाद के तथ्य– परिवादी श्री श्याम सिंह राठौर पुत्र स्व0 राम खिलावन राठौर, लोधा मण्डी, इण्डस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या–6911321954423 के सन्दर्भ में कागज नं0 1 ता 5 प्रस्तुत कर कथन किया है कि उनके एक प्लाट स्थित–टिबड़ी बाईपास इण्डस्ट्रियल एरिया में अपने नाम से क्रय किया हुआ है। जिसमें उनके नाम से उक्त विद्युत कनेक्शन लगा हुआ है, जिसका वह निरन्तर नियमानुसार विद्युत बिल सम्बन्धित विभाग में जमा कराता चला आ रहा है एवं विद्युत विभाग का उनकी ओर कोई भी विद्युत बिल शेष नहीं है, किन्तु इसके बावजूद भी बिना किसी सूचना के उक्त विद्युत कनेक्शन के विद्युत मीटर को विद्युत विभाग द्वारा उनकी गैर मौजूदगी में काट कर उतार लिया गया। जिस प्लाट पर उक्त विद्युत कनेक्शन लगा हुआ है, जबकि उक्त प्लाट के सम्पूर्ण दस्तावेज उनके पास उपलब्ध हैं, फिर ना जाने विद्युत विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा किस नियम के तहत उनका उक्त विद्युत कनेक्शन मीटर सहित उतारा गया है। उनको ऐसा आभास होता है कि विद्युत विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा नफा–नाजायज कमाने की गरज से किसी व्यक्ति विशेष के बहकावे में आकर उनका उक्त विद्युत मीटर उतारा गया है। यदि शीघ्र ही उनका उक्त विद्युत मीटर नहीं लगाया गया तो उनको माननीय न्यायालय की शरण में जाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, जिसके हर्जे–खर्चे की समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों की होगी। अतः मंच से अनुरोध है कि उक्त कनेक्शन को शीघ्रातिशीघ्र पुनः लगवा दिया जाए।

विपक्षी का जवाब– विपक्षी विभाग के उपखण्ड अधिकारी द्वारा कागज नं0 7 ता 26 पत्र संख्या 1159 दिनांकित 06.01.2026 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि वादी श्री श्याम सिंह राठौर पुत्र स्व0 श्री रामखिलावन राठौर, लोधामण्डी, इण्डस्ट्रील एरिया, हरिद्वार की शिकायत का जवाब इस प्रकार है कि उक्त परिसर पर संयोजन संख्या–6911321555835 श्रीमती सरोज देवी, संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानन्द, टिबडी रोड, श्री हरिद्वार आश्रम, इण्डस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार के नाम से था, जिसमें उपभोक्ता ने रजिस्ट्रेशन संख्या–22005250473, दिनांक 20.05.2025 में पी0डी0 कराया गया तथा उसी परिसर पर श्री श्याम सिंह राठौर पुत्र स्व0 रामखिलावन राठौर, लोधामण्डी, इण्डस्ट्रीयल एरिया, हरिद्वार को तीन गुना स्क्योरटी पर नया संयोजन निर्गत किया गया था, जिसमें संलग्नक शपथ–पत्र श्री श्याम सिंह राठौर से लिया गया था कि अगर विद्युत संयोजन हेतु परिसर पर वाद–विवाद पाया गया तो संयोजन विभागीय द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा जिसमें पूर्ण जिम्मेदारी उपभोक्ता की स्वयं होगी। वर्तमान में उक्त परिसर पर संत श्री मीरा जी, व्यवस्थापक, श्री हरिद्वार आश्रम, रानीपुर मोड़ औद्योगिक क्षेत्र, हरिद्वार के द्वारा विद्युत संयोजन पर आपत्ति लगाई गई है। जिससे श्री श्याम सिंह राठौर पुत्र स्व0 श्री रामखिलावन राठौर को सूचित किया गया तथा उपभोक्ता द्वारा किसी भी प्रकार का संतोषजनक जवाब विभाग में प्रेषित नही किया। तथा साथ ही वर्तमान में वाद–विवाद पाया गया है। जिससे विभागीयनुसार विद्युत संयोजन निरस्त कर दिया गया है।

परिवादी प्रतिउत्तर– परिवादी ने प्रतिउत्तर पत्र कागज नं0 34 ता 43 प्रेषित कर कथन किया गया है कि विपक्षी विभाग के द्वारा झूठे एवं मनगढ़ंत तथ्यो के आधार पर अपने कर्मचारियो के द्वारा गलत एवं विधि विरूद्ध तरीके से शिकायतकर्ता के ऊपर की गई कार्यवाही को सही दर्शाने के उद्देश्य से उत्तर पत्र पत्रांक संख्या–1159/वि.वि.व.उ.ख.औ.क्षे.ह./दिनांकित 06.01.2026 माननीय मंच के समक्ष दाखिल किया है, जो कि हर सूरत मे निरस्त होने योग्य है। परिवादी के जिस परिसर पर परिवादी का विद्युत संयोजन चला आता था। उक्त परिसर पर परिसर के विद्युत संयोजन से पूर्व मे सरोज देवी शिष्या संत ज्ञानेश्वर स्वामी, निवासी–श्री हरिद्वार आश्रम टिबडी रोड इण्डस्ट्रीयल एरिया, जिला–हरिद्वार के नाम से एक विद्युत संयोजन संख्या–6911321555835 लम्बे समय से स्थापित चला आता था। सरोज देवी परिवादी को पूर्व से ही जानती थी एवं उक्त परिसर परिवादी को विक्रय करने हेतु तैयार थी इसके चलते सरोज देवी ने परिवादी को मार्च मे ही उक्त परिसर पर एक कब्जा प्रदान कर दिया गया था एवं परिवादी के नाम उक्त परिसर पर एक विद्युत संयोजन भी अपनी सहमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र विपक्षी विभाग के समक्ष प्रस्तुत कर प्रदान करा दिया गया था एवं विपक्षी विभाग के द्वारा सरोज देवी के विद्युत संयोजन पर स्थापित मीटर संख्या–96219996 को ही परिवादी के विद्युत संयोजन पर दर्ज कर दिया गया था परंतु परिवादी को अतिरिक्त सिक्योरिटी लेकर एक नया विद्युत संयोजन संख्या–6911321954423 प्रदान किया गया था। जिससे स्पष्ट है कि, पूर्व उपभोक्ता के विद्युत संयोजन का मीटर परिवादी के

विद्युत संयोजन पर स्थानांतरित करते समय ही पूर्व उपभोक्ता का विद्युत संयोजन समाप्त कर एक तरह से पूर्व उपभोक्ता के विद्युत संयोजन को ही परिवादी के नाम पर हस्तांतरित किया गया था। जिसके उपरांत उक्त सरोज देवी के द्वारा उक्त परिसर को परिवादी को दिनांक 09.09.2025 मे विक्रय कर दिया था और वर्तमान तक भी उक्त परिसर पर परिवादी का ही कब्जा चला आता है। परिवादी द्वारा परिसर क्रय किए जाने की रसीद/विक्रय पत्र की छायाप्रति प्रति उत्तर पत्र के साथ पर संलग्न है। विद्युत संयोजन परिवादी को आवंटित/हस्तांतरित होने के उपरांत परिवादी के द्वारा लगातार विद्युत संयोजन का इस्तेमाल किया गया एवं नियमानुसार परिवादी के द्वारा उक्त विद्युत संयोजन के बिल का भुगतान बिना किसी त्रुटि के किया गया। जिसके उपरांत अचानक विपक्षी विभाग का दिनांक 02.12.2025 का एक पत्र परिवादी से उसके परिसर के सम्बंध मे परिवादी ने अपना एक स्पष्टीकरण मांगे जाने हेतु प्राप्त हुआ। जिसके सम्बंध मे परिवादी ने अपना एक स्पष्टीकरण पत्र दिनांक 05.12.2025 को विपक्षी विभाग के उपखण्ड अधिकारी को प्रेषित किया था। जिसमे परिवादी ने स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि, परिवादी के द्वारा परिसर सरोज देवी शिष्या संत ज्ञानेश्वर स्वामी, निवासी–श्री हरिद्वार आश्रम टिबडी रोड़ इण्डस्ट्रीकरण दिए जाने एवं अपना स्वामित्व सिद्ध किए जाने के उपरांत भी बिना कोई युक्तियुक्त/उचित कारण बताए विपक्षी विभाग के द्वारा परिवादी का विद्युत संयोजन विच्छेदित कर दिया गया है। जिसके उपरांत परिवादी के द्वारा विपक्षी से अपने विद्युत संयोजन को पुर्नस्थापित करने हेतु कई बार मौखिक रूप से कहा। परंतु विपक्षी विभाग के द्वारा परिवादी की एक ना सुनी। परिवादी के द्वारा विपक्षी विभाग के द्वारा परिवादी की एक ना सुनी। परिवादी के द्वारा विपक्षी विभाग को प्रेषित पत्र दिनांकित 05.12.2025 की छायाप्रति प्रति–उत्तर पत्र के साथ पर संलग्न है। जिसके उपरांत परिवादी के द्वारा एक शिकायत माननीय मंच के समक्ष प्रस्तुत की जिसमे विपक्षी विभाग के द्वारा अपना उत्तर पत्र मंच के समक्ष यह कहते हुए कि, "वर्तमान मे उक्त परिसर पर सत श्री मीरा जी, व्यवस्थापक, श्री हरिद्वार आश्रम, रानीपुर मोड, औद्योगिक क्षेत्र, हरिद्वार के द्वारा विद्युत संयोजन पर आपत्ति लगाई गयी है। जिसमे श्री श्याम सिंह राठौर पुत्र स्व0 राम खिलावन राठौर, लोधामण्डी, इण्डस्ट्रीयल एरिया, हरिद्वार को सूचित किया गया तथा उपभोक्ता के द्वारा किसी भी प्रकार का संतोषजनक जवाब विभाग को प्रेषित नही किया गया तथा साथ ही वर्तमान मे वाद विवाद पाया गया है। जिससे विभागीयनुसार विद्युत संयोजन निरस्त कर दिया गया है।" दाखिल किया गया है। विपक्षी विभाग के द्वारा अपने सम्पूर्ण जवाब पत्र मे यह कही पर भी अंकित नही किया गया है कि, सत श्री मीरा जी के द्वारा परिवादी के विद्युत संयोजन पर किस प्रकार की आपत्ति की गई है और मीरा जी के द्वारा विभाग के समक्ष दाखिल ऐसा कोई आपत्ति पत्र विपक्षी विभाग के द्वारा अपने जवाब पत्र के साथ मंच के समक्ष दाखिल नही किया गया है, जिससे स्पष्ट हो सके कि वास्तविकता मे श्री मीरा जी के द्वारा कोई आपत्ति विभाग के समक्ष दाखिल की है और वह आपत्ति किस प्रकार के तथ्यो के आधार पर की गई है और ना ही विपक्षी

विभाग के द्वारा परिवादी के उक्त परिसर पर अवैध कब्जे या किसी अन्य व्यक्ति के स्वामित्व होने का कोई कथन अपने जवाब पत्र मे अंकित नही किया गया है जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी विभाग को उक्त परिसर पर परिवादी के स्वामित्व होने के सम्बंध मे कोई आपत्ति नही है एवं विपक्षी विभाग को उक्त परिसर पर परिवादी का स्वामित्व स्वीकार है। विपक्षी विभाग के द्वारा यह भी कथन किया गया है कि परिवादी के द्वारा कोई संतोषजनक जवाब प्रेषित नही किया गया। जबकि परिवादी के द्वारा विपक्षी विभाग के पत्र का जवाब दिनांक 05.12.2025 मे विपक्षी विभाग को प्रेषित किया था एवं अपने स्वामित्व का कथन स्पष्ट रूप से परिवादी के द्वारा उक्त पत्र मे अंकित किया गया था। जबकि विपक्षी विभाग के द्वारा अपने जवाब पत्र के अनुसार मात्र वाद–विवाद होना बता कर परिवादी का विद्युत संयोजन निरस्त किया जाता बताया गया है। जबकि विपक्षी विभाग के द्वारा बिना किसी कारण के और वाद–विवाद का कोई उचित एवं वैध कारण बताये बिना परिवादी का विद्युत संयोजन गलत एवं विधि विरूद्ध तरीके निरस्त/विच्छेदित किया गया है। विद्युत सप्लाई कोड का चैप्टर 6 DISCONNECTION & RECONNECTION का नियम 6.2 Permanent Disconnection on Consumer's request के उप–नियम 6 प्रावधानवित करता है कि, In the event of any default or confirmation of Un-lawful occupancy of the premises by the court of law or non-compliance of statutory provisions by the consumer or in the event of a legally binding directive by statutory Authority(s)/District Magistrate, the Licensee effect to such an order. This shall be without prejudice to any other rights of licensee including that of gatting its payment as on the date of disconnection." जबकि विपक्षी विभाग के द्वारा अपने उत्तर पत्र मे परिवादी के संयोजन को निरस्त करने का जो कारण बताया गया है वह उपरोक्त वर्णित प्रावधान के परिधि मे नही आता है। जिससे स्पष्ट है कि, विपक्षी विभाग के द्वारा परिवादी का विद्युत संयोजन निरस्त किए जाने की कार्यवाही पूर्व रूप से विधि विरूद्ध तरीके से की गई है। जिसकारण भी विपक्षी विभाग का उत्तर पत्र निरस्त होने योग्य है। विपक्षी विभाग के द्वारा अपने उत्तर पत्र मे पूर्व उपभोक्ता का विद्युत संयोजन दिनांक 20.05.2025 मे पी0डी0 किए जाने का कथन है। जबकि इससे पूर्व मार्च 2025 मे ही विपक्षी विभाग ने उक्त परिसर पर पूर्व उपभोक्ता के संयोजन पर स्थापित मीटर को परिवादी के संयोजन पर स्थानंतरित कर दिया था। ऐसी स्थिति मे पूर्व उपभोक्ता का विद्युत संयोजन अग्रिम रूप से किसी भी प्रकार से चालू नही रह सकता है। जिससे स्पष्ट है कि, विपक्षी विभाग स्वयं के द्वारा की जा रही कार्यवाही को सही सिद्ध करने के उद्देश्य से झूठे एवं मनगढंत तथ्यो के आधार पर उत्तर पत्र प्रेषित किया गया है। जो कि निरस्त होने योग्य है। अतः मंच से अनुरोध है कि उक्त तथ्यो के अलावा अन्य तथ्यो के आधार पर भी विपक्षी विभाग का उत्तर पत्र निरस्त करने की कृपा करे एवं परिवादी का परिवाद स्वीकार कर परिवादी का विद्युत संयोजन पुर्नस्थापित करने के आदेश पारित करने की कृपा करे।

–:विचारण:–

सुनवाई हेतु नियत दिनांक को पत्रावली पेश हुई। पक्षकार व उनके अधिवक्ता उपस्थित आये। सुना गया तथा पत्रावली के तथ्यों एवं साक्ष्यो का अवलोकन किया गया, जिससे पता चलता है कि एक विद्युत कनेक्शन भार एक किलोवॉट विद्युत संयोजन संख्या–6911321954423 द्वारा दिनांक–17.03.2025 को तीन गुना सिक्योरिटी जमा कराकर विद्युत आपूर्ति संहिता के प्रावधान– 3.3.2 के अंतर्गत परिवादी के नाम पर जारी कर संयोजित किया गया था जिसकी बाबत परिवादी उपभोक्ता की ओर कोई बकाया नहीं है। बावजूद उक्त के विपक्षी द्वारा परिवादी के उक्त कनेक्शन को निरस्त कर दिया गया। जिस कारण विवाद उत्पन्न होकर प्रश्नगत शिकायत इस मंच के समक्ष प्रस्तुत की गई।

विचारणीय बिंदु यह है कि क्या विपक्षी द्वारा प्रश्नगत संयोजन संख्या–6911321954423 को निरस्त किया जाना विधि सम्मत है ?

उक्त बिंदु के निस्तारण हेतु निम्नलिखित विचारण किया गया–

1. यहकि विद्युत आपूर्ति संहिता 2020 के प्रावधान 3.3.2 के बिंदु–4 (a)(i) के अंतर्गत नया एलटी कनेक्शन लेने हेतु निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज का होना दर्शाया गया है– The documents required to be submitted along with the Application Form are given below:

(a) Proof of Ownership or Occupancy

(i) The Applicant shall submit self attested copy of any one of the following documents as proof of ownership or occupancy over premises for which the connection is required:

a) Sale deed or lease deed (with latest rent receipt issued within three months prior to the date of application) or khasra or khatauni (inclusion of Applicant's name in the khasra or khatauni shall be sufficient for this purpose).

b) Registered General Power of attorney.

c) Municipal tax receipt or Demand notice or any other related document.

d) Letter of allotment.

e) An Applicant who is not an owner but an occupier of the premises shall along with any one of the documents listed at a) to d) above also furnish a no objection certificate from owner of the premises.

Provided that in case the Applicant is unable to submit any of the document listed at (a) to (e) above, then.the Applicant shall be charged thrice the amount of security as per Table 3.4 to Table 3.6 of Clause (11) of Sub-regulation 3.3.3. The owner of the premises, if different from the Applicant, shall not be liable for payment of any dues against such connection.

Provided further that where the applicant is unable to submit the documents mentioned at (a) to (e) above and objection has been raised on the premises by District Magistrate/Government Authorities/Government under whose jurisdiction premises falls, the Licensee shall not grant new connection to such Applicant.

Provided also that where the court has decided the ownership or occupancy of the premises in favor of a person other than the applicant, the Licensee shall not grant connection to such Applicant.

उक्त प्रावधान के अनुसार कनेक्शन न देने के दो ही आधार है या तो किसी सरकारी प्राधिकारी/सरकार/जिला मजिस्ट्रेट ने परिसर पर आपत्ति की हो अथवा आवेदक/परिवादी के अलावा अन्य किसी व्यक्ति के पक्ष में परिसर के स्वामित्व या कब्जे का फैसला किया हो। परिवादी व विभाग द्वारा उक्त प्रावधान का अक्षरशः पालन किया गया है।

2. यहकि विपक्षी ने अपने जवाब कागज संख्या–7 में लिखा है कि परिवादी ने अपने आवेदन के साथ संलग्न शपथ पत्र में कथन किया है कि अगर विद्युत संयोजन हेतु परिसर पर वाद विवाद पाया गया तो संयोजन विभाग द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी उपभोक्ता की स्वयं की होगी यह भी कथन किया है कि उक्त परिसर पर संत श्री मीरा जी व्यस्थापक श्री हरिद्वार आश्रम रानीपुर मोड़ औद्योगिक क्षेत्र हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन पर आपत्ति लगाई गई है जिसपर परिवादी श्याम सिंह राठौर को जारी

नोटिस का उसने किसी प्रकार का संतोषजनक जवाब नहीं दिया है तथा साथ ही वर्तमान में वाद विवाद पाया गया है इस कारण विभागीय अनुसार विद्युत संयोजन निरस्त कर दिया गया। विपक्षी की ओर से कागज संख्या 11 पत्रावली पर अपने जवाब के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि यह शपथ पत्र आवेदन के समय परिवादी द्वारा आवेदन के समय संलग्न किया गया था। मंच द्वारा विपक्षी के जवाब का विद्युत आपूर्ति संहिता 2020 के प्रावधान 3.3.2 के बिंदु–4 (a)(i) के proviso के आलोक में विचारण किया गया तथा पत्रावली पर पाया कि परिवादी द्वारा नोटिस का जवाब दिया था जिसकी प्रति कागज संख्या–42 है जिसे परिवादी ने अपने प्रतिउत्तर पत्र कागज सं0 34,35,36,37 के साथ सलग्न किया है। विचारण में पाया गया की विपक्षी द्वारा परिवादी के प्रश्नगत संयोजन को निरस्त किया जाना विद्युत आपूर्ति संहिता 2020 के प्रावधान 3.3.2 के बिंदु–4 (a)(i) के proviso के अंतर्गत पोषणीय नहीं है। क्योंकि प्रश्नगत संपत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे के संबंध में कोई फैसला अदालत के द्वारा नहीं दिया गया है और नहीं जिला मजिस्ट्रेट / किसी सरकारी प्राधिकारी / सरकार के द्वारा परिसर के संबंध में कोई आपत्ति नहीं की गई है। कानून विपक्षी को ये अधिकार नहीं देता कि वह कनेक्शन संयोजन के उपरान्त संपत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे के संबंध में कोई निर्णय लें या संपत्ति पर विवाद होने अथवा न होने के सम्बन्ध में निर्णय दे। यह अधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त होता है अगर किसी को कब्जे या स्वामित्व के संबंध में कोई आपत्ति अथवा दावा किया जाना है तो उसे सिविल न्यायालय से आदेश प्राप्त कर विपक्षी के यहाँ देना होगा जिसपर विपक्षी द्वारा आदेशानुसार कार्यवाही की जा सकेगी। कथित संत श्री मीरा जी व्यस्थापक श्री हरिद्वार आश्रम को प्रश्नगत परिसर की बाबत सिविल न्यायालय से आदेश प्राप्त होगा। अन्यथा विद्युत अधिनियम 2003 एवं विद्युत आपूर्ति संहिता 2020 का कोई भी प्रावधान परिवादी का विद्युत संयोजन विच्छेदित करने का अधिकार विपक्षी को प्रदान नहीं करता है।

3. यहकि परिवादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र कागज संख्या 33 प्रस्तुत करते हुए मंच को अवगत कराया गया कि प्रश्नगत परिसर पर एक संयोजन संख्या 6911321555835 सरोज देवी के नाम से चला आता था परिवादी के निवेदन पर प्रश्नगत कनेक्शन संख्या 6911321954423 एवम उक्त कनेक्शन की कंज्यूमर हिस्ट्री पत्रावली पर मंगाई गई। जो कि कागज सं0 45 ता 53 है अवलोकन से पता चला कि संयोजन संख्या 6911321555835 सरोज देवी के नाम से दिनांक 04.09.2020 से 20.5.2025 तक रहा तथा कनेक्शन संख्या 6911321954423 दिनांक 17.03.2025 को संयोजित किया गया। परन्तु आश्चर्य है कि दोनों connections का मीटर संख्या– 96219996 एक ही है। परिवादी सरोज देवी से संपत्ति प्राप्त करने का कथन करता है जिसके संबंध में परिवादी ने कागज संख्या–38,39,40,41 पत्रावली प्रस्तुत किया है। उक्त के दृष्टिगत एक बात सिद्ध होती है कि विभाग को यह जानकारी वर्ष 2020 से चली जाती है की परिवादी ने संपत्ति श्रीमती सरोज देवी से प्राप्त की है। विपक्षी द्वारा उक्त तथ्य को मंच के समक्ष जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किया है। उक्त से यह भी प्रमाणित है कि कथित संत श्री मीरा जी व्यस्थापक श्री हरिद्वार आश्रम का

आगमन वर्ष 2020 से 2025 तक नहीं हुआ था। परन्तु कथित संत श्री मीरा जी ने अब सांठ–गांठ के बल पर विपक्षी विभाग से कनेक्शन संख्या 6911321954423 को निरस्त कराया गया है जोकि गैर कानूनी कृत्य है। विपक्षी विभाग को किसी संपत्ति पर कब्जा कराने में सहयोग नहीं करना चाहिए। एफ.आई.आर. दर्ज कराने से कोई संपत्ति का स्वामी नहीं बन सकता और न ही उसे कोई अधिकार प्राप्त होता है। कथित संत श्री मीरा जी व्यस्थापक श्री हरिद्वार आश्रम का अगर कोई अधिकार प्रश्नगत परिसर पर बनता है तो प्रश्नगत कनेक्शन की बाबत सिविल न्यायालय के आदेश के साथ ही विपक्षी विभाग से संपर्क करे।

–आदेश–

परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी के विधुत संयोजन संख्या–6911321954423 को पुनर्स्थापित कर परिवादी को विद्युत सेवा प्रदान करे। विपक्षी आदेश अनुपालन आख्या आदेश दिनांक से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करें। पत्रावली अभिलेखागार में संचित हो।

17-03-2026

(संजय कुमार)	(जी0 एस0 धर्मसत्तू)	(सतीश उनियाल)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

नोट– इस निर्णय से सन्तुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज–I, देहरादून में प्रत्यावेदन कर सकता है।